



बिहार सरकार

एस.सी.ई.आर.टी., बिहार
द्वारा विकसित

F5

दो वर्षीय सेवापूर्व डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन

भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास

भाग-1 (प्राथमिक स्तर)



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार



एस.सी.ई.आर.टी., बिहार द्वारा विकसित

दो वर्षीय सेवापूर्व
डिप्लोमा इन एलिमेण्ट्री एजुकेशन

भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास

F-5



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार – 800006

तकनीकी सहायता: Implementation Support Agency, SCERT Bihar

प्रकाशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
(एस.सी.ई.आर.टी.), महेन्द्र, पटना, बिहार

© एस.सी.ई.आर.टी., बिहार

विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत

डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) के साधनसेवियों एवं प्रशिक्षुओं हेतु

आमुख

हमारे विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों/शिक्षिकाओं की जरूरत है जिनके लिए शिक्षण-वृत्ति एक स्वाभाविक प्रतिबद्धता हो और जो शिक्षण को एक आनंददायी कार्य मानते हों। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं आर्थिक पृष्ठभूमि खासकर उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के प्रति विद्यालय के शिक्षकों में सजगता एवं संवेदनशीलता होना सबसे जरूरी है, जिसके बिना उन बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल कर पाना असंभव है। साथ-ही, एक शिक्षक या शिक्षिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगाव उसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सहज बनाने में सहायक होता है। बिहार जैसे बहुलतावादी समाज में बेहतर शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब हम 'समता' व बहुलता की समझ को अपनी शिक्षा प्रक्रिया के केंद्र में रखें।

बीसवीं सदी के आखिरी दशक इस सदी के शुरुआत में पाठ्यक्रम का बदलाव एक गहरा सामाजिक और राजनैतिक सवाल बनकर उभरा है। जब पाठ्यक्रम में बदलाव 'तेजी' से हो रहा हो तो 'शिक्षक' इस संभावना को खोजना जरूरी है कि वह नयी अकादमिक स्थितियों से सामंजस्य कर सके और जरूरत हो तो उनसे मुकाबला भी कर सके। नवीन पाठ्यचर्या पर आधारित इस पुस्तक के माध्यम से यह अपेक्षा है कि प्रशिक्षु अपनी नई भूमिका में बच्चों को उन स्थितियों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में मदद करेंगे जिनमें वे रहते हैं। बच्चे विभिन्न माध्यमों पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परिवेश इत्यादि से दिए जाने वाले 'ज्ञान' को मात्र स्वीकार न करें बल्कि उन पर प्रश्न चिह्न भी लगा सकें।

ऐसी आदर्श शैक्षिक स्थिति का निर्माण एक सक्षम शिक्षक या शिक्षिका के माध्यम से ही हो सकता है, जिसकी तैयारी इस विषय पर विभिन्न इकाइयों के विषयवस्तु के माध्यम से की गई है। प्रयास यह किया गया है कि प्रस्तुत पठन सामग्री, सरल, तथ्यात्मक रूप से सटीक, विषयवस्तु में निरंतरता बनाए हुए हो। यथास्थान गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सक्रिय रूप से सहभागिता निभाने का अवसर दिया गया। आशा है आप इस पाठ्यसामग्री के माध्यम से शिक्षा के समकालीन आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे।

अंत में, यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पठन सामग्री को आप अंतिम ना मानें। इसके साथ-साथ प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और विभिन्न प्रकार की ICT सामग्रियों को भी अपने अध्ययन का हिस्सा अनिवार्य रूप से बनाएँ, तभी आपकी समझ में खुलापन और जिज्ञासा बनी रह पाएगी, अन्यथा आपका विद्यालयी शिक्षण का कार्य नीरस हो जाएगा। इस पाठ्यपुस्तक को और संवर्धित करने के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे।

निदेशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

पाठ्य पुस्तक विकास समूह

पत्र—F-5

(भाषा की समझ तथा आरम्भिक भाषा विकास)

दिशाबोध	श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना श्री सज्जन राजसेकर, भा.प्र.से., निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना डॉ० एस.पी.सिन्हा, सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
समन्वयक	डॉ० सुरेन्द्र कुमार, विभागाध्यक्ष भाषा एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, एस. सी.ई.आर.टी. बिहार, पटना
लेखक समूह	डॉ० सुमन कुमार सिंह, उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय, कौड़िया बसंती, भगवानपुर हाट, सीवान श्री क्रीत प्रसाद, मध्य विद्यालय, गौढ़ापर, चंडी, नालंदा
	डॉ० विक्रान्त भास्कर, व्याख्याता, डायट, खगड़िया
	श्री सच्चिदानंद सिंह, साधुलाल पृथ्वीचंद उ० मा० विद्यालय, छपरा, सारण
समीक्षक	डॉ० जयप्रकाश कुमार, व्याख्याता, डायट, सोनपुर, सारण डॉ० नूतन कुमारी, व्याख्याता, डायट, किलाघाट, दरभंगा

पाठ—सूची

इकाई	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1	भाषा की प्रकृति	09 - 26
2	भाषायी विविधता व बहुभाषिकता	27 - 45
3	बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा	46 - 84
4	संदर्भ सूची	85

इकाई

1

भाषा की प्रकृति



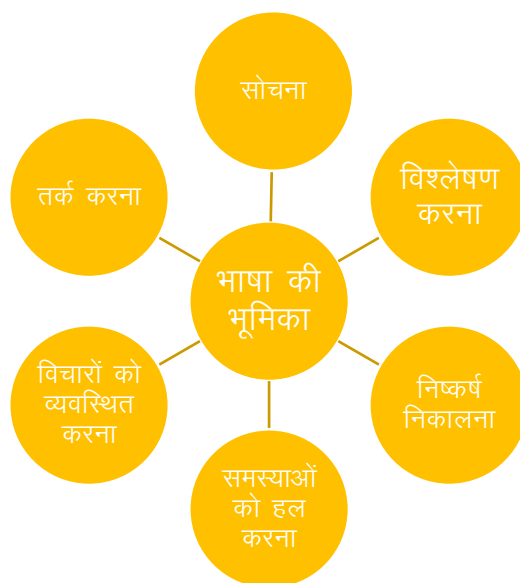
परिचय

भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात को किसी और को बता पाता है। भाषा हमारे परिवेश में कई रूपों में मौजूद है। बोलने और सुनने में भाषा की मौखिक रूप दिखाई पड़ती है और लिपि के रूप में इसका लिखित रूप देखने को मिलता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर पाता है, जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है। भाषा की सबसे प्रचलित परिभाषा यह है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, परन्तु यह भाषा की बहुत ही सीमित परिकल्पना है। सामान्यतः भाषा को संप्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संप्रेषण की विषयवस्तु का सृजन किस प्रकार होता है। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, लेकिन भाषा का सृजन सहज मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भाषा को संप्रेषण के रूप में समझने के साथ-साथ, भाषा के सृजन की प्रक्रिया को समझना भी आवश्यक है।

• भाषा का अर्थ

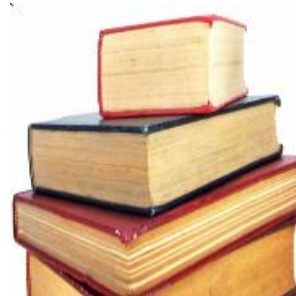
भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष्' धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है — 'कहना' या 'बोलना' अर्थात् भाषा विचारों के विनिमय (अभिव्यक्ति) का माध्यम होता है। महाकवि दंडी ने काव्यादर्श में लिखा है, "वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते" अर्थात् वाणी के माध्यम से ही लोक-व्यवहार की सिद्धि होती है। भाषा पर विचार करते समय हम प्रायः इसकी संप्रेषणात्मक शक्ति में सिमट कर रह जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि भाषा

में सम्प्रेषण की शक्ति का आधार क्या है? जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कहना क्या भाषा की शुरुआत है? हम जितनी भी वस्तुओं का नाम जानते हैं, उन वस्तुओं को उस नाम से जानने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? ऑस्ट्रेलियाई भाषाविद् हैलिडे के अनुसार, जब हम कुछ भी सीखते हैं तो अर्थ निकालकर समझ बनाते हैं। अर्थ निर्माण के लिए भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। निम्न आकृतियों में भाषा के विविध स्वरूपों को दर्शाया गया है।



• भाषा : प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में

मान लीजिए एक वस्तु लेते हैं 'किताब' अंग्रेजी में इसे 'BOOK' कहते हैं। अब चाहे किताब मानो या BOOK, इन शब्दों में क्या कुछ ऐसा है कि किताब नाम की वस्तु को देखकर किताब ही कहा गया? क्या किताब शब्द में आने वाली ध्वनियों तथा किताब नाम की वस्तु में कोई प्राकृतिक संबंध है? जाहिर है कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो किताब नाम की वस्तु को व्यक्त करने के लिए BOOK शब्द में निहित ध्वनियों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। यहाँ आपको मनमानापन नजर आ जाएगा। इस मनमानेपन के कारण ही हिन्दी वालों ने किताब को किताब तथा अंग्रेजी भाषियों ने BOOK कहा। इसी प्रकार संसार की अन्य भाषाओं में इसके लिए अलग-अलग ध्वनियों का उपयोग किया गया। भाषा की उत्पत्ति में निहित इस मनमानेपन को 'यादृच्छिकता' भी कहा जाता है।



भाषा को समझने तथा इसके विकास की सही दिशा में बढ़ने के लिए भाषा की उत्पत्ति में निहित मनमानेपन को समझना आवश्यक है। हमारे सामने जब भी कोई अनजान वस्तु, भाव, स्थान, व्यक्ति इत्यादि आते हैं तो उनके बारे में दूसरों को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम उनको कोई नाम देना चाहते हैं। इसी नाम के माध्यम से हम उसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं। नाम देने का काम भाषा के द्वारा लिया जाने वाला सबसे

बुनियादी काम है। कहने का अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियाँ असल में, जीवन में आने वाले अर्थों को प्रतीकों के रूप में पेश करती हैं। प्रतीक पहचानने पर ही बोले गए का आशय समझा जाता है।

इस प्रकार, भाषा को एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जो प्रतीकों का इस्तेमाल करके संप्रेषण करती है। जैसे, 'किताब' किसी खास वस्तु का प्रतीक है और इसमें इन उच्चारणों – कि, ता, ब को एक निश्चित क्रम में जोड़कर ही यह प्रतीक का काम कर रही है। साथ ही, हमने देखा कि वाक्य और शब्द आपस में निश्चित नियमों से बँधे होते हैं। बहुत साधारण स्तर पर भाषा को मौखिक, लिखित या सांकेतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उपयोग 4–5 साल के बच्चे भी भली-भाँति कर पाते हैं।

इस चुनौती से निबटने के लिए एक तरीका है कि ताली की बजाय मुँह से निकली ध्वनियों का उपयोग किया जाए। आपको पहाड़ के बारे में बताना हो तो पत्थर और मुट्ठी की बजाए पहाड़ के लिए एक ध्वनि प्रतीक गढ़ लिया जाए। इस तरह से अलग-अलग वस्तुओं के

“पहाड़ क्या होता है, यह समझाने के लिए अगर पहाड़ को ही सामने हाजिर करना पड़ता, तो किस मुसीबत में पड़ते आप? मान भी लें कि आप बड़े ही बहादुर हैं, फिर भी अजीब मुसीबत होती कि आपकी पूँछ देखने के लिए अच्छी-खासी भीड़ जमा हो जाती? गंध-मादन पहाड़ को कौन उठा लाया था? हनुमान ही तो? समझना और समझाना इससे आसानी से तो पत्थर का एक टुकड़ा यह काम कर सकता। अगर हम यह मान लें कि पत्थर के टुकड़े को सामने रख देने पर पहाड़ समझा जाए, तो फिर पहाड़ को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह नदी के लिए धागा, पेड़ के लिए किसी तिनके से काम चल सकता था।

ऐसा भी हो जाए कि भारी के लिए हल्की, बड़ी के लिए छोटी चीज़ से समझाने का काम लिया जा सके, तो भी सब समय पहाड़ साथ लादकर चलना पड़े। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कब कौन-सी बात समझाने की आवश्यकता आ पड़े। सो किसी भी चीज़ को छोड़ा तो नहीं जा सकता। मान लीजिए आप रास्ते से गुज़र रहे हैं। किसी से हो गई भेंट। उसे रोककर आप किसी पेड़ की बात समझाना चाहते हैं। ऐसे में झोली में से तिनका निकालना पड़ेगा। आप उसे रोकेंगे, फिर झोली में हाथ डालकर तिनका ढूँढ़ने लग जाएँगे। पत्थर का टुकड़ा मिल रहा है, धागा हाथ में आ रहा है, पर चीज़ों की उस भीड़ में कम्बख्त तिनका किसी तरह नहीं मिल रहा। सुबह से साँझ तक की परेशानी के बाद जब वह मिला तो आप देखते हैं कि ऊबकर वह आदमी ही कब का जा चुका है, जिसे समझाने के लिए आपको इतनी झंझट झेलनी पड़ी।”

(देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय द्वारा सम्पादित पुस्तक, 'जानने की बातें' 2011 (पृष्ठ सं. 11–18))

लिए

अलग-अलग ध्वनि प्रतीक गढ़ लेना अधिक सुविधाजनक है। न तो वजन उठाना पड़ेगा और न ही सीमित इशारों की कमी के कारण होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ऊपर के उद्धरण में प्रस्तुत चुनौती से निबटने के लिए **देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय** ने अपने द्वारा सम्पादित पुस्तक **जानने की बातें** में कहा है कि किसी बात को समझाने के लिए मुँह से निकली ध्वनियों का उपयोग किया जाए।

उपर्युक्त चर्चा से इस तथ्य का पता चलता है कि भाषा के मूल में ध्वनि प्रतीकों की रचना करने की प्रक्रिया है।

एडवर्ड सापियर (1961) अमरीकी भाषाविद् ने भाषा को संप्रेषण का साधन मानने के विचार का वैकल्पिक विचार पेश किया है। उनका विचार है, “यह स्वीकार कर लेना सबसे उचित होगा कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवृत्ति की वाचिक प्रस्तुति है। वाचिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुति का अर्थ है अनुभव को जाने-पहचाने रूप में ढालकर, न कि प्रत्यक्ष रूप से सामना करके, वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति।” ब्रिटेन द्वारा उद्धरित सापियर के इस विचार को छोटे-छोटे सवालों में विभाजित करने से इसे चेतना में उतारना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। वाणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य वास्तविकता को प्रतीकों में ढालना है। हम वास्तविकता को प्रतीकों में क्यों ढालते हैं? ऐसा करने से वास्तविकता को संभालना संभव हो पाता है। संभाल पाने की स्थिति के बाद ही वास्तविकता पर क्रियाशील हुआ जा सकता है। क्या हम वास्तविकता का निरूपण इसे संभालने तथा इस पर क्रियाशील होने मात्र के लिए करते हैं? मनुष्य द्वारा प्रतीक-निर्माण के विचार को इन गतिविधियों तक सीमित करना गलती होगी। वास्तव में यदि हम मनुष्य को अपने संसार का निरूपण करने वाले के रूप में देखते हैं ताकि वह इस निरूपण पर क्रियाशील हो सके तो अन्य तरह की गतिविधियों का रास्ता भी उसके लिए खुला होता है। वह सीधे तौर पर स्वयं निरूपण के अनुसार क्रियाशील होता है। वह इस बात का चुनाव भी कर सकता है कि वह निरूपण पर क्रियाशील हो तथा संसार के अपने द्वारा किए गए निरूपण में सुधार करे। यह कार्य वह लगातार नए प्रतीकों को गढ़कर करता है। **लेंगर** ने इंसान को तेजी से प्रतीक गढ़ने वाले (*Proliferator of symbols*) की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि इंसान मस्तिष्क प्रतीकों की अविरल धारा से निर्मित होता है।” (रावत, 2005: पृष्ठ सं. 9)।

उपर्युक्त उद्धरण से भी इस तथ्य पर रोशनी पड़ती है कि पहाड़ को पहाड़ के रूप में सम्भाल कर अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाना अनेक प्रकार की जटिलताएँ पेश करता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के लिए वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में ढालकर उपयोग करना भाषा के निर्माण की पहली शर्त है।

● भाषा समझ के माध्यम के रूप में

भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। इसके जरिए हम संसार को समझने के लिए वाचिक प्रतीक गढ़ते हैं। इन प्रतीकों से इंसान को वह सहारा मिलता है जिसके माध्यम से वह ठोस चीजों से स्वतंत्र होकर उन पर विचार तथा बात कर सकते/सकती हैं। इस प्रकार भाषा संप्रेषण के माध्यम से पहले प्रतीक गढ़ने का माध्यम है। इन प्रतीकों के जरिए विचार करते हुए हमारी समझ बनती है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है। अब सवाल यह उठता है कि समझ बनने का अर्थ क्या है तथा इसमें भाषा क्या भूमिका निभाती है? इस सवाल को चार स्तरों पर समझा जा सकता है।

- मूर्त अनुभव
- ठोस अनुभूतियाँ
- अमूर्त संकल्पनाएँ (गणित, आत्मा, ईश्वर, इत्यादि) तथा
- सामान्यीकृत संकल्पनाएँ (वर्गीकरण)

“कोई घटना B किसी घटना A के बाद घटी। इसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि घटना A कभी भी दोबारा नहीं घटेगी। लेकिन इस बात की पहचान कर लेना बिल्कुल अलग मामला है कि B प्रकार की घटना A प्रकार की घटना के बाद घटती है। अनुभव से ही सीखा जाता है। जब कभी भी A प्रकार की घटना घटे हम B प्रकार की घटना का पूर्वानुमान लगा सकें। यहाँ पर सवाल उठता है कि जानवर भी व्यवहारों की ऐसी श्रृंखला को पहचान लेते हैं जिसमें A प्रकार की घटना के बाद B प्रकार की घटना घटती है। ऐसे में इंसान और जानवर में क्या अन्तर है? इंसान किसी अन्य जीव की तुलना में अनन्त संख्या में अधिक कोटियों (category) को निर्मित कर सकते हैं, संभाल सकते हैं तथा इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा, इंसान के लिए कोटियाँ बनाने का प्रमुख साधन है।”

(बीरेन्द्र सिंह रावत, 2005: पृष्ठ सं. 10)

मूर्त अनुभव

मान लीजिए आप किसी फूल को देख रहे हैं। यह आपका फूल के साथ ठोस अनुभव है। आप उसके बारे में समझ बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि उस फूल के बारे में समझ बनाने का क्या अर्थ है? फूल के बारे में समझ बनाने के घटक वाचिक प्रतीक उसके रंग, खुशबू, आकार, पंखुड़ियों का प्रकार, सुंदरता इत्यादि हो सकते हैं। जब इन प्रतीकों को रचा जाएगा और रचे जा चुके प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा तभी कहा जा सकता है कि आपकी उस फूल के बारे में समझ बन रही है। उस फूल के रंग, आकार आदि के बारे में आपकी समझ जितनी स्पष्ट होगी उसके बारे में आपके द्वारा किया जाने वाला सम्प्रेषण भी उतना ही सटीक हो सकता है।



ठोस अनुभूतियाँ

मान लीजिए किसी सफर में आपके सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा/बैठी है। उसके व्यवहार से आपके मन में कुछ भाव जगते हैं। ये भाव उस व्यक्ति के संदर्भ में आपकी अनुभूतियाँ होंगी। यदि आप यह समझ पा रहे हैं कि ये कैसी अनुभूतियाँ हैं? यदि आप इन अनुभूतियों को कोई सही नाम दे पाने में सफल होते हैं? यदि आप उन अनुभूतियों की तीव्रता को समझ कर उस तीव्रता को कोई नाम दे पा रहे हैं तो मानना चाहिए कि आप उन अनुभूतियों के संदर्भ में अपनी समझ बना रहे हैं। इस प्रकार से बनी समझ आपके सम्प्रेषण का आधार बनेगी।

अमूर्त संकल्पनाएँ

अमूर्त संकल्पनाओं पर विचार करने के लिए गणितीय संकल्पनाएँ मददगार होंगी। गणित में रेखा को एक ऐसे बिंदु पथ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। इसी प्रकार बिंदु (point) को विमाओं युक्त किन्तु स्थान न घेरने वाली संकल्पना के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखा तथा बिंदु उदाहरण हैं अमूर्त संकल्पनाओं के जो न तो मूर्त अनुभव और न ही ठोस अनुभूतियों के दायरे में आती हैं? ये मानसिक प्रक्रियाओं के तहत गणित के ज्ञान को सटीक बनाने के लिए अमूर्तता के स्तर पर सृजित की जाती हैं। जैसे-जैसे आप गणितीय ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे आपको ऐसी संकल्पनाओं के बारे में समझ बनाने की जरूरत महसूस होगी। तभी आप इनसे जुड़े गणितीय ज्ञान के बारे में उपयुक्त बातें कह पाएँगे।

सामान्यीकृत संकल्पनाएँ

मान लीजिए आप अपने दोस्त/सहेली से कहते/कहती हैं कि वह आपके घर आते हुए फल लेता/लेती आए। वह आम लेकर आया/आई। आप कहें कि अरे मैंने फल मंगवाए थे, तुम तो आम ले आए। फल कहाँ हैं? आपका दोस्त/सहेली कहेगा/कहेंगी कि आम भी फल होता है। आप कहे थे कि मुझे तो फल चाहिए। इस प्रसंग में भाषा की दृष्टि से कौन-सी बात महत्वपूर्ण है? वास्तव में फल तो कुछ होता नहीं। फल के प्रकार होते हैं। आम, संतरा, केला, अमरुद, जामुन इत्यादि जैसे ठोस रूपों का सामान्यीकृत नाम है फल। फल ऐसी अवधारणा है जो स्वयं ठोस रूप में नहीं मिलती लेकिन उसके विशिष्टीकृत रूप मिलते हैं। विशिष्ट फलों से फल नाम की कोटि का निर्माण करने से हमें फलों को उनके गुणों के आधार पर अन्य अवधारणाओं, जैसे सब्जियों से अलग करने में मदद मिलती है। अलग से सामान्यीकृत कोटि की रचना करने से हमारी अलग-अलग फलों के सदर्थ में कुछ ऐसी समझ बनती है जिसे सभी फलों पर लागू किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से आपको भाषा की समझ तथा सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में समझने में मदद मिली होगी।

● भाषा सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में

भाषा सम्प्रेषण के रूप में एक सशक्त माध्यम है जिससे मानव को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण कर पाने, अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाने, निष्कर्ष निकालने जैसी प्रक्रियाएँ के काबिल बनाती है। भाषा सम्प्रेषण की प्रक्रियाएँ सीखने-सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार भाषा सभी विषयों के सीखने में बुनियाद का काम करती है।

यदि हम छोटे बच्चों के सीखने के प्रक्रियाओं पर गौर करें तो पाएँगे कि छोटे बच्चों के सीखने में उनके अपने समूह में विभिन्न अनुभवों एवं घटनाओं पर चर्चाएँ, खेल-कूद आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में इन प्रक्रियाओं द्वारा सीखना भी भाषा के माध्यम से ही होता है। आस्ट्रेलियाई भाषाविद् हैलिडे के अनुसार, जब हम कुछ भी सीखते हैं तो अर्थ निकाल कर समझ बनाते हैं। अर्थ निर्माण के लिए भाषा सम्प्रेषण ही सबसे महत्वपूर्ण

प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समझ से सम्प्रेषण की प्रक्रिया एकतरफा है। सम्प्रेषण से हमारी समझ बेहतर बन सकती है क्योंकि सम्प्रेषण एक ही चीज के बारे में एक-से-अधिक प्रकार की समझ पर संवाद करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। अक्सर हम 2-3 साल के बच्चों को आपस में बातचीत करते हुए सुनते रहते हैं। बच्चे किसी काम में जुटे रहते हैं और भाषा प्रयोग भी करते रहते हैं। बच्चों के सामान्य भाषाई सम्प्रेषण का अवलोकन करने पर हम उनकी भाषाई क्षमताओं को समझ सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है –

उदाहरण-1: पापा दूध

तेरह-चौदह माह की खुशबू पापा की गोद में बैठ कर चाँदनी रात में छत पर घूम रही थी। उसने कहा— पापा दूध। पिता को उसकी बात सुनकर लगा कि खुशबू को नीचे जाना है, वह दूध पीना चाहती है। जब वे उसे लेकर नीचे जाने लगे तो खुशबू ने रोकर नीचे जाने से मना किया। उसने फिर चाँद की तरफ उंगली उठाते हुए कहा — पापा दूध। उसके लिए चाँद एक नई चीज थी और हर एक सफेद चीज़ दूध। पापा ने आश्चर्य से कहा — ओह, तुम्हें चाँद देखना है। वे खुशबू को चाँद के बारे में लोरी सुनाने लगे। अब वह बहुत खुश थी।

उदाहरण-2: रहने दो, मैं खुद सोच लूँगी

तीन साल की मोनी ने सुबह-सुबह उठते ही अपनी माँ से कहा—मम्मी, सोच कर बताओ, मैं आज नाश्ते में क्या खाऊँ? माँ ने कहा — नाश्ते में पराठा खा लो। मोनी ने कहा— नहीं खाना मुझे पराठा। उसकी माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली — आमलेट खाओगी? मोनी ने कहा — मम्मी तुम रहने दो, मैं खुद सोच लूँगी।

खुशबू और मोनी दोनों ही अपनी भाषा का उपयोग कर पा रहे हैं। छोटे बच्चों में बोलने, सीखने की आश्चर्यजनक, लगभग जादुई क्षमताएँ हैं। बच्चों के साथ वार्तालाप के दौरान, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों या वाक्यों को सुनकर हम वयस्क हैरान रह जाते हैं। केवल यही नहीं, अपने परिवेश में मौजूद भाषाओं के बीच बच्चे, वयस्कों से बेहतर भाषा सीखने की क्षमता दिखाते हैं। और—तो—और, प्रवासियों के बच्चे भाषाओं को सुनते-सुनते नई प्रकार की भाषाएँ गढ़ने तक की क्षमता दर्शाते हैं। यह क्षमता कुदरती और जैविक ढंग से इंसानों को हासिल है।

● मानव-भाषा और पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों की भाषा में अंतर

समस्त प्राणी जगत का सीधा सम्बन्ध भाषा से है। भाषा ऐसी निधि है जिसके बिना समस्त प्राणी जगत संवाद विहीन है। अतः भाषा के महत्त्व को समझे बिना प्राणी जगत की विकास यात्रा को नहीं समझा जा सकता। भाषा की सामान्य परिभाषा के अनुसार अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। इस अर्थ में और समझ के रूप में मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि की भाषा समानधर्म विशेषता से युक्त है। परन्तु वास्तविकता इससे इतर सत्य का संकेत करती है। आइए, इस तथ्य को मनुष्य और पशु की भाषा की विशेषताओं के साथ समझने का प्रयास करें। मनुष्य की सभ्यता के विकास का अहम् पहलू भाषा, आग, पहिया का आविष्कार और उसका प्रयोग है। मनुष्य अपनी शारीरिक संरचना के अनुरूप जिस आदिम भाषा का

आरंभ में प्रयोग करता था, वह जीव विज्ञान के अध्ययन का विषय हो सकता है जैसा कि जीव विज्ञानी आज भी पशु और पक्षी की भाषा का अध्ययन उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर करते हैं। परन्तु मनुष्य की भाषा का अध्ययन आज जीव-विज्ञान का विषय न होकर भाषा-विज्ञान का है। क्यों? क्योंकि भाषा-विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा “भाषा ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक प्रणाली है, जिसके माध्यम से मनुष्य का समूह अथवा समाज आपस में विचारों का आदान-प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की भाषा की विशेषताएँ हैं —

1. मनुष्य की भाषा समूह अथवा समाज का अंग है।
2. मनुष्य की भाषा ‘यादृच्छिक’ होती है।
3. मनुष्य की भाषा सुव्यवस्थित प्रणाली है।
4. मनुष्य की भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसे सबको सीखना पड़ता है।
5. मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था है।

इन कसौटियों पर जब हम पशु अथवा पक्षी की भाषा को कसते हैं तो फर्क साफ़ नजर आता है। मनुष्य की भाषा समूह में ही व्यवहरित होती है जबकि अन्य प्राणी भाषा का प्रयोग ज्यादातर वैयक्तिक तौर पर ही करते हैं। पशुओं की भाषा यादृच्छिक प्रणाली से युक्त नहीं होती। अतः वे मनुष्य की तरह शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। पशुओं की भाषा सुनिश्चित प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अतः उनका अध्ययन और उनकी भाषा का अर्जन करना अत्यंत जटिल है। जबकि मनुष्य की भाषा निश्चित प्रणाली पर व्याकरणबद्ध होती है जिसे कोई भी मनुष्य आसानी और मेहनत से सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर, अंग्रेज हिन्दी सीख सकता है, हिन्दी बोलने वाला अंग्रेजी सीख सकता है। लेकिन शेर कुत्ता अथवा किसी अन्य चौपाये की भाषा नहीं सीख सकता। उसी तरह कोयल कौआ की भाषा नहीं सीख सकती। मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था है। जबकि इस रूप में पशुओं की भाषा में प्राकृतिक एकरूपता मिलती है, जैसे— शेर की दहाड़, कोयल की मिठास, मोर की आवाज, कुत्ते का भौंकना स्थान परिवर्तन के बावजूद लगभग एक समान होता है। उनकी प्रतिक्रिया एक समान रहती है। इस रूप में मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की निजी विशेषता और समाज के अनुसार अलग-अलग सांस्कृतिक व्यवस्था होती है।

इन तथ्यों के साथ ही मनुष्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है काल बोध और उसकी अभिव्यक्ति। मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध को अलग-अलग व्यक्त कर सकता है, जबकि पशु-पक्षी काल को भाषाबद्ध नहीं कर सकते। भाषा के विकसित रूप के फलस्वरूप ही मनुष्य ने निरंतर ज्ञान का संचय काल के अनुरूप किया और कर रहा है। जबकि पशु-पक्षियों की भाषा अपने आदिम रूप में ही विद्यमान है। इनकी भाषा शारीरिक संरचना का हिस्सा है /न कि सामूहिक प्रयास का।

हम संप्रेषण के लिए अपने मुख तथा शरीर का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि बंधे हुए हाथ हमारे रक्षात्मक होने को दर्शाते हैं। पशु भी बिना बोले संप्रेषण करते हैं। वस्तुतः उनका बिना बोले किया जाने वाला संप्रेषण हमारे संप्रेषण से काफी उन्नत है। उदाहरणस्वरूप,

शिकार करते समय जानवर अपनी रणनीति का संकेत देता है, पूँछ की स्थिति यह बताती है कि कब पीछा करना है और कब अपने समूह में वापस लौटना है। पूँछ का हिलाया जाना तात्कालिकता एवं आवश्यकता को दर्शाता है। कभी-कभी जानवर पूँछ को हिलाकर खतरे का संकेत भी अपने समूह को देता है। कुछ जानवर विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों के द्वारा आने वाली समस्या को रेखांकित करता है। जंगल की आत्मा और बोलने वाले पेड़ के बारे में हम बाल्यकाल से कहानियों, दंतकथाओं और फंतासी फिल्मों में सुनते रहे हैं। यह बातें वास्तव में काल्पनिक नहीं हैं। पुस्तक **द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज** के अनुसार पेड़ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि उनमें याददाश्त भी होती है। पुस्तक में वर्णित है कि वे एक जीव की तरह ही मदद के लिए या संकट के समय एक-दूसरे को चेतावनी देने के लिए फंगल नेटवर्क के जरिए रासायनिक संकेत प्रेषित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि एक पेड़ अपने पड़ोस के पेड़ को पानी की कमी के बारे में सतर्क करना चाहता है तो उसके तने में कंपन होने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों में स्वार्थ, स्पर्श, गंध, सुनने और महसूस करने की विशेषताएँ भी होती हैं और वे इसे अन्य पशुओं की तरह प्रदर्शित भी करते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जैसे जीव-जंतु सम्प्रेषण के लिए ध्वनि ग्रंथि का प्रयोग करते हैं, वैसे ही पेड़-पौधों में जलकण की सहायता से सम्प्रेषण कैसे होता है और पेड़-पौधे सुनते कैसे हैं? इसके जवाब में लेखक **पीटर वोहलेबेन** एक प्रयोग का उदाहरण देते हैं, जिसमें अनाज के बीज के अंकुरण के समय उनकी जड़ों से उत्पन्न होने वाले अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की ओर आसपास के अन्य अंकुरों की जड़ें मुड़ गई थी।

पर्यावरणविद् **मेनका गाँधी** के शब्दों में पशु सम्प्रेषण क्यों करते हैं? अपने क्षेत्र को निर्धारित करने, भोजन तथा पानी बाँटने, स्तर स्थापित करने, चेतावनी देने, प्रवास के मार्गों हेतु समन्वय करने, सखा को रिझाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को हतोत्साहित करने के लिए। मानव के समान ही उनका जीवित रहना इस पर ही निर्भर करता है।

प्रकाश का उपयोग करने वालों में बिना रीढ़ वाले पशु तथा मछलियाँ शामिल हैं। झींगे एक-दूसरे को पीली-हरी रोशनी से संकेत देते हैं। किसी एक ट्रॉपिकल मैन्टिस झींगे पर चमकने वाला पीला निशान किसी दूसरे मैन्टिस झींगे को 40 मीटर दूर से भी दिख जाता है। नर जुगनू लगातार कुछ 'मार्स' डॉट चमकाता है। मादा ठीक दो सेकंड पश्चात चमकाकर उसका जवाब देती है।

नर एकदम सटीक समय अंतराल पर छोड़ी गई रोशनी के पीछे जाता है। मादा जुगनू इस पैटर्न को समझ लेती है और एक लुभावना संदेश छोड़ती है। शक न करने वाला नर वहाँ पहुँचकर पाता है कि वह कोई प्रेमी नहीं बल्कि भक्षक है।

रंग पशु संचार का एक अभिन्न भाग है। गाढ़े रंग वाले कीड़े अकसर जहरीले होते हैं। मक्खियों तथा सिन्दूरी माँथ कैटरपिलर की काली तथा पीली धारियाँ संभावित भक्षकों को सचेत कर देती हैं। कुछ मेंढक खतरा होने पर चमकीले रंग के पेट को दिखाने लगते हैं। सामना किए जाने पर नर कटलफिश के मुख का रंग बदलने लगता है। यदि यह हल्के रंग का है तो वह लड़ाई नहीं करेगा और यदि उसका रंग गाढ़ा है तो वह लड़ाई करेगा।

रीढ़ वाले पशु मुख के हाव-भाव तथा शरीर की मुद्राओं का मिलाकर उपयोग करते हैं। कोई हिंसक पशु अपने को बड़ा कर लेता है — पीछे की ओर तनकर बाल खड़े करके, पंख

फैलाकर गले की थैली को फुलाकर सिर फैलाकर। एक गुस्से वाला गोरिल्ला अपनी जीभ बाहर निकालता है। इसके विपरीत एक विनीत पशु अपने को सिकोड़ लेता है और जमीन पर रेंगने लगता है। कुत्ता अपने आगे के पैरों को मोड़कर अपनी कोहनियों पर आराम करते हुए अपने पिछले भाग को ऊँचा उठा लेता है और उसका सिर ऊपर की ओर लहरा रहा होता है जो खेलने के लिए समय का संकेत होता है। यह एक ऐसी है क्रिया जो लोमड़ियों तथा भेड़ियों में भी होती है। शेर के बच्चे भी आपसे लड़ाई का खेल खेलते हैं, जिसमें वे वयस्कों द्वारा आवश्यक होने वाले कौशलों की नकल करते हैं। आपस में खेलने वाले पशु अपने धीमे हाव-भाव और छिपाए गए पंजों से यह बताते हैं कि वे खेल-खेल में ऐसा कर रहे हैं। शिकार करते समय भेड़िया अपनी रणनीति का संकेत देता है। पूँछ की स्थिति यह बताती है कि पीछा करना है और वापस लौटना है, उसे हिलाया जाना तात्कालिकता को दर्शाता है। खरगोशों की तरह सफेद पूँछ वाले हिरण अपनी पूँछ को लहराकर खतरे का संकेत देते हैं। पानी की चिड़िया अपने सिर को हिलाकर अथवा ठोड़ी को उठाकर उड़ने की मंशा को संप्रेषित करती है, ताकि समूचा झुंड एक साथ उड़े। शिकार करते समय भेड़िया अपनी रणनीति का संकेत देता है। पूँछ की स्थिति यह बताती है कि पीछा करना है और वापस लौटना है। उसे हिलाया जाना तात्कालिकता को दर्शाता है। मधुमक्खी को अपने उड़ने के नृत्य की आवाज मकरन्द की दूरी तथा दिशा बताती है। उनकी जानबूझकर की जानी वाली दौड़ तथा शोर भोजन के संबंध में सूर्य की स्थिति से सीधे संबंधित होती है। उदाहरण के लिए 6 से 12 बजे तक मधुमक्खी की दौड़ का अर्थ है कि भोजन सूर्य की दिशा में है। उनके नृत्य की गति भोजन से दूरी को बताती है, न कि छत्ते से दूरी को। न केवल यह नृत्य भोजन की मौजूदगी के बारे में बताता है, बल्कि इसके प्रकार के बारे में भी बताता है। सुनाई देने वाला संचार आवाज के द्वारा ही होना आवश्यक नहीं है। किसी खतरे का संकेत बीवर अपनी पूँछ को जोर से मारकर, दीमक अपने सिर को घोंसले की सामग्री में खटखटाकर और कंगारू अपनी पिछली टाँगों को बजाकर देते हैं। संकेत देने का एक और तरीका स्ट्रीड्यूलेशन है – वह आवाज जो कीड़ों के मध्य अपने कुछ शरीर के भागों को आपस में रगड़कर उत्पन्न की जाती है। नर झिंगुर अपने आगे के पंखों को आपस में रगड़कर संकेत देता है। प्रत्येक स्ट्रोक से एक आवाज निकलती है जिसकी समूची शृंखला एक ऐसा संकेत बना देती है जो साथ-साथ संदेश भेजती है, मादाओं को आमंत्रित करने का और प्रतिस्पर्धी को दूर भगाने का। कुछ हमिंग बर्ड की फुसफुसाहट तथा सीटियाँ उनके पीछे के पंखों से उत्पन्न होती हैं। हाथियों का संचार वास्तव में जटिल है। आपस में जुड़ी हुई सूँढ़ें दोस्ती दर्शाती हैं, जबकि सूँढ़ उठाकर चिल्लाना और कानों को फड़फड़ाना खतरे का संकेत देते हैं। ये लंबी दूरी पर संचार हेतु भूकम्पीय संकेतों का भी उपयोग करते हैं। जोर से पैर पटकने पर भूमि में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि लगभग 20 मील तक जा सकती हैं। हाथियों के पैर खतरों के इन संकेतों को पहचान लेते हैं। अन्य पशु जो भूकम्पीय कंपनों के द्वारा संप्रेषण करते हैं उनमें हाथी, सील तथा कई प्रकार के कीड़े, मछलियाँ तथा रेंगने वाले जीव शामिल होते हैं। नर वूल्फ मकड़ी प्रेम हेतु प्रस्ताव में दृश्य तथा कंपन दोनों संकेतों का उपयोग करते हैं। पशुओं का संचार अंतर-प्रजाति तथा अंतरा-प्रजाति दोनों होता है। जिस जीव के लिए वह संदेश अपेक्षित होता है वह संचार के तरीके को समझ लेता है। हम मानते थे कि मानव अनूठे होते हैं। अब लिखित भाषा ही हमारी एकमात्र विशिष्ट विशेषता है और किसी दिन अनुसंधानकर्ता दर्शाएँगे कि पशुओं के पास भी यह समर्थता होती है।

● भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था

क्या बोली जानी वाली सभी भाषाएँ नियमबद्ध हैं या उनमें से कुछ ही भाषाएँ? क्या भारत या दुनिया में अलग-अलग समूहों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बिना नियमों के चलती हैं? इस भाग में हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। आखिर हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि अमुक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, भाषा न होकर बोली है क्योंकि उसका व्याकरण नहीं है। अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं का ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के स्तर पर विश्लेषण करके पता लगाइए कि क्या उनमें नियम हैं या वे भाषाएँ मनमाने तरीके से उपयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर भाषा के नियमों के बारे में बात करने का मकसद किसी भाषा-विशेष के नियमों को सीखना नहीं है। बल्कि कुछ भाषाओं के कुछ नियमों से वह आधार तैयार करना है, जिससे विभिन्न भाषाओं के नियमों का विश्लेषण किया जा सकता है।

ध्वनि संरचना

भाषा मूल रूप में बोली जाती है यानि वह वाचिक होती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों का वर्गीकरण मिलता है। हिन्दी में स्वर और व्यंजन दो वर्ग हैं। अंग्रेजी में Vowel तथा Consonant नाम से ध्वनियों के दो वर्ग मिलते हैं। शब्द में पाई जाने वाली ध्वनियाँ किन्हीं नियमों का पालन करती हैं। अलग-अलग भाषाओं में स्वरों तथा व्यंजनों की संख्या भिन्न होती है, लेकिन संसार की हर भाषा में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। शब्द में हर सार्थक ध्वनि का महत्त्व होता है। जिन ध्वनियों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं वे सार्थक ध्वनियाँ कहलाती हैं।

उदाहरण-1

भाषा	A	B
अंग्रेजी	Hill	Heel
हिन्दी	मिल	मील

उदाहरण-1 में अंग्रेजी तथा हिन्दी के एक-एक शब्द दिए गए हैं। A तथा B कॉलम में दिए गए शब्दों में इ तथा ई का अन्तर है, जैसे मिल में छोटी इ की मात्रा है तथा मील में बड़ी ई की सार्थक ध्वनियाँ हैं।

उदाहरण-2

भाषा	A	B
अंग्रेजी	Pill	Hill
हिन्दी	पल	हल

उदाहरण-2 में अंग्रेजी के दो व्यंजनों p की जगह h को या h की जगह p को स्थानान्तरित कर देने से hill तथा Pill दो अलग शब्द बनते हैं, जिनके अर्थ भिन्न हैं।

इसी प्रकार हिन्दी के पल तथा हल में प तथा ह को स्थानान्तरित कर देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इससे पता चलता है कि हिन्दी तथा अंग्रेजी में प तथा ह सार्थक ध्वनियाँ हैं।

प्रत्येक भाषा के शब्दों में स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों की व्यवस्था नियमबद्ध है। यदि स्वर के लिए V तथा व्यंजन के लिए C संकेत माने तो यह व्यवस्था सामान्यतः CVCV की होती है यानि दो व्यंजन ध्वनियों के बीच एक स्वर ध्वनि आती है, जैसे – कब, क्+अ+ब् +अ। किन्हीं शब्दों में एक साथ दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं, जैसे– मिट्टी, म्+इ+ट्+ट्+इ में एक साथ दो व्यंजन (ट्) ध्वनियाँ आ रही हैं। हर भाषा में शब्दों की संख्या बहुत कम होती है, जिनमें तीन या उससे अधिक व्यंजन एक साथ आते हों।

शब्द संरचना

शब्द की संरचना के अन्तर्गत 'शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपान्तर और व्युत्पत्ति' (गुरु, 2010: 57) को समझा जाता है। हर भाषा में शब्दों के भेद होते हैं उनमें शब्दों को रूपान्तरित किया जा सकता है तथा हर भाषा में नए शब्द-निर्माण की खास प्रक्रिया होती है। जैसे शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, प्रश्न वाचक, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति इत्यादि कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा की कोटि में रखा जाता है। अगर हम किसी पाठ का एक अनुच्छेद लें और उसमें ऐसे शब्दों की पहचान करें जो संज्ञा की कोटि में शामिल होने लायक हैं, तो हम पाएंगे कि छूट गए शब्दों को किन्हीं और कोटियों में रखा जा सकता है।

इसी प्रकार अंग्रेजी में शब्दों को noun, pronoun, adjective, verb, gender इत्यादि की कोटि में रखा जा सकता है। ऐसी कोटियाँ संसार की सभी भाषाओं में बनती हैं। इस आधार पर समस्त भाषाओं में एकरूपता पाई जाती है। संसार की सभी भाषाओं में शब्दों का रूपान्तरण होता है। उदाहरण के लिए संज्ञा शब्दों का विशेषण में रूपान्तरण सभी भाषाओं में पाया जाता है। प्रत्येक भाषा के रूपान्तरण के अपने नियम हैं। उन नियमों को पहचाना जा सकता है।

भाषा	संज्ञा	विशेषण
अंग्रेजी	Rain	Rainy
	Sun	Sunny
हिन्दी	रंग	रंगीला
	खर्च	खर्चीला

रंग तथा खर्च में ईला जोड़ देने से उनमें रूपांतरण हो जाता है और वे विशेषण बन जाते हैं। इसी प्रकार Rain तथा Sun में ई (y) जोड़ देने से वे Rainy तथा Sunny में रूपांतरित होकर विशेषण बन जाते हैं।

वाक्य संरचना

किसी भी भाषा के वाक्य में मौजूद बुनियादी घटक, जैसे कर्ता, कर्म, और क्रिया की व्यवस्था से किसी वाक्य की संरचना बनती है, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली, मगही या कोई अन्य भाषा। प्रत्येक में वाक्य के घटक किसी निश्चित क्रम में होने पर ही वाक्य की रचना करते हैं।

वाक्य-1 इकबाल आम खाता है।

वाक्य-1 में चार पद हैं। इन पदों को अलग-अलग क्रम में 24 तरह से लगाया जा सकता है। जैसे:

क्रम-1 आम इकबाल खाता है।

क्रम-2 खाता इकबाल आम है। आदि

क्या क्रम-1 तथा क्रम-2 को हिन्दी में वाक्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? इसके लिए कुछ और वाक्यों पर विचार करें।

वाक्य-2 सीता ने पारिवारिक हिंसा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई।

वाक्य-3 फुलवा सामंत के व्यवहार से नहीं डरा।

वाक्य-2 में शामिल पदों को 36,28,800 क्रमों में लगाया जा सकता है। वाक्य-3 को 5,040 क्रमों में लगाया जा सकता है। विचार करके देखिए कि वाक्य-2 के 36,28,800 क्रमों में से कितनों को हिन्दी में वाक्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। मुख्यतः एक क्रम को और बलाघात के कारण एकाध किसी और क्रम को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि हिन्दी की वाक्य संरचना कर्ता-कर्म-क्रिया की होती है। यानि वाक्य-1 में इकबाल (कर्ता), आम (कर्म) तथा खाता है (क्रिया), जब कर्ता-कर्म-क्रिया के क्रम में व्यवस्थित होंगे तभी उन्हें हिन्दी का वाक्य माना जा सकता है।

भाषा में वाक्य संरचना के होने को विश्लेषित करने के लिए कर्ता, कर्म तथा क्रिया के सम्बन्ध पर विचार करते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए वाक्यों को देखा जा सकता है:

वाक्य	हिन्दी	अंग्रेजी
1	इतवा खाना खाता है।	Itwa eats food.
2	सलमा खाना खाती है।	Salma eats food.
3	तू खाना खाता है।	You eat food.
4	तुम खाना खाते हो।	You eat food.
5	तुम खाना खाती हो।	You eat food.
6	आप खाना खाती हैं।	You eat food.
7	आप खाना खाते हैं।	You eat food.
8	मैं खाना खाता हूँ।	I eat food.

वाक्य	हिन्दी	अंग्रेजी
9	मैं खाना खाती हूँ।	I eat food.
10	हम खाना खाते हैं।	We eat food.
11	हम खाना खाती हैं।	We eat food.

ऊपर हिन्दी तथा अंग्रेजी के ग्यारह वाक्य दिए गए हैं। हिन्दी के वाक्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हिन्दी में क्रिया, कर्ता के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार बदलती है। हिन्दी में लिंग, वचन तथा पुरुष के हिसाब से क्रिया (सहायक क्रिया सहित) के आठ रूप मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसमें लिंग, वचन तथा पुरुष के हिसाब से क्रिया के दो रूप मिलते हैं। अंग्रेजी में कर्ता तथा क्रिया में जो संबंध मिलता है, वह हिन्दी में कर्ता तथा क्रिया के बीच मिलने वाले संबंध से भिन्न है, लेकिन जैसा भी संबंध है, वह नियमबद्ध है।

संवाद संरचना

किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संवाद को संभव बनाने के कुछ नियम होते हैं। यह संभव है कि दो लोगों द्वारा कही गई बातें ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के स्तर पर उपयुक्त हों, यानि उन बातों में ध्वनि, शब्द तथा वाक्य की संरचना के नियमों का पालन किया गया हो, लेकिन वे बातें संवाद के स्तर पर अर्थहीन हों। इस बात को समझने के लिए आइए नीचे दिए जा रहे दृश्य-1 पर विचार करें:

दृश्य-1

पहला व्यक्ति	कहो भई, क्या हाल है?
दूसरा व्यक्ति	सब्जी ला रहा हूँ।
पहला व्यक्ति	काम धंधा कैसा चल रहा है?
दूसरा व्यक्ति	टमाटर 20 रुपये किलो हैं।
पहला व्यक्ति	परिवार के लोग कैसे हैं?
दूसरा व्यक्ति	अभी शाम को ही पकाऊँगा।

दृश्य-1 में दोनों व्यक्तियों द्वारा तीन-तीन वाक्य बोले गए हैं। लेकिन किन्हीं भी दो वाक्यों में कोई संदर्भगत संबंध नहीं है। इसलिए यह संवाद की स्थिति नहीं है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के संदर्भों से अपरिचित होकर अपने-अपने संदर्भों की बात कर रहे हैं। उनके बीच कोई साझा संदर्भ नहीं है।

दृश्य-2 पर विचार करें—

दृश्य-2

पहला व्यक्ति	कहो भई, क्या हाल है?
--------------	----------------------

दूसरा व्यक्ति	आपकी कृपा से सब ठीक है।
पहला व्यक्ति	काम धंधा कैसा चल रहा है?
दूसरा व्यक्ति	आजकल कुछ मंदा है।
पहला व्यक्ति	परिवार के लोग कैसे हैं?
दूसरा व्यक्ति	सभी स्वस्थ हैं।

अब दृश्य-1 तथा दृश्य-2 की तुलना कीजिए। इनमें से किस दृश्य में संवाद हो रहा है?

दृश्य-2 में पहले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के सन्दर्भ को समझकर दूसरा व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। दोनों की बातचीत का सन्दर्भ साझा है। दोनों एक-दूसरे को सुन-समझ रहे हैं। दोनों द्वारा की गई बातों में ऐसे शब्द हैं जो दोनों के बीच संबंध जोड़ते हैं। जैसे **हाल** का संबंध **ठीक** से है। काम के चलने का संबंध **मंदा** से है। **परिवार के लोग कैसे हैं** का संबंध **स्वस्थ हैं** से है। इसलिए संवाद की कुछ जरूरी शर्तों में पहली है बात करने वालों के बीच संदर्भ की साझेदारी। दूसरी शर्त है दूसरों द्वारा कही जा रही बात को सुनना-समझना। तीसरी शर्त है सुनी गई बात के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहना। कक्षाओं में विद्यार्थी-शिक्षक/ शिक्षिका को संवाद की स्थितियाँ सृजित करने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है।

ऊपर बताई गई शर्तें उनको मदद कर सकती हैं।

● भाषा की विशेषताएँ

भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। यह भाषा की एक विशेषता है। ये प्रतीक मनमाने (यादृच्छिक) तौर पर गढ़े जाते हैं। यह भाषा की दूसरी विशेषता है। भाषा की कुछ और विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

भाषा अर्जित संपत्ति है

भाषा को परिवेश से अर्जित किया जाता है। भाषा किसी को आनुवांशिक रूप में नहीं मिलती। हाँ, भाषा सीख सकने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। लेकिन उस क्षमता के द्वारा भाषा का अर्जन हो सके, इसके लिए परिवेशगत भाषा में लोगों के साथ अन्तःक्रिया करनी पड़ती है।

भाषा की विशेषताएँ —

- भाषा अर्जित संपत्ति है
- भाषा व्यावहारिक कुशलता है
- भाषा प्रतीकात्मक है
- भाषा साधन है
- भाषा समाज का चित्रण करती है
- भाषा परिवर्तनशील है

जो लोग जिस परिवेश में रहते हैं वे भाषा सीख सकने की जन्मजात क्षमता के आधार पर उस परिवेश में बोली जाने वाली भाषा/भाषाएँ सीख सकते हैं।

● भाषा सामाजिक वस्तु है

क्या भाषा किसी एक व्यक्ति की हो सकती है? इस प्रश्न पर दार्शनिक **विटिंगस्टाइन** ने अपनी पुस्तक *The Philosophical Investigation* में विस्तार से विचार किया है। उनके अनुसार भाषा किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं अपने उपयोग के लिए किताब को पत्थर, पानी को फूल और कागज को आकाश कहता हूँ। इसी प्रकार मैं स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुओं के उपलब्ध प्रतीकों को बदल देता हूँ। इतने सारे प्रतीकों को बिना सामूहिक संदर्भ तथा सहायता के याद रखना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि यदि मुझे स्वयं से बात करनी है तो इसके लिए मुझे प्रतीक गढ़ने की क्या आवश्यकता है? प्रतीक गढ़ने का अर्थ ही है कि मैं उसका उपयोग किसी और को समझाने के लिए करना चाहता हूँ। इन आधारों पर भाषा को सामाजिक वस्तु माना जाता है।

• निश्चित से अनंत की रचना

माना जाता है कि पशु-पक्षी ध्वनियों का उपयोग अपनी बात संप्रेषित करने के लिए करते हैं। लेकिन उनके पास जितनी संख्या में आधारभूत ध्वनियाँ होती हैं उनका उपयोग उनकी संख्या तक सीमित होता है। इनके विपरीत मनुष्य सीमित ध्वनियों से अनंत शब्दों का निर्माण कर उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अलग-अलग भाषाओं स्वरों तथा व्यंजनों की संख्या सीमित है। ये भाषा की आधारभूत ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के विभिन्न संयोगों से मनुष्य ने शब्दों का अनंत भंडार बनाया तथा आगे भी बनाता रहेगा। भाषा के इसी गुण के कारण उसमें परिवर्तनशीलता तथा बढ़ते रहने के गुण पाए जाते हैं।

• भाषा नियमबद्ध होती है।

हम विस्तार से पढ़ चुके हैं कि भाषाएँ नियमबद्ध होती हैं। इसपर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।



समेकन

सम्प्रेषण के मुकाम तक पहुँचने से पहले इंसानी मस्तिष्क भाषा के माध्यम से कुछ जरूरी काम लेता है। उनमें से बुनियादी है, वाचिक प्रतीकों की रचना करना। इन्हीं प्रतीकों की वजह से इंसान ठोस संसार से स्वतंत्र होकर भी उस पर बात कर सकता/सकती है।

भाषा के जरिए हम दुनिया के साथ संबंध बनाते हैं। यही संबंध हमारी समझ का तथा बाद में सम्प्रेषण का आधार बनता है। हमने समझा कि व्याकरण नियमों के स्तर पर हर भाषा नियमबद्ध होती है। इसलिए हमें यह कहने का कोई हक नहीं है कि अमुक भाषा, भाषा की कोटि में रखने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसका व्याकरण नहीं है। किसी भाषा के बारे में यह कहना कि वह व्याकरण रहित है, एक ऐसी बात है जिसे जरा से प्रयास से खारिज किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि तमाम भाषाओं के प्रति तार्किक तथा सम्मानजनक नजरिया विकसित किया जाए। हिंदी भाषा शिक्षण पर आधारित इस इकाई में हमने बखूबी समझा कि भाषा महज नियमों द्वारा संचालित सिर्फ व्यवस्था भर नहीं है। न ही संप्रेषण का माध्यम भर। यह मानवीय व्यवहार का वह अटूट हिस्सा है, जिसमें सपने, संघर्ष और यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। विभिन्न भाषाई कौशलों को अर्जित करना स्कूली शिक्षा

का अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी बच्चे/ बच्ची के जीवन की शुरुआत घरेलू भाषाओं से होती है, पर उस भाषा के साथ जैसे ही वे अपने स्कूल में दाखिल होते हैं, प्रायः उनकी भाषाओं के साथ दुराव का व्यवहार किया जाता है। जबकि सच यह है कि स्कूल में आने से पहले बच्चों के पास, घर में बोली जाने वाली भाषा के व्याकरण और उसकी भंगिमाओं की समझ हो चुकी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए, जिसमें उसकी भाषा के प्रति दुराव का नहीं, बल्कि अपनत्व का व्यवहार हो।

जब भाषा को हम एक ऐसा औजार कहते हैं, जिसका उपयोग ज़िन्दगी को समझने, उससे जुड़ने और जीवन जगत को प्रकट करने के लिए करते हैं, तब सहज ही हमारा ध्यान भाषा शिक्षण से अर्जित कौशलों की तरफ जाता है। उन कौशलों की पहचान हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के रूप में करा सकते हैं। भाषा के जरिए हम एक-दूसरे के अनुभवों से जुड़ते हैं। इसमें बोलने की अहम भूमिका होती है। बोलने की प्रक्रिया में लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। साथ ही वे एक-दूसरे के साथ घटित को महसूस भी करते हैं। बोलने की दक्षताओं में इन सन्दर्भों के शामिल करने पर सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावनाएं बन सकती हैं।

ई-संसाधन

<https://books.google.com/books/about/The Hidden Life of Trees.html?id=WEn4DAAAQBAJ>

- इकाई के विषयवस्तु पर निर्मित आई.सी.टी./ऑडियो-विजुअल/एनिमेशन सामग्री।
- प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित डिजिटल सामग्री, जो इस इकाई से सम्बंधित हों।
- इकाई के विषयवस्तु से सम्बंधित फिल्म, डॉक्युमेंटरी, प्रेजेंटेशन, वेब-रिसोर्स ओपेन रिसोर्स, इत्यादि।

1. www.ncert.nic.in
2. www.nuepa.org
3. <http://www.educationbihar.gov.in>
4. <http://mhrd.gov.in/elementaryeducation>

शब्दावली

यादृच्छिकता : भाषा उच्चारणों से उच्चरित (अध्ययन-विश्लेषणीय) यादृच्छिक (Arbitrary) ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं (तिवारी 1951)। अर्थात् यादृच्छिक भाषा निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार ध्वनि समूह से निर्मित शब्द की अर्थवत्ता नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक न होकर व्यक्ति अथवा समूह इच्छित होती है, जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यही कारण है कि संसार में समस्त समाज की अपनी अलग-अलग भाषाएँ हैं।



मूल्यांकन

1. क्या कारण है कि दुनिया की सभी भाषाओं में किसी एक वस्तु, विचार, व्यक्ति, क्रिया, स्थान के लिए एक ध्वनि प्रतीक नहीं है?
2. भाषा में वाचिक प्रतीक रचना की समझ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को किस प्रकार बेहतर बना सकती है?
3. किसी उदाहरण को आधार बनाकर इस बात का विश्लेषण कीजिए कि भाषा किस प्रकार समझ बनाने का साधन है।
4. किसी संकल्पना, उदाहरण के लिए समानता पर कक्षा में चर्चा कीजिए तथा इस बात का विश्लेषण कीजिए कि संप्रेषण, समझ को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक होता है?
5. बिहार की किसी एक भाषा में निकलने वाले अखबार या प्रकाशित साहित्य के एक छोटे से अंश का शब्द, वाक्य तथा संवाद के स्तर पर विश्लेषण कीजिए तथा यह बताइए कि क्या वह एक नियमबद्ध भाषा है?

संदर्भ सूची:

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एन.सी.ई.आर.टी, दिल्ली
- बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- भाषा की समझ, प्रशिक्षण सामग्री के.जी.बी.वी. उच्च प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षकों के लिए
- कक्षा 1-5 प्रांभिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली
- कक्षा 1-5 प्रांभिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- प्रारम्भिक कक्षाओं में भाषा सीखना-सिखाना प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
- कौपल, भाग-3, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार।
- peter wohlleben : The Hidden Life of Trees

इकाई

2

भाषायी विविधता व बहुभाषिकता



परिचय

जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तब वह सामान्यतः एक-से-अधिक भाषाओं का जानकार होता है। कई बार वह उस भाषा के गीत भी गुनगुनाता है, उनका आनंद लेता है जो उसकी मातृभाषा से इतर होती है। तात्पर्य यह है कि वह अनायास या स्वाभाविक रूप से बहुभाषिक है। इसका मुख्य कारण उसके आस-पास बोली जाने वाली भाषाएँ शामिल हैं जिन्हें वह अलग-अलग परिस्थितियों में सुनता-समझता है। आइए, इस मुद्दे पर थोड़ी गहराई से विचार करें। यह समझने की कोशिश करें कि हमारा देश किस मायने में बहुभाषिक है। यह विदित है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। लेकिन महज आठवीं अनुसूची ही नहीं अन्य कारणों से भी भारत की बहुभाषिकता का अंदाज मिलता है। जिस भाषा की कोई अपनी लिपि न हो या उसके पास कोई बड़ी विरासत न हो तब भी उस भाषा का भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में बड़ा योगदान आंका जा सकता है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि भारत में केवल 22 भाषाएँ ही नहीं बल्कि 1632 भाषाएँ हैं। इसी तरह कुछ लोग भारत को बहुभाषिक इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ टी. वी., अखबार, रेडियो, दफ्तर, शिक्षा, कचहरी आदि का कामकाज एक साथ कई भाषाओं में होता है।

जब हम शिक्षा और भाषा के रिश्ते की पड़ताल करते हैं तब सहज ही हमारा ध्यान कुछ बातों की ओर चला जाता है, जैसे किसी बच्चे का बहुभाषिक होना समस्या है या सीखने का एक बेहतरीन साधन? बच्चे के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में क्या कोई रिश्ता है? स्कूल आने के बाद बच्चे की बहुभाषिकता में कौन-से नए आयाम जुड़ते हैं? इन सवालों के जवाबों की प्रकृति कहीं-न-कहीं कक्षा में भाषा-शिक्षण की प्रकृति को जाने-अनजाने प्रभावित करती है। अतः यह जरूरी है कि हम भाषाई विविधता और

बहुभाषिकता को विभिन्न संदर्भों में समझने की कोशिश करें। साथ ही, इस इकाई का उद्देश्य भारत और विशेष रूप से बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य को समझ सकेंगे एवं बहुभाषिकता के बौद्धिक, शिक्षण शास्त्रीय विविध आयामों को पहचान कर उसका उपयोग कर सकेंगे। भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षात्मक समझ बना सकेंगे।

दरअसल बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं ताकत है। इस शक्ति का बेहतर शिक्षण-शास्त्रीय उपयोग संभव है। ज्ञान की पारंपरिक समझ के मुताबिक भाषा के दो ही खाने हैं – एक, वह जो मानक भाषा है और जिसमें किताबें लिखी जाती हैं और दूसरी वह भाषा जिसके लिए हर कदम पर अशुद्ध होने का विशेषण जड़ा जाता है। इस संदर्भ में राग तैलंग की यह कविता—

भाषाविदों से

भाषा की बिरादरी से
अब बाहर आ गया हूँ
इसके पहले के मुझे
बेदखल कर दिया जाए
मैं खुद छोड़ आया हूँ
उनकी संगत
जो श को स और
क्ष को छ बोलते हैं
उनके बोलने में
मिठास, अपनत्व और स्नेह झलकता है।
उसे देखकर तय किया मैंने
उनके जैसे ही होना
उन्हें लौटाना चाहता हूँ
उनका दिया हुआ सब कुछ
सुद्ध उच्चारण की
हमेसा सभी से अपेक्षा
एक जालेवा अपेक्षा है
खुद भाखा के फैलाव के लिए
यह समझोगे
तभी तो
कहलाओगे
सचमुच के भाषाविद्!

- ♦ आपकी दृष्टि में काव्य नायक क्यों खुद को भाषा की बिरादरी से अलग करने की बात कह रहा है?
- ♦ कवि सचमुच का भाषाविद् किसे मानता है और क्यों?
- ♦ तथाकथित अशुद्ध करने वालों की भाषा में मिठास, अपनत्व और स्नेह क्यों झलकता है?

विचारणीय प्रश्न

जिसे हम मानक भाषा कहते हैं उसके बारे में हमारी समझ कई बार एकदम सतही होती है। जो मानक भाषा हम बोलते या लिखते हैं, उसकी जड़ें विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाओं की स्मृतियाँ का हिस्सा हैं। ऐसे में भाषा के लचीलेपन और बहुरूपी स्वभाव को संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। विभिन्न जातीय या सामुदायिक स्मृतियाँ भाषाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं। कहना न होगा उनके बल पर शिक्षा के वितान (तंबू) का अनंत विस्तार संभव है।

सोनी के बारे में जानें – सोनी अक्सर अपनी कक्षा में चुप रहती है। लेकिन जब खाने की घंटी बजती है तब वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है, खेलती है तो वह वही सोनी नहीं रह जाती। वह अपने दोस्तों के साथ खूब बात करती है, खिलखिलाती है। वापस कक्षा में आने पर जब शिक्षिका पढ़ाने लगती है तो वह फिर से खामोश हो जाती है। वह शिक्षिका की ओर इस तरह देखती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा।

आइए एक केस स्टडी पढ़ते हैं –

सोनी जैसे अनेक बच्चे हैं जिनकी भाषा को कक्षा, विद्यालय में जगह नहीं मिल पाती। शिक्षकों को यह समझना होगा कि जिस तरह वे विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग करने समझने में सहज महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चे भी प्रारंभिक कक्षाओं में

नीचे दिए गए कथनों को अपनी भाषा (मातृभाषा) में बोलिए –

- टिपटिपवा क्या शेर-बाघ से भी बड़ा होता है?
- अरे, जाकर ढूँढ़ उसे गढ़ई-पोखर में।

अपनी भाषा में सहजता अनुभव करते हैं।

आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढाई जाने वाली हिंदी पाठ्य-पुस्तक कक्षा-5 के कॉपल, भाग-3 में इस तरह के अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं ताकि इनका विकास हो सके—

हम जानते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि जीवन की विविध स्थितियों में भाषा का प्रयोग विविध स्वरूपी हो जाता है। भाषा-प्रयोग की यह भिन्नता संप्रेषण के लिए जरूरी है। अपने मित्र से बात करते समय हमारी भाषा का वह स्वरूप नहीं होता जो हम अपने से बड़े अधिकारियों से बात करते समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार खेलों के बारे में बातचीत करते समय हमारे शब्दों और वाक्यों का चयन ठीक नहीं रहता जो कम्प्यूटर के बारे में चर्चा करते समय होता है। यह विविध भाषा-प्रयोग स्थिति और विषय की भिन्नता के कारण है।

‘यहाँ यह कोई अचरज की बात नहीं कि बेटा माँ-बाप से तो भोजपुरी में बात करता है, पुराने दोस्तों से भोजपुरी व हिंदी में, कॉलेज के दोस्तों से हिंदी या अंग्रेजी में व अपने व्यवसाय का सारा काम केवल अंग्रेजी में करता है। यही नहीं, कई परिस्थितियों में तो ऐसा भी होता है कि दो या अधिक भाषाएँ मिल-जुल जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया से भाषाएँ समृद्ध होती हैं न कि खिचड़ी बनती हैं। एक भाषी मापदंडों से बहुभाषी क्षमता को नापा नहीं जा सकता। भाषाएं मरती नहीं, हमारे यहाँ अक्सर बदलती रहती हैं। कोई भी समुदाय अपनी भाषाई पहचान को आसानी से नहीं छोड़ता’ (अग्निहोत्री, 1996:43)। ऐसे बहुभाषी समाज में अनेक भाषाओं की संपदा भाषाई समृद्धि का प्रमाण है। आप यह बखूबी समझते हैं कि अनेक भाषाएँ हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इसे और बेहतर ढंग से इन प्रश्नों के माध्यम से समझा जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न

1. नीचे दी गई स्थितियों/जगहों में आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं?

- घर में माँ-पिता से बातचीत
- विद्यालय में प्रधानाध्यापक से बातचीत
- दवाई की दुकान पर दुकानदार से बातचीत
- मित्रों के साथ बातचीत करते समय

2. टी. वी. के विभिन्न चैनलों और रेडियो के भाषा-प्रयोगों में आप क्या अंतर पाते हैं? आपकी नजर में अंतर के क्या कारण हो सकते हैं?

• भारत का बहुभाषिक परिदृश्य: भारत में भाषाएँ एवं भाषा-परिवार

भाषा के आधार पर यदि संसार की जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक तो आर्य जातियाँ हैं और दूसरी अनार्य जातियाँ। आर्यों के आदि पुरखा पूरे यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप (जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं) में फैल गए थे। यूरोप से ही 17वीं-18वीं शताब्दी में, अर्थात् साम्राज्यवादी युग में, लोग कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाकर रहने लगे। इन सब देशों के आदिवासियों पर यूरोपीय या आर्य परिवार की भाषाओं का इतना प्रभाव पड़ा है कि वहाँ की मूल भाषाएँ

दब-सी गई हैं। अब इन देशों की सामान्य या मुख्य भाषाएँ आर्य परिवार की हैं। विद्वानों ने इस वृहत् परिवार का नाम भारत-यूरोपीय (भारोपीय) रखा है। संसार का सबसे बड़ा भाषा-परिवार यही है। भूमंडल की सकल जनसंख्या में इस भारोपीय (आर्य) परिवार की भाषाएँ बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये भाषाएँ अत्यंत प्रगतिशील, उत्कृष्ट और समृद्धतम हैं। इनका प्रभाव आस-पास की भाषाओं पर बहुत गहरा पड़ता रहा है — जैसे, द्रविड़ भाषाओं पर संस्कृत का, दक्षिणी अमेरिका के आदिवासियों की भाषाओं पर स्पेनिश का एवं अफ्रीका की नीग्रो भाषाओं पर डच और अंग्रेजी का।

मोटे तौर पर आर्य भाषा के 2 वर्ग हैं — (1) यूरोपीय आर्य भाषाएँ और (2) भारत-ईरानी आर्य भाषाएँ। भारत-ईरानी वर्ग की तीन शाखाएँ बताई जाती हैं — (1) ईरानी (ईरान और अफगानिस्तान की भाषाएँ), (2) दरद (कश्मीर और पामिर के पूर्व-दक्षिण की भाषाएँ) और (3) भारतीय आर्य भाषाएँ। धर्म, समाज, साहित्य, कला और संस्कृति की दृष्टि से तथा प्राचीनता, गंभीरता और वैज्ञानिकता के विचार से भारतीय आर्यभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ, ऋग्वेद इसी भाषा में है।

(डॉ. हरदेव बाहरी: हिंदी भाषा: 2009:09)

हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। उन भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता है। सच तो यह है कि हिन्दी का भी कोई एक रूप नहीं है। वह बहुरूपी है। संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षायी हिन्दी, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा, वाणिज्य-व्यवसाय की भाषा के रूप जैसे संदर्भों में हम हिन्दी की पहचान बखूबी कर सकते हैं। हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में विभिन्न रूपों में विकसित हुई जो एक अर्थ में जनतान्त्रिक विकास की विशिष्ट कसौटी कही जा सकती है। बांग्ला, असमिया, उड़िया के संपर्क में विकसित होने वाली हिन्दी का रूप अलग है तो पंजाबी, डोगरी जैसी पश्चिमोत्तर भाषाओं के संपर्क की हिन्दी का रूप अन्य ढंग से विशिष्ट है। उसी तरह द्रविड़ भाषाओं जैसे तेलुगू के संपर्क की हिन्दी और सुदूर पश्चिम की मराठी, कोंकणी के संपर्क की हिन्दी का रूप अलग तरह की सुंदरता धारण किये हुए है। कुल मिलाकर हिन्दी के चार या पाँच रूप ऐसे हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में बने सँवरे।

मानव परिवारों की भाँति भाषाओं को भी 4 परिवारों में बाँटा गया है। भारत में प्रथम दो परिवारों से संबंधित लगभग 1 से 9 भाषाएँ तथा 544 उप भाषाएँ वर्तमान समय में बोली जाती हैं। संस्कृत को छोड़कर यह सभी भारत की अर्वाचीन भाषाएँ हैं, जो विभिन्न भारतीय भूभाग में बोली जाती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। यह आर्यों से संबंधित थी। जाति के मूल निवास के बारे में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। कुछ इन्हें भारत तो कुछ मध्य एशिया उत्तरी ध्रुव प्रदेश का मूलवासी मानते हैं। आगे चलकर यह आर्य जाति पूर्वी व पश्चिमी शाखाओं में विभक्त हो गई। पूर्वी शाखा में सतम शब्द प्रयुक्त हुआ तथा पश्चिमी शाखा में कंटुम शब्द सितंबर की भाषाओं में आर्य जाति की पूर्वी शाखा की भाषाएँ बाल्टिक साल आर्मीनिया ईरानी तथा वैदिक संस्कृत सम्मिलित हैं, जबकि वर्ग में जर्मनी, इटली, यूनानी है। यूनानी भाषाओं से ही यूरोप की वर्तमान भाषाएँ अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, पोलिश, आधुनिक भाषाएँ निकली हैं।

• बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य

ठीक यही स्थिति बिहार की भाषाओं पर भी लागू होती है। जैसे बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी के भी अनेक रूप सहज ही देखे जा सकते हैं।

आरा—बक्सर	बेतिया—सिवान—गोपालगंज	छपरा
हम किताब पढ़ब।	हम किताब पढ़ेम।	हम किताब पढ़ेब।
हम चिट्ठी लिखब।	हम चिट्ठी लिखेम।	हम चिट्ठी लिखेब।

उक्त वाक्यों में क्रियाओं के अलग-अलग रूप नजर आ रहे हैं। यानी, भोजपुरी की बहुरूप प्रकृति स्पष्ट हो रही है। यही भोजपुरी जब उत्तर प्रदेश में जाती है तब अलग रंग में उसका रूप निखरता है। बनारस की भोजपुरी का यह रूप काशिका कहलाता है। पुरानी कहावत है— 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी'।

- आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की मुख्य भाषा की बहुरूपी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए।
- आप अपनी हिंदी की किताब में से किसी एक अंश का अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कीजिए। बताइए कि इनमें आपने क्या अंतर और समानताएँ देखीं?
- हिंदी की कुछ कहावतों को चुनिए और यह देखिए कि अन्य भाषाओं, जैसे

विचारणीय प्रश्न

दरअसल बहुभाषिकता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। उसके व्यापक संदर्भों की चर्चा करने से पहले बिहार की विशेष बहुभाषिक परिस्थिति पर भी नज़र डाली जाए। बिहार की पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2008 के अनुसार बिहार में अनेक बोलियों/भाषाओं का जीवंत सह-अस्तित्व है। घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप में बांग्ला जैसी बोलियाँ हैं। हिंदी/उर्दू स्थानीय न होकर घरेलू भाषा के रूप में उपस्थित हैं। बावजूद इसके इनमें हिंदी और उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा/बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की माध्यम के रूप में तरजीह नहीं दी जाती।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 कहती है — 'भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पाँच-भाषा परिवारों की भाषाएँ नहीं पाई जातीं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके नाम हैं— इंडो-आर्यन, द्रविड़, औस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी। ये भाषाएँ आपस में सतत् संपर्क-संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक-भाषिक विशेषताएँ ऐसी हैं

जो सभी भाषाओं और संस्कृतियों में सदियों से एक-दूसरे को समृद्ध करती रही हैं। शास्त्रीय भाषाएँ, (जैसे— लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और संस्कृत विभक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और क्योंकि अनेक भाषाएँ उनसे शब्द लेती रहती हैं)।

भारत की बहुभाषिकता के संदर्भ में समय-समय पर अनेक विवरण दर्ज किए गए हैं, जिनसे भाषाओं की परिवर्तनशील स्थितियों का भी पता चलता है। आइए, इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े पर एक नजर डालें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना 2001

बोलने वालों की संख्या (जनगणना 1971, 1981, 1991, और 2001 के अनुसार) के घटते क्रम में अनुसूचित भाषाओं का तुलनात्मक स्थान। कुल जनसंख्या की भाषाई आधार पर प्रतिशतता।

नोट —

1. संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया।
2. संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा 1991 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली अनुसूचित भाषाओं में शामिल हुई।
3. 1991 में प्रकाशित प्रतिशतता की तुलना में 1991 में हिन्दी प्रतिशतता में परिवर्तन का कारण हिन्दी में मैथिली को शामिल नहीं करना है।
4. 1981 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर परिकलित की गयी है। इसमें असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि व्यवधान के कारण वहाँ 1981 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।
5. 1981 के लिए तमिल, असमी और बोडो बोलने वालों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि तमिलनाडु के जनगणना संबंधी रिकॉर्ड बाढ़ के कारण ख़त्म/नष्ट हो गए और असम में मौजूद अव्यवस्था के कारण वहाँ 1981 की जनगणना सम्पन्न नहीं हो सकी।
6. 1991 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की जनसंख्या के आधार पर निकाली गयी है। इसमें जम्मू कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है क्योंकि व्यवधान के कारण वहाँ 1991 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।
7. 2001 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर निकाली गयी है। इसमें मणिपुर के सेनापति जिले के माआ-मराम, पाओमाटा और पुरुल सब-डिवीजन की जनसंख्या जनगणना के कारण शामिल नहीं है।
8. 1991 के लिए कश्मीरी और डोगरी बोलने वालों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद अव्यवस्था के कारण 1991 में जनगणना सम्पन्न नहीं हो सकी।
मैथिली बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अलग कर दी गई है क्योंकि 1971

कहना न होगा भारत का भाषाई परिदृश्य अनेक दृष्टियों से संपन्न है। अनेक भाषाएँ एक-दूसरे के सानिध्य में फलती-फूलती और बदलती हैं। भारत की बहुभाषिकता इसी आवा जाही का परिणाम है।

इस संदर्भ में **प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री** का कहना है कि बहुभाषिकता भारत के लिए कोई समस्या न होकर एक संपदा है। कई भाषाओं को अपने आप में समेट लेना व अन्य देश-विदेश की भाषाओं से स्वतंत्रतापूर्वक आदान-प्रदान करना, भारतीय व्यक्ति व समाज के लिए एक सामान्य बात है। यहाँ यह कोई अचरज की बात नहीं कि बेटा, माँ-बाप से तो भोजपुरी में बात करता है, पुराने दोस्तों से भोजपुरी व हिन्दी में, कॉलेज के दोस्तों से हिन्दी या अंग्रेजी में व अपने व्यवसाय का सारा काम केवल अंग्रेजी में करता है। यही नहीं कई परिस्थितियों में तो ऐसा भी होता है कि दो या अधिक भाषाएँ मिलजुल जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया में भाषाएँ समृद्ध होती हैं न कि खिचड़ी बनती है।

प्रसिद्ध भाषाविद् सुब्बाराव की राय भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वे अपने एक लेख में कहते हैं, 'भले ही भाषाएँ एक-दूसरे से बाह्य रूप से भिन्न हों, भारत की भाषाओं में अंतर्निहित रूप से काफी समानताएँ हैं। पश्चिमी देश मुख्यतः एकभाषी देश है। कई पश्चिमी भाषा वैज्ञानिकों की राय यह है कि इतनी सारी भाषाओं का एक ही क्षेत्र में प्रयोग किए जाने से लोगों को एक-दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। भारत में हर पढ़ा-लिखा व्यक्ति कम-से-कम अपनी मातृभाषा के अलावा एक या दो भाषाएँ तो जानता ही है। वह इन भाषाओं के जरिए रोजमर्रा के कामकाज में रुकावट नहीं बनती। चाहे मजदूर हो या व्यापारी हो या बाबू हो या अफसर, भाषा की वजह से किसी का काम नहीं रुकता'।

इन उद्धरणों से गुजरने के बाद यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारी भाषाई विविधता न तो कोई समस्या है और न ही पिछड़ेपन की निशानी। यह भाषाई समृद्धि का प्रमाण है जिसका शिक्षा-शास्त्रीय उपयोग संभव है।

भारतीय भाषा-विविधता को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हम जानते हैं कि एक-ही भाव अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं में हो सकती है; जैसे इन वाक्यों को देखिए –

- ❖ मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। (हिंदी)
- ❖ हमरा रसगुल्ला नीक लगइत अछि (मैथिली)
- ❖ हूं रसगुल्ला पसंद करूं छूं। (गुजराती)
- ❖ हमरा रसगुल्ला ठीक लागइछैय (अंगिका)
- ❖ मने रसगुल्लो हाउळ लागे। (मेवाड़ी राजस्थानी)

नीचे दिए गए हिंदी के वाक्यों को किन्हीं तीन अलग भाषाओं में किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे?

1. आप कहाँ जा रहे हैं?
2. अरे, देखो काले बादल आ गए।
- 3- बच्चों ने कागज़ की नाव बनाई।

❖ ननगे रसगुल्ला बहाव्ठा इस्ता। (कन्नड़)

यदि इन अभिव्यक्तियों पर गौर किया जाए तो देखा जा सकता है कि भले ही एक कथन अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया है लेकिन उनमें संरचनागत समानता झलकती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ भारतीय भाषाओं में इतनी समानता न हो। लेकिन असल बात यह है कि भाषाई विविधता अभिव्यक्ति की विविधता और सृजनात्मकता के द्वार खोलती है।

विचारणीय प्रश्न

बताइए

- भारत में कितने भाषा परिवार हैं?
- अपने आस-पास के भाषा प्रयोगों के आधार पर बताइए कि आपके क्षेत्र में कितनी और कौन-कौन सी भाषाएँ बोली/समझी जाती हैं?
- नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए कि ये किस भाषा के शब्द हैं?
 - चाकू, गिलास, अखबार, कार, कार्य, टिकिट, कानून।
- क्या आपको लगता है कि शब्दों को किसी भाषा विशेष के साथ ही बांधकर रखा जा सकता है? क्यों?
- किन्हीं तीन स्थानीय अखबारों की एक-एक प्रति को अध्ययन करके भाषा की बहुभाषिक विशेषताओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

• भाषा और बोली

आइए, बात की शुरुआत कुछ शब्दों पर विचार करने से करते हैं:

शब्द 1. पगा

शब्द 2. बोल्यो

शब्द 3. कारज

अगर यह पूछा जाए कि उपयुक्त तीन शब्द बोली के हैं या भाषा के तो अधिकांश लोग कहेंगे ये बोली के शब्द हैं। अब नीचे दिए जा रहे तीन शब्दों पर भी विचार कीजिए।

शब्द 4. नेवता

शब्द 5. रोट

शब्द 6. पाहुन

शब्द 4, 5 तथा 6 को भी अधिकांश लोग बोली के शब्द मानेंगे। आइए इस बहस को आगे बढ़ाते हुए उन मानदंडों पर विचार करते हैं जो भाषा और बोली में अन्तर करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

अन्तर करने के मानदंड :

(क) व्याकरण

(ख) मानकीकृत रूप

(ग) क्षेत्र

(घ) बोलने वालों की संख्या

(ड.) लिखित साहित्य इत्यादि

इनमें से एकाधिक मानदंडों पर अलग-अलग भाषाओं का विश्लेषण करके देखते हैं।

आइए शब्द 4, 5 तथा 6 से एक-एक वाक्य बनाते हैं, जैसे—

वाक्य 1 — केहू के बोला खातिर नेवता भेजल जा ला।

वाक्य 2 — फगुआ में रोट के परसादी बने ला।

वाक्य 3 — हमरा गाँव में पाहुन के खूब खातिर होला।

उपर्युक्त तीन वाक्यों पर बोली और भाषा में अन्तर करने से पहले 'व्याकरण' के मानदंड को लगाकर देखते हैं।

वाक्य— 1 में आठ पद हैं। इन आठ पदों को $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40320$ तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए नीचे दिए जा रहे वाक्य का उदाहरण देखिए—

वाक्य 4 — तुम कौन हो ?

वाक्य 4 में तीन पद शामिल हैं। इन पदों को नीचे दिए गए $3 \times 2 \times 1 = 6$ तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है।

- i. तुम कौन हो?
- ii. तुम हो कौन?
- iii. हो कौन तुम?
- iv. हो तुम कौन?
- v. कौन तुम हो?
- vi. कौन हो तुम?

वाक्य-4 के पदों के उपर्युक्त 6 क्रमों में से कितने क्रमों को वाक्य के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है?

अब विचार करके देखिए कि वाक्य 1 के 8 पदों के क्रमों 40320 क्रमों में से कितने क्रमों को स्वीकृत किया जा सकता है? यदि 40320 क्रमों में से केवल दो या तीन रूप ही स्वीकृत हो सकते हैं तो इसका क्या कारण है? वाक्य 1 मैथिली का है। वाक्य की व्याकरणिक संरचना के मानदंड के आधार पर बताइए वाक्य 1 तथा वाक्य 4 व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? क्या वाक्य — 1 तथा वाक्य — 4 के पदों के सभी क्रमों को स्वीकार किया जा सकता है? जाहिर है मैथिली (वाक्य-1) तथा हिन्दी (वाक्य-4) के वाक्य, व्याकरण के अनुसार हैं। तो क्या व्याकरण के आधार पर मैथिली को बोली कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार वाक्य-2 तथा वाक्य-3 का विश्लेषण कर बताइए की क्या व्याकरणिक दृष्टि से इन पर भाषा या बोली होने का लेबल लगाया जा सकता है?

“किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछकर देखिए, वह अत्यधिक विश्वास से आपको भाषा व बोली में अंतर बताने लगेगा। कहेगा, “भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का स्थानीय। भाषा मानकीकृत व परिमार्जित होती है, बोली नहीं। जिसका प्रयोग साहित्य, पत्राचार, दफ्तरों, अदालतों आदि में हो वह भाषा और जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल हो वह बोली। भाषा में शुद्ध-अशुद्ध का प्रश्न उठता है, बोली में सब चलता है आदि, आदि।”

वास्तव में इस तरह के सभी तर्क गलत हैं, समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। भाषाई दृष्टि से भाषा व बोली में कोई अंतर नहीं। दोनों का व्याकरण होता है। दोनों नियमबद्ध हैं। किसको भाषा कहा जाएगा और किसको बोली यह एक सामाजिक प्रश्न है; राजनैतिक प्रश्न है। सत्ताधारी व पैसे वाले लोग अक्सर जो बोली बोलते हैं, वह भाषा कहलाने लगती है। उसी के व्याकरण व शब्दकोष लिखे जाते हैं। उसी में साहित्य लिखा जाता है। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनकर वही बोली मानकीकृत भाषा बन बैठती है। उसी से मिलते-जुलते, बात-चीत करने के अन्य तरीके उस भाषा की बोलियाँ कहलाने लगते हैं। भाषा व समाज के इस रिश्ते को समझना आवश्यक है।”

(अग्निहोत्री, 1996 : 39)।

मैथिली को साहित्य, क्षेत्र, व्याकरण तथा मानकीकरण के आधार पर भाषा कहें या बोली? क्या साहित्यिक कृतियों की कोई तय संख्या है जिससे कम संख्या में जिस भाषा में साहित्य की पुस्तकें मिलेंगी उसे बोली कहा जाएगा। यदि बोलने वालों की संख्या को आधार बताया जाए तो सिंधी तथा मणिपुरी को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कोटि में शामिल करने का क्या कारण है? भारत में 0.25% लोग सिंधी भाषा बोलते हैं और 0.14% लोग मणिपुरी बोलते हैं। यानि 10,000 लोगों में 25 लोग

सिंधी और 14 लोग मणिपुरी बोलते हैं। जबकि 10,000 लोगों में 118 यानि (1.18%) लोग मैथिली बोलते हैं। अगर संख्या भाषा और बोली में अंतर करने का आधार है तो आठवीं अनुसूची में मैथिली को स्थान न देने का कारण क्या है। इस आधार पर संख्या के आधार पर भाषा और बोली में अंतर करने का तर्क खारिज हो जाता है।

इस प्रकार “लिपि के प्रश्न को लीजिए। अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं जैसे भाषा व लिपि का कोई जन्मजात संबंध हो। वास्तव में संसार की सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं और एक ही भाषा को लिखने के लिए आप संसार की सभी लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा व देवनागरी व रोमन लिपि को लीजिए:-

हिन्दी (देवनागरी) :

मोहन खेल रहा है।

हिन्दी (रोमन) :

Mohan khel rahaa hai.

अंग्रेजी (रोमन) :

Mohan is playing.

अंग्रेजी (देवनागरी) :

मोहन इज़ प्लेइंग।

भारत की अनेक भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं व एक संस्कृत को लिखने के लिए भारत में ही अनेक लिपियों का प्रयोग होता है। ऐसा भी नहीं है कि लिपि होने से ही किसी भाषा में साहित्य की संभावना होती है। ऋग्वेद जैसे साहित्य के लिए सदियों किसी लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारे भारत में फिर भी ऋग्वेद का वाचन एक ही तरह से होता है। गाँव-गाँव में रामचरितमानस नित गाया, सुना जाता है लिपि की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा प्राचीन है; लिपि अभी कल का आविष्कार। लिपि होने न होने से भाषा-बोली में अंतर करना संभव नहीं। आप कुछ दोस्त मिलकर अपनी भाषा के लिए बड़ी आसानी से अपनी एक अलग लिपि बना सकते हैं। उसे कितना राजनैतिक समर्थन मिलेगा वह एक अलग बात है। संधाली आज कई लिपियों में लिखी जाती है देवनागरी, रोमन, बंगला, उड़िया व ओल चिककी। इनमें से कौन-सी लिपि मानकीकृत हो जाएगी यह एक राजनैतिक प्रश्न है।”

(वही : 41)।

• बहुभाषिकता के आयाम: बौद्धिक और शिक्षण-शास्त्रीय आयाम

आपने अपने आस-पास और अपनी कक्षाओं में यह देखा होगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न भाषाओं का सहज प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। भाषा के क्षेत्र में किए गए शोध यह बताते हैं कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक रिश्ता है। एन.सी.ई.आर.टी. के भारतीय भाषाओं का शिक्षण आधार पत्र में अनेक शोधों का उल्लेख करते हुए बताया है कि कैसे भाषिक व्यवहार की विविधता – बहुभाषिक समाजों में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता ही प्रदान करती है। बहुभाषिकता के संदर्भ में आधार-पत्र की अनुशंसा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को दबाने की बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत – बहुभाषिकतावाद से मिलते आ रहे फायदों को दबाने/कमजोर करने का काम किया है। 'अब पछताए होत क्या जब चिड़िया

चुग गई खेत' वाली स्थिति से बचना हो तो तत्काल हमारी शिक्षा व्यवस्था के योजनाकारों को शिक्षा में भाषा की उक्त खासियत (की महत्ता को समझते हुए) को केंद्रीय स्थान देने की पहल करनी होगी।

दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी ज्यादा रचनात्मक होते हैं। साथ ही उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई गई है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि बहुभाषी बच्चे विविध सोच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

बहुभाषिकता के संदर्भ में हुए अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि जो बच्चे सीखने के दौरान एक-से-अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करते हैं। उनमें सीखने की प्रक्रिया के साथ ही रचनात्मकता और समाजिक सहिष्णुता जैसे गुणों का बेहतरीन विकास होता है।

बहुभाषिकता से ही जुड़ा एक मसला त्रिभाषा सूत्र है। अनेक शिक्षा आयोगों ने इसे लागू करने की सिफारिश की। जरूरत इस बात की है कि संक्षेप में त्रिभाषा सूत्र पर एक नजर डालें। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (www.languageinindia.com) में भाषा के विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सका और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। इस तरह की स्थिति कई जटिल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है और यह धारणा बना लेती है कि 1960 से भाषाओं के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि 1968 की नीति का ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं हुआ। 1968 की नीति के अनुसार:

- पहली भाषा जो स्कूल में पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा
- द्वितीय भाषा
 - हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और
 - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तृतीय भाषा
 - हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
 - गैर-हिंदी भाषा राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ-साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो।

विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर भी हिंदी/अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें।

त्रिभाषा सूत्र भाषा के लिए कोई लक्ष्य या सीमा निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह तो उस यात्रा का प्रस्थान बिंदु मात्र है जिसमें लगातार फैलते हुए ज्ञान की खोज और देश की भावनात्मक एकता की तलाश है। इस तरह अपनी मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं (खासकर दक्षिण भारतीय भाषा) का, और हिंदीतर राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी का प्रावधान प्रस्तावित करता है। लेकिन इसके प्रति प्रतिबद्धता से ज्यादा इसका अतिक्रमण करते हुए ही पाया गया है हिंदी भाषी राज्यों ने हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत और गैर-हिंदी राज्य खासकर तमिलनाडु द्विभाषी सूत्र यानी तमिल और अंग्रेजी से काम चलाते हैं। तथापि बहुत सारे राज्य त्रिभाषी सूत्र को अपनाए हुए हैं, जैसे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएँ भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषायी जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती है।

संविधान में बहुभाषिकता के संदर्भ को संवेदनशीलता से समाहित किया गया है। **अनुच्छेद 350** के आलोक में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सभी राज्यों को प्रयास करने है। अपवादस्वरूप अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और मदरसों को छोड़ दें तो विद्यालयों में हिंदी लगभग तमाम बच्चों के लिए आमतौर पर प्रथम भाषा है, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत कम हैं जिनकी घरेलू भाषा और प्रथम स्कूली भाषा के बीच फर्क न हो। बिहार की पाठ्यचर्या 2008 की प्रस्तावना को इस संदर्भ में देखना दीगर होगा यह आवश्यक है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा घरेलू भाषा अथवा स्थानीय बोली को स्वीकार किया जाए। हिंदी के साथ ऐसे बच्चों का परिचय बढ़ाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक मानक हिंदी अथवा सही हिंदी का प्रयोग ही न करें, क्योंकि आज की नई परिस्थितियों में शिक्षार्थियों के लिए हिंदी आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण आधार होगी।

इस प्रकार बहुभाषिकता, न केवल बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है बल्कि वह भारत के भाषा-परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण भी है। कहना न होगा उसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। निःसंदेह यह उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं है बल्कि इसके आधार पर किसी को पीछे न छोड़ दिया जाए।

• भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय संविधान भाषाओं के संदर्भ में कौन-सा रुख अपनाता है। संविधान में धारा 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा रूप का विश्लेषण किया गया है। यानी प्रशासनिक भाषा के स्वरूपों पर संविधान अपना रुख स्पष्ट करता है। एक ऐसे देश में जहाँ अनेक भाषा परिवारों की भाषा बोलने वालों के बीच स्वाभाविक जनतंत्र है, वहाँ संविधान इस बात के लिए खासतौर पर सचेत रहा कि भाषाओं के नाम पर घमासान न मचे। भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्चित किया कि विभिन्न अभिव्यक्त-भाषाओं को समुचित स्थान मिले। इसी संदर्भ में आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। ध्यान रहे केवल हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि संविधान

की आठवीं अनुसूची में 1950 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। ये 14 भाषाएँ थीं — असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू। इस सूची में 21वें संविधान संशोधन (1967) ने सिन्धी भाषा को जोड़ा। इसी तरह 71वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को भी सूची में स्थान दिया गया। इस तरह फिलहाल संविधान में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई राज्य अपनी भाषाओं को इस सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं।

आइए, अब संविधान की भाषाई धाराओं यानि 343 से 351 तक के प्रावधानों का सार समझें।

भारतीय संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। धारा 343 ख के अनुसार अंग्रेजी को सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरुआत में 15 वर्षों तक दिया गया था। हालाँकि 1963 के ऑफिसियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह-राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक अथवा हिन्दी को राज्य की राजभाषा बनाएँ। अनुच्छेद 345 की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में हिंदी व गुजराती भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल ने क्रमशः तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया और बांग्ला को अपनी-अपनी राजभाषा बनाया। सिक्किम ने नेपाली, लेपचा, लिंबू और भूटिया को अपनी राजभाषाएँ घोषित किया। नागालैंड ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाया। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा मेघालय ने किसी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया लेकिन सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहा है। केंद्र-शासित प्रदेशों — चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली पर केंद्रीय राजभाषा नीति लागू होती है। लेकिन पांडिचेरी की राजभाषा तमिल है। (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, रा० शै० अ० प्र० प० 2009 12-13)

यह बखूबी समझ लेना चाहिए कि राजभाषा के रूप में हिंदी और आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के स्वरूप में अंतर है। जहाँ राजभाषा हिंदी के रूप में सरकार स्वीकृत मानकीकृत रूप को प्रयोग मान्य है, वहीं आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा के रूप में हिंदी के विविध रंग हो सकते हैं। राजभाषा को समृद्ध करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। राजभाषा हिंदी में शब्द निर्माण के विशिष्ट वैधानिक प्रावधान है। शब्द निर्माण के लिए स्रोत लेकर खासतौर पर सचेत रहा कि हिंदी कहीं किसी विशेष स्रोत भाषा की प्रतिकृति मात्र न रह जाए। इस संदर्भ में धारा 351 की अनुशंसा देखी जा सकती है। इसके अनुसार हिंदी भाषा का इस तरह विकास और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की समाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकने वाली माध्यम बन सके। संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के अधिनियम की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। साथ ही, संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा में राज्य को संबोधित करने का अधिकार प्रदान

करती है। धारा 350 ए (सातवें संशोधन अधिनियम 1956) में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन-पाठन की बात की गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की बहुभाषिकता जहाँ एक ओर भाषायी समृद्धि की ओर संकेत करती है, वहीं दूसरी ओर वह भाषा/भाषाओं के विकास के लिए सचेत प्रयासों की ओर भी इशारा करती है। इसके लिए शिक्षकों की बड़े पैमाने पर तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाषा का जीवन के हरेक क्षेत्र में प्रयोग केवल भाषा शिक्षक ही नहीं वरन पूरा विद्यालय तथा समाज सिखलाता है।

विचारणीय प्रश्न

- भारत का प्रत्येक बच्चा बहुभाषिक है। इस कथन के बारे में अपनी राय बताइए।
- आपके अपने विद्यालय में और घर के आस-पास किस/किन भाषा(ओं) का अधिक प्रयोग होता है? आपके विचार से उनमें नज़र आने वाले थोड़े/अधिक अंतरों के क्या कारण हैं?
- भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।
- आपकी नज़र में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए विशेष भाषा-भाषी क्यों संघर्ष करते हैं?
- संविधान स्वीकृत हिंदी और आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी में क्या अंतर है?

• बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी

बहुभाषिकता के शिक्षण-शास्त्रीय पक्ष का यह ज़रूरी पहलू है कि हम यह भी समझने का प्रयास करें कि सामाजिक संरचना में हाशिए के समूहों से इस समझ का क्या और कैसे रिश्ता बनता है। अनेक श्रमशील जातियाँ अलग तरह की शब्दावली का प्रयोग करती हैं। उदाहरण के लिए मुसहर जाति जो प्रायः खेतिहर समाज में हलवाही (खेत जोतने का काम) का काम करती रही, कृषि जीवन की स्मृतियों को सहेजने वाली भाषा का प्रयोग करती है। उसी तरह हम लोहार, बढ़ई या अन्य पेशेवर जातियों के सन्दर्भ में भी ऐसी ही भाषाई स्थितियाँ देख सकते हैं। इन समूहों के जो बच्चे-बच्चियाँ स्कूली परिसर में दाखिल होते हैं, उनकी शब्दावली और भाषा प्रयोग की विशेषताओं और स्कूल की भाषा के बीच रिश्ता बनाकर ही, अध्ययन की दिशा तय की जा सकती है। इसके लिए आपको निम्नलिखित कार्यों को करने के साथ-साथ उनपर गहन विचार करना होगा।

नियुक्त होने के साथ ही वर्ग-I और वर्ग-II के बच्चों की बागडोर वर्ग शिक्षक के रूप में मुझे मिली। मैंने उत्साह और मनोयोग से शिक्षण कार्य शुरू किया। प्रायः प्रयास करता था कि बच्चों से हिंदी में ही बात करूँ और करता भी था। हाँ, बातचीत के क्रम में बच्चों की उदासीनता, अनुशासनहीनता और हल्ला प्रायः मेरे अंदर उनके प्रति क्रोध भर देता था। मैं अक्सर बुरी तरह से खीझ जाता था। लाख प्रयास के बाद भी न तो मैं उनको अपने से जोड़ पाया और न ही नियंत्रित कर सका।

एक रोज अचानक समानध्वनि वाले (तुकांत) शब्दों को लेकर बच्चों के साथ तुकबंदी का ख्याल दिल में आया। पहला शब्द मैं बोलता दूसरा शब्द बच्चे बोलते। इसी क्रम में मैंने लाठी शब्द कहा। बच्चों ने इसके बदले, हाथी, साथी, माटी इत्यादि शब्दों को कहा। मैंने और सटीक शब्द के लिए प्रोत्साहित किया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि मैं बताऊँ ? उन्होंने हामी भरी। मैंने कहा – “पाठी” (बकरी के मादा बच्चे को पाठी कहते हैं।) ‘पाठी’ सुनते ही वे विस्मित नजरों से हमें देखे फिर एक-दूसरे को देखा और हँस पड़े। उन्हीं में एक बच्चा हमसे पूछ बैठा – “सर जी, रउरो खस्सी-पाठी जानत बानी ?” मैंने कहा – “हाँ भाई, हमहू जानत बानी।” मेरी आखिरी पंक्ति ने हमलोगों के बीच भाषाई दीवार को ध्वस्त कर दिया। आज पहली बार मैं बच्चों के बीच खड़ा था – उनका होकर, सिर्फ उनकी मातृभाषा (भोजपुरी) के कारण। आज उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। बातचीत के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई कि वे ‘लाठी’ का तुकान्त शब्द ‘पाठी’ जानते थे, लेकिन उनकी अपनी मान्यता थी कि पाठी या तो उनके घर की भाषा में शामिल है या चरवाही की शब्दावली में। वे इसे विद्यालय में नहीं बोलना चाहते थे।

आज पहली बार मैंने उन्हें अपने करीब पाया। एक साधारण घटना ने मेरे छद्म ज्ञान को धाराशाही कर दिया। अब मैं समझ चुका था अगर बच्चों का होना है तो इनकी मातृभाषा और उनके अनुभव संसार का सम्मान करना होगा। मैं स्वयं भोजपुरी भाषी था। बच्चों से अब अपनी मातृभाषा में संवाद शुरू हो चुका था। यदा-कदा ही हिंदी का प्रवेश हमारे बीच होता। अब तो भाषा की घंटी उनके लिए खेल की घंटी बन चुकी थी, जहाँ उनके बोलने की आज़ादी थी। धीरे-धीरे बच्चे मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी बोलना शुरू कर रहे थे।

शिक्षक, जिला-सिवान



कार्यकलाप

- मुसहर या अन्य पेशेवर जाति की भाषा के शब्द समूहों को ध्यान में रखते हुए एक लघुनाटक या प्रहसन की रचना कीजिए जिसमें हिंदी और उस भाषा में आवाजाही की प्रक्रिया हो।
- उन गीतों/लोककथाओं का संकलन कीजिए जो मुसहर, बढई या लोहारी जीवन से संबंधित हो। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका मंचन कीजिए।
- गणित, विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियों, जैसे-ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, गुणनफल, प्रत्यास्थता, विकिरण आदि के लिए व्यवहार में लायी जाने वाली उन शब्दावलियों का संग्रह कीजिए जो इन समूहों में व्यवहार में लायी जाती हैं। आप उनकी मदद से अपने अध्यापन में कैसा बदलाव ला सकते हैं?



समेकन

- बहुभाषिकता भारतीय समाज का स्वभाव है।
- किसी भी रूप में (व्यक्तिगत या सामाजिक), बहुभाषी होना कोई समस्या नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है। इससे हमारी सांस्कृतिक संपन्नता झलकती है।
- एक-से-अधिक भाषाओं को बरतने वाले लोगों की भाषाई क्षमता निःसन्देह उत्कृष्ट होती ही है, साथ ही समाज के प्रति उनका नज़रिया भी स्पष्ट और उदार होता है।
- भाषाओं के बीच आवाजाही की भरपूर गुंजाइश उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करती है।
- भारत में विभिन्न भाषा परिवारों से संबंधित भाषाएँ बोली जाती हैं।
- संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है जिसकी लिपि देवनागिरी है।
- संविधान में अंग्रेजी को सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
- त्रिभाषा सूत्र एक रणनीति है जो अनेक भाषाएँ सीखने का मार्ग प्रशस्त करती है।

महत्वपूर्ण लिंक

- www.ncert.nic.in
- www.nuepa.org
- <http://www.educationbihar.gov.in>
- <http://mhrd.gov.in/elementaryeducation>

अभ्यास के प्रश्न

1. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में अभिव्यक्त बहुभाषिकता के बारे में बताइए।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची को बनाने का क्या औचित्य था? अब इसमें कितनी भाषाएँ हैं? नाम बताइए।
3. बहुभाषिकता समस्या है या भाषायी समृद्धि? चर्चा करें।
4. ICT कार्य के अंतर्गत : बिहार की अलग-अलग भाषाओं के तीन-चार बच्चों की विभिन्न स्थितियों में वीडियो बनाना और उन्हें सेंटर पर दिखाना। विश्लेषण करवाना कि उनके पास भाषा की पूंजी है।
5. 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की विशेषताओं को लिखिए।
6. त्रिभाषा-सूत्र क्या है? समझाएँ।
7. त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएँ भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषाई जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती हैं। कैसे?

संदर्भ सूची

1. रीडिंग डेवलपमेंट सेल, पढ़ने की समझ, एन.सी.ई.आर.टी— 2008 दिल्ली
2. पढ़ना सीखाने की शुरुआत—2011 एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
3. पढ़ने की समझ—2009, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
5. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2008, एस.सी.ई.आर.टी, दिल्ली
6. असफल स्कूल, जॉन होल्ट, एकलव्य प्रकाशन, भोपाल
7. स्वाध्याय सामग्री, लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन, दिल्ली
8. माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, निरंजन कुमार सिंह, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

इकाई

3

बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा



परिचय

बच्चे अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हैं। उनमें यह दक्षता विद्यालय आने से पहले ही मौजूद होती है। इस बात के अनेक प्रमाण उनके साथ बातचीत करते हुए मिल जाएँगे। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? क्या बड़ों का अनुकरण करते हुए भाषा सीखी जाती है अथवा भाषा संकाय के द्वारा? भाषा सीखने में समाज की क्या भूमिका होती है? इन्हीं मुद्दों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है। साथ ही, यह देखने-समझने का भी प्रयास किया गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में वास्तव में कोई अंतर है? मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएँ कैसे सीखी जाती हैं?

विद्यालय जाने से पूर्व ही बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने-सुनने की क्षमता रखते हैं। वे भाषा की अनेक जटिल संरचनाओं पर अपना अधिकार रखते हैं और यह उन्हें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि वे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के माध्यम से भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब बच्चे विद्यालय-पूर्व ही भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, तो विद्यालय में भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्यों के बारे में विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने और समझ बनाने में यह इकाई काफी प्रभावी होगी। भाषा सीखने-सिखाने में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और विभिन्न कौशलों की अहम भूमिका है। विद्यालय में भाषा की मौजूदगी एक विषय के रूप में भी है और माध्यम के रूप में भी। दोनों स्थितियों में भाषा किस प्रकार कार्य करती है?

शुरुआती वर्षों में बच्चे पढ़ना-लिखना किस प्रकार सीखते हैं? पढ़ना-लिखना क्या है? शुरुआती वर्षों में पढ़ना-लिखना सीखने में मदद करने के लिए किस तरह की शिक्षा-शास्त्रीय समझ की आवश्यकता है? और दरअसल हो क्या रहा है? इत्यादि की समझ बनाने में यह इकाई मददगार होगी। साथ ही, भाषा और लिपि के बीच का संबंध, लिपि की जटिलताओं की समझ और भाषा सीखने में लिपि सीखने की भूमिका इत्यादि की चर्चा भी इस इकाई में की गई है।

सभी अपने जीवन में विभिन्न स्थितियों में भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह अपने परिवार में विभिन्न सदस्यों के साथ बातचीत का मामला हो या बाजार से सामान खरीदने या फिर सिनेमा का लुत्फ उठाने का। हमारे चारों ओर भाषा का व्यवहार होता रहता है। इतना ही नहीं हम अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग तरह की और अलग-अलग तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। घर में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं तो विद्यालय में भोजपुरी के साथ-साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं तो, किसी सभा, बैठक आदि में अंग्रेजी का प्रयोग भी करने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम भाषा के सहारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का विविधतापूर्ण प्रयोग करते हैं। अपनी माँ से किसी चीज को लेने के लिए बच्चे अलग तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक प्रकार की जिद या नखरा भी शामिल हो सकता है, तो विद्यालय में शिक्षक के सामने अपनी बात कहते समय भाषा के किसी अलग रूप का प्रयोग करते हैं जिसमें औपचारिकता का पुट होने की संभावना रहती है।

प्रत्येक कक्षा की समय-सारणी में अनेक विषयों का कक्षावार और घंटीवार विवरण होता है। प्रायः विद्यालयों में बच्चे कौन-कौन से विषय पढ़ते हैं — मैथिली, भोजपुरी, मगही, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित ... और भी कई विषय हो सकते हैं या इनसे कुछ कम भी! जहाँ तक भाषा का सवाल है, बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा/भाषाएँ पढ़ते हैं। भाषा के अतिरिक्त बच्चे अन्य विषयों, यानि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि को किस भाषा में पढ़ते हैं? समान्यतः पाठ्य-पुस्तक तो हिंदी भाषा में होती है लेकिन कक्षा के भीतर विषय को समझने-समझाने का माध्यम बच्चों की अपनी भाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसका अर्थ है कि विद्यालयों में भाषा की स्थिति एक विषय के रूप में भी होती है और माध्यम के रूप में भी। अपने मित्र के साथ चाय पीते समय, अपनी कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर हिदायतें देते हुए, जल संकट के बारे में विमर्श करने के लिए विषय-विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुए जिस भाषा का प्रयोग होगा उसमें निश्चित रूप से थोड़ा-ज्यादा अंतर होगा। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए आदमी कई बार कुछ वाक्यों को अधूरा छोड़ देता है और अपनी बात को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए हाव-भाव का अथवा किसी खास तरह के अनुतान का प्रयोग करता है। जबकि कक्षा के बच्चों को निर्देश देते हुए शिक्षक की भाषा में वाक्य पूरे होंगे और एक खास तरह की अदात्मकता हो सकती है। तीसरी स्थिति में संभव है कि व्यक्ति बेहद औपचारिक भाषा का प्रयोग करे। इस तरह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति भिन्न-भिन्न स्थितियों में अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह भिन्न भाषा-प्रयोग सीखना पड़ता है या स्वयं आ जाता है। हमें यह सीखने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि हम स्वयं ही सीख जाते हैं।

• बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता और भाषाई ज्ञान की समझ

भाषा की कक्षाओं में जिस तरह बच्चों के भाषा-विकास के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है वह इस ओर संकेत करती है कि हम बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में ठीक-ठीक आकलन नहीं कर पा रहे हैं। 4-5 साल के बच्चों की उन भाषाई क्षमताओं को समझना आवश्यक है जो उनके पास विद्यालय जाने से पहले ही सहज रूप में होती हैं। यहाँ एक ही बातचीत को दो अलग-अलग भाषाओं में दिया गया है—

भोजपुरी भाषा में बातचीत

रुखसाना — कहवाँ जा तारऽ, नौशाद?

नौशाद — तरकारी कीने। तू कहवाँ जा तारू?

रुखसाना — घरे जात बानी। तहरा घरे के लोग के का हाल-चाल बा?

नौशाद — सभे ठीक बा। तू जवन झोरा ले ले बाडू उ एकदम करिया कुच-कुच बा। कहाँ से किनले बाडू?

रुखसाना — भइया, परदेस से भेजले रहलन। आज इस्कूल जइबऽ? हमरा कलास के कुल्ह लइका-लइकी जइहें।

नौशाद — ना, काल्ह गइल रहनी तऽ माट साहेब से छुट्टी माँग लेहनी। आज ना जायेब।

पहले वाक्य में नौशाद (पुल्लिंग) के लिए 'तारऽ' (रहे हो) का प्रयोग किया गया है जबकि रुखसाना (स्त्रीलिंग) के लिए 'तारू' (रही हो) का प्रयोग किया गया है। यह भाषा-प्रयोग बच्चे की इस योग्यता की ओर संकेत करता है कि वह लिंग के अनुसार क्रिया के सही रूप का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार वे काल के संदर्भ में खासे चौकन्ने होते हैं। उदाहरण के लिए वे भविष्य काल और भूतकाल का सटीक प्रयोग कर सकते हैं —

कीने — खरीदने (के लिए — भविष्य काल)

किनले — खरीदा (भूतकाल)

इतना ही नहीं वे भाषाई व्याकरण की अन्य व्यवस्थाओं से भी परिचित होते हैं, जैसे— उनमें विशेषण के सही प्रयोग की समझ होती है, जैसे— 'जवन झोरा ले ले बाडू उ एकदम करिया कुच-कुच बा।' बच्चे यह जानते हैं कि गाढ़े काले रंग के लिए 'करिया कुच-कुच' का प्रयोग होगा। भोजपुरी भाषा में अलग-अलग रंगों के लिए अलग-अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे भोजपुरी भाषा की इस व्यवस्था से भी परिचित हैं। उदाहरण के लिए —

गाढ़े हरे रंग के लिए — कच-कच हरियर

हल्के हरे रंग के लिए — हरियर कचनार

गाढ़े पीले रंग के लिए — पियर दग-दग

गाढ़े लाल रंग के लिए — लाल टेस

उजले रंग के लिए — उजर धप्प-धप्प

जब यही भोजपुरी भाषी बच्चे विद्यालय में हिंदी पढ़ते हैं तो वे गाढ़े रंगों को बताने के लिए 'खूब', गहरा, 'गाढ़ा' या कभी-कभी 'घोर' शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे, मुझे गाढ़े काले रंग की पेंसिल चाहिए। हिंदी और अन्य समरूप भाषाओं में आदरसूचक स्थिति में प्रायः बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे, "भइया, परदेस से भेजले रहलन।"

हमें यह मालूम होना चाहिए कि सभी बच्चे तीन साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, जिसमें सामाजिक सह-संबंधों के जरूरी हिस्से भी शामिल होते हैं, अर्थात् (केवल भाषिक ही नहीं बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं)। तीन साल के एक बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो।

(भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी., 2009)

यदि यहाँ बड़े भाई की जगह छोटे भाई ने झोला भेजा होता तो वाक्य में क्रिया-रूप यह होता— 'भेजले रहे' (भेजा था)। यह प्रयोग उम्र और रिश्ते में अपने से छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है। सभी भोजपुरी क्षेत्रों में यह परंपरा है कि यदि व्यक्ति उम्र में छोटा है लेकिन रिश्ते में वह बड़ा है तो उनके लिए आदरसूचक शब्दों का ही प्रयोग होगा। इस स्थिति में 'भेजले रहे' के स्थान पर 'भेजले रहनि' का प्रयोग होगा। इसी तरह अनेक लड़के-लड़कियों यानी बहुवचन के लिए 'जइहें' क्रिया का प्रयोग हुआ है। स्पष्ट है कि वचन के अनुसार क्रिया का रूप भी बदला —

'हमरा कलास के कुल्ह लइका-लइकी जइहेन।' विद्यालय आने से पहले बच्चे सर्वनाम का भी उचित प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, जैसे, "तू कहवां जा तारू?"

"तहरा घर के लोग के का हाल-चाल बा?", "हमरा कलास के कुल्ह लइका-लइकी जइहें।" आदि।

इसके अतिरिक्त बच्चों के पास वाक्य-निर्माण की भी क्षमता होती है। वे संदर्भ के अनुसार अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक संप्रेषित करने के लिए उचित वाक्यों का निर्माण भी कर लेते हैं। उनके वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया की स्थिति व्याकरण सम्मत रूप में होती है, जैसे—

तू कहवाँ जा तारू? — तुम कहाँ जा रही हो? (कर्ता — कर्म — क्रिया)

तरकारी कीने— सब्जी खरीदने। (कर्म — क्रिया)

इन सभी उदाहरणों के द्वारा यह पता चलता है कि यदि बच्चों को उचित भाषिक परिवेश मिले तो वे भाषा-प्रयोग की विभिन्न जटिलताओं को सहजता के साथ आत्मसात कर लेते हैं।

अब वहीं बातचीत हिंदी भाषा में इस प्रकार हो सकता है—

हिंदी भाषा में

रुखसाना — कहाँ जा रहे हो नौशाद?

नौशाद — सब्जी खरीदने। तुम कहाँ जा रही हो?

रुखसाना — घर जा रही हूँ। तुम्हारे घर के लोगों का क्या हाल-चाल है?

नौशाद — सभी लोग ठीक हैं। तुमने जो झोला लिया है वह गाढ़ा काला है। कहाँ से खरीदा है?

रुखसाना — परदेस से भैया ने भेजा है। आज स्कूल जाओगे। मेरी वर्ग के सभी लड़के-लड़कियाँ जाएँगी।

नौशाद — नहीं, कल गए तो मास्टर साहब से छुट्टी माँग ली थी। आज नहीं जाएँगे।

इस उदाहरण में भी बच्चों की भाषाई क्षमता दिखाई देती है। बच्चे वचन और लिंग के अनुरूप क्रिया शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, जैसे —

“कहाँ जा रहे हो, नौशाद? (एकवचन पुल्लिंग)

“तुम कहाँ जा रही हो?” (एकवचन स्त्रीलिंग)

हालाँकि ‘रहे’ क्रिया का प्रयोग बहुवचन अथवा आदरसूचक स्थिति (पुल्लिंग) के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए —

वे सभी लोग जा रहे हैं। (बहुवचन पुल्लिंग)

आप जा रहे हैं क्या? (आदरसूचक पुल्लिंग)

इसी प्रकार ‘रही’ क्रिया का प्रयोग बहुवचन अथवा आदरसूचक स्थिति (स्त्रीलिंग) के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए —

वे सभी लड़कियाँ जा रही हैं। (बहुवचन स्त्रीलिंग)

आप जा रही हैं क्या? (आदरसूचक स्त्रीलिंग)

आपने बच्चों की बातचीत में ध्यान दिया होगा कि वे संदर्भ के अनुरूप सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे—

“तुम्हारे घर के लोगों का क्या हाल-चाल है?”

“तुमने जो झोला लिया है वह गाढ़ा काला है।”

सर्वनाम की जटिल व्यवस्था को बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम (तुम) के विभिन्न रूपों — तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमने, तुझसे, तेरा, तेरी इत्यादि में से किस स्थिति में कौन-सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा, यह बच्चे बखूबी जानते हैं।

बच्चों के साथ की जाने वाली बातचीत को यदि रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसका गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि बच्चों में भाषा सीखने की असीम संभावनाएँ होती हैं। वे अपने परिवेश की भाषा को सहज रूप से आत्मसात कर उसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। ब्रिटेन (2006:46) बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में कहते हैं कि ‘प्रत्येक बच्चा उस भाषा को जिस परिवेश में वह बड़ा होता, विश्लेषित करता

है और उसकी आंतरिक/गुप्त (लेटेंट) संरचना निकाल लेता है। यह गुप्त संरचना इतनी सामान्य होती है कि वह बच्चा आजीवन इसका प्रयोग भी करता है। यह अर्थीय और वाक्यीय दोनों प्रकार की होती है। भाषा अधिगम में गुप्त संरचना की खोज सबसे महत्वपूर्ण और अबोधगम्य प्रक्रिया है। बच्चा जिस तंत्र का उपयोग करता है उसकी व्याख्या करना, उसका विवरण देना, उसका व्याकरण लिखना होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, यह युवाओं को भी परेशान करने वाली प्रक्रिया है। हम जिस प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप बच्चा यह तो जानता है कि शब्दों के साथ कैसे खेला जाए, खिलवाड़ किया जाए, पर यह (हम सब भी प्रायः यह नहीं जानते) वही जानता है 'वह क्या कर रहा है?' जब वह लोगों को बातचीत करते सुनता है तो वह जो कुछ भी सुनता है निश्चित तौर पर उससे कुछ अधिक ग्रहण करता है। वह उच्चारणों/अभिव्यक्तियों (अट्रांसिज) के सामान्य रूपों (फॉर्म्स) को ऐसे रूप में ग्रहण करता है कि क्या किस शब्द के पहले और क्या बाद में आता है, अर्थात् शब्द कोटियों की परस्पर व्यवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है और साथ ही वे भाषा की व्याकरणिक कोटियों का सचेत ज्ञान (व्याकरणिक ज्ञान) न होते हुए भी संदर्भ के अनुसार भाषा का सार्थक प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं।

ध्वनि-संरचना का जटिल संसार बच्चा स्वयं बिना किसी की मदद के सुलझा लेता है। यही नहीं हर बच्चा जानता है कि उसकी भाषा की ध्वनियां कैसे बोली जाएंगी, अपितु यह भी कि ये ध्वनियाँ किस क्रम में आ सकती हैं और किस क्रम में नहीं। ये सब नियम बच्चे के दिमाग में सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध रहते हैं। बच्चा सार्थक शब्द ही बोलता है, यदा-कदा नए-नए शब्द बनाता भी है तो वे ध्वनि-संरचना के नियमों का उल्लंघन नहीं करते।

भिन्न भाषाओं के संदर्भ में दिए गए उदाहरण के अलग-अलग रूप भी यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों में स्कूल जाने के पहले ही भाषायी व्याकरण की व्यावहारिक समझ होती है। यदि बच्चों को अधिकाधिक भाषा-प्रयोग के अवसर दिए जाएँ और उनकी भाषाई क्षमता में विश्वास रखा जाए तो उनके भाषाई प्रयोग को समृद्ध बनाया जा सकता है।

• बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?

यह सोचने वाली बात है कि 3-4 साल के बच्चे भाषा-प्रयोग के मामले में एक वयस्क की तरह होते हैं। वे जीवन की विभिन्न स्थितियों में अनेक प्रकार की संरचनाओं से युक्त भाषा का सहजता के साथ प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा व्याकरण सम्मत होती है यानि उनकी भाषा में एक नियमबद्ध व्यवस्था नजर आती है। चाहे वह बज्जिका हो या मैथिली या फिर हिंदी। ऐसा कौन-सा औजार है जिसके सहारे वे भाषा का सही-सही प्रयोग कर लेते हैं। उन्हें भाषा की संरचना सीखनी नहीं पड़ती और न ही उन्हें कोई भाषा सिखाता है, न ही सिखा सकता है। फिर यह कैसे संभव है कि बच्चे अपनी बात कहने और दूसरों की बातें सुनने-समझने की क्षमता रखते हैं?

दरअसल भाषा अर्जित करने के संदर्भ में अनेक विचार हैं जो अपने-अपने नजरिए से बच्चों द्वारा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। सामान्यतः सीखने के संदर्भ में तीन बिंदुओं को समझना बेहद जरूरी है। हमारे सीखने में प्रकृति, समाज और व्यक्ति की महत्ती भूमिका होती है। हम अपने आस-पास की चीजों को देखते-समझते हैं और उनकी छवि

अथवा संकल्पना का निर्माण करते हैं। गाय, पेड़, सूरज, चाँद, आसमान, नदी आदि की संकल्पनाओं के निर्माण के लिए प्रकृति के संपर्क में आना जरूरी है। समाज के संपर्क में आने पर माँ, नाना, रोटी, बस्ता, किताब इत्यादि की अवधारणाओं का निर्माण होता है। समाज चीजों को एक खास ध्वनि अथवा नाम देने का काम करता है। यही कारण है कि 'कुत्ता' के लिए राजस्थान के एक भाषा समुदाय में 'गंडकलो' शब्द प्रचलित है तो किसी अन्य भाषा समाज में उसी के लिए 'डॉग', 'कुत्ता', 'कूकुर' इत्यादि शब्द प्रचलित हैं।

इसका एक निहितार्थ यह भी है कि भाषा सीखने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक और मत के अनुसार भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता ही वह आधार है जिसके सहारे बच्चा विविध भाषा-प्रयोग करता है। इसके विपरीत एक विचारधारा अनुकरण को भाषा सीखने का एकमात्र आधार स्वीकार करती है। एक-एक कर भाषा सीखने के परिप्रेक्ष्यों को समझा जा सकता है।

भाषा सीखना : बी. एफ. स्किनर

पैवलॉव, स्किनर आदि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन-प्रतिक्रिया-पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए अथवा प्रतिक्रिया करने के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य है और जब बच्चे को उस प्रतिक्रिया पर किसी प्रकार का पुनर्बलन प्राप्त होता है तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया का मूल वातावरण में कहीं निहित है। इस व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा का अनुकरण करते हुए भाषा सीखते हैं।

मान लीजिए बच्चे ने शब्द सुने— पापा, चाचा, पानी, ये, चाहिए, रोटी, गाय इत्यादि। बच्चा इन शब्दों को सुनकर उनका अनुकरण करेगा और इन्हीं शब्दों को दोहरा देगा। जब बच्चे को इन शब्दों के दोहराने पर सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा तो उनकी भाषा पुष्ट होती चली जाएगी। अब सवाल उठता है कि यदि केवल अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखी जाती है तो बच्चे उतने ही शब्द या वाक्य बोलेंगे जितने उसने अपने परिवेश में सुने। लेकिन सभी के अनुभव बताते हैं कि बच्चे जितना और जिस तरह की भाषा सुनते हैं उससे अधिक और अलग प्रकार की भाषा प्रयोग करने की क्षमता बच्चों में होती है।

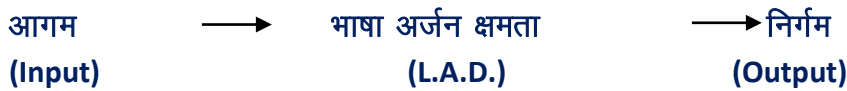
इस व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के विपक्ष में मुख्यतः दो तर्क हैं:—

- एक, यदि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती तो बच्चे उतनी ही भाषिक संरचनाओं का प्रयोग करते जो उनके वयस्क बोलते हैं। मान लीजिए बच्चा अपने परिवेश में आठ वाक्य सुनता है तो वह केवल आठ वाक्यों का ही प्रयोग करेगा। इस तरह तो उसे सभी तरह की भाषिक संरचनाओं को सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
- दूसरा, बच्चे भाषा का सृजनात्मक प्रयोग नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बच्चे भाषा के शब्दों के साथ खेलते हैं, उन्हें तोड़ते-मरोड़ते हैं और नए-नए शब्द बनाते हैं। यदि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती तो भाषा-सृजन, परिवर्तनशीलता और समृद्धि पर भी प्रश्न-चिह्न लगता।

भाषा सीखना : नोम चॉम्स्की

चॉम्स्की बच्चों के भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता में विश्वास रखते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि बच्चे इसी क्षमता के सहारे अपने परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं और विभिन्न भाषिक संरचनाओं को आत्मसात् करते हुए नए-नए वाक्य बनाते हैं।

पियाजे, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी उनके मतों में थोड़ा-बहुत अंतर देखने को मिलता है। 'भाषा केवल अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती। सीमित वाक्य सुनकर असीमित वाक्यों को बोलना 'भाषिक अर्जन क्षमता' (Language Acquisition Device) द्वारा संभव है। प्रत्येक बच्चा भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है, या यँ कहें कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसी क्षमता के सहारे बच्चा रोज नए-नए भाषिक प्रयोग करता है। इस तरीके से भाषा सीखने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है –



बच्चा अपने परिवेश में जो भाषा और जिस तरह की भाषा सुनता है उसे अपनी भाषिक क्षमता के सहारे विश्लेषित करता है। समाज से प्राप्त भाषिक आँकड़ों के आधार पर अपने कुछ नियम बनाता है, जिसे चॉम्स्की 'लघु व्याकरण' कहते हैं। इस 'लघु व्याकरण' में बच्चे के अपने नियम होते हैं जिसे वह सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। इन्हीं नियमों के आधार पर वह भाषा का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए बच्चा निम्नलिखित वाक्य सुनता है –

- रोहित केला खाता है।
- शोभा केला खाती है।

इन वाक्यों के आधार पर वह सामान्यीकरण करते हुए नियम बनाता है कि लड़कों (पुल्लिंग) के लिए 'आ' से समाप्त होने वाला शब्द (क्रिया) आएगा जबकि लड़कियों (स्त्रीलिंग) के लिए 'ई' से समाप्त होने वाले शब्दों (क्रिया) का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह वह अपनी भाषा में लिंग-भेद करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जिन भाषाओं में लिंग-व्यवस्था (स्त्रीलिंग-पुल्लिंग) नहीं होती वे बच्चे हिंदी भाषा के प्रयोग के समय लिंग-भेद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा बोली में वह व्यवस्था सुनी ही नहीं। तमिल, बंगला ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें क्रिया शब्दों में लिंग-भेद नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे के इस 'लघु व्याकरण' का विस्तार होता है कि नहीं? हाँ, बच्चा अपने भाषिक आँकड़ों के आधार पर 'लघु व्याकरण' का विस्तार करता है, नियम बनाता है। कभी-कभी भिन्न परिस्थिति में सुने गए भाषिक आँकड़ों के आधार पर पहले से बने नियमों में परिवर्तन भी करता है।'

(उषा शर्मा, 2012, 35–36)

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बच्चे में भाषा सीखने की अनंत संभावनाएँ हैं, जरूरत है उन्हें समुचित भाषाई परिवेश देने की।

‘भाषा के संदर्भ में चॉम्स्की की सबसे बुनियादी मान्यता यह है कि भाषा का विकास अनुभवों का परिणाम नहीं है। उनके अनुसार भाषा के विकास के लिए वातावरण उद्दीपन का काम करता है लेकिन इसका विकास वातावरण के कारण नहीं होता। वे भाषा को आँख, कान, नाक इत्यादि की तरह ही शरीर का अंग मानते हैं जो मानव जाति की विशेषता है। मस्तिष्क का एक भाग भाषा के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे शरीर का एक भाग, आँख, देखने के काम हेतु समर्पित है। जिस प्रकार वस्तुओं या घटनाओं के होने मात्र से आँख विकसित नहीं हो जाती उसी प्रकार वस्तुओं आदि के होने से भाषा का विकास नहीं हो जाता।

अनुभव भाषा के विकास में वही काम करते हैं जो भोजन देखने की क्षमता के विकास में करता है। जैसे आँख जन्मजात है, वैसे ही भाषा भी जन्मजात होती है। इस बात को समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि “यदि भाषा जन्मजात नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी पोती, पत्थर, और खरगोश में कोई अन्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि आप पत्थर, खरगोश तथा मेरी पोती को अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच छोड़ दे तो वे सभी अंग्रेजी सीख जाएँगे।” (चॉम्स्की, 2000.50)। अगर भाषा वातावरण के कारण संभव होती है तो पत्थर और खरगोश भी भाषा सीख जाएँगे। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा को यांत्रिक (Mechanical) तरीके से नहीं समझा जा सकता। व्यवहारवादियों ने भाषा की यांत्रिक व्याख्या की। उन्होंने भाषा को उद्दीपन-प्रतिक्रिया के रूप में समझा। यानि एक वस्तु या घटना के लिए विशेष प्रतिक्रिया। चॉम्स्की का कहना है कि वे एक वस्तु या घटना के लिए अनेक वाक्यों की रचना कर सकते हैं। इसलिए भाषा को उद्दीपन-अनुक्रिया के रूप में समझना गलत है। वे मानते हैं कोई भी व्यक्ति, आनुवांशिक तौर पर किसी विशेष भाषा को सीखने के लिए नहीं बना है। जिस व्यक्ति को जो समुदाय मिलता है वह उसकी भाषा सीख जाता है। यदि किसी अंग्रेजी भाषी का जन्म जापानी बोलने वालों के बीच होता तो वह जापानी भाषी होता।’

(एस.सी.ई.आर.टी., महेन्द्र, पटना, बिहार द्वारा विकसित ओ.डी.एल.डी.एल.एड. सामग्री से साभार, 2013)

भाषा सीखना : जीन पियाजे

जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक की तरह भाषा सीखने को व्याख्यायित करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती। विकास का कारण है, जीव और वातावरण के बीच अन्तःक्रिया। इसका एक निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है। जैसे-जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है अथवा वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वैसे-वैसे उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है। पियाजे के अनुसार सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण (Assimilation) और समायोजन (Accommodation) की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है।

एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। वहाँ वह एक गाय देखता है और उसकी माँ उस गाय की ओर संकेत कर कहती है, “देखो, गाय आ गई।” बच्चा गाय की ‘छवि’ को उसके नाम से

(ध्वनि/आवाज) संयोजित कर लेता है। यानि बच्चे की बौद्धिक संरचना में 'गाय' की छवि और ध्वनि अपना स्थान ले लेती है। पियाजे के अनुसार यह छवि 'स्कीमा' (Schema) कहलाती है। बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात (Assimilate) करता है। अब बच्चा कुत्ता, बैल, बिल्ली इत्यादि देखता है और उसे 'गाय' कहकर संबोधित करता है। यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है।

बच्चे ने गाय और शेष जानवरों में संभवतः पैरों के आधार पर सामान्यीकरण किया। लेकिन जब अलग-अलग समय पर बच्चे के समक्ष उन जानवरों को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है तो बच्चा पूर्व में बनाई गई 'छवि' में परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन के आधार पर वह गाय, कुत्ता, बैल, बिल्ली इत्यादि जानवरों में भेद करना सीखता है और उनके साथ क्रमशः उनके नामों (ध्वनियों/शब्दों) को जोड़ता है। इतना ही नहीं वह धीरे-धीरे समय के बढ़ते क्रम में अलग-अलग तरह की गायों (सफेद, काली, भूरी, चितकबरी इत्यादि) में भी अंतर करने लगता है और उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है। यह समायोजन (Accommodation) की स्थिति है।

पियाजे के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया है कि दो साल की उम्र से बच्चे की बौद्धिक संरचना में 'सांकेतिक कार्य' (Symbolic function) के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगता है। बच्चा मानसिक छवियाँ तथा सांकेतिक भंगिमा (Symbolic gesture) बनाने के साथ-साथ भाषा का उपयोग करना सीखने लगता है। 'सांकेतिक कार्य' मानसिक छवियाँ बनाने, खेलने, ड्राईंग बनाने तथा भाषा का उपयोग करने में प्रकट होते हैं। इस उम्र से पहले भी बच्चा शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन शब्दों को संकेत के रूप में उपयोग करने संबंधी 'स्कीमा' का विकास दो साल की उम्र से शुरू होता है। इस उम्र में वह ऐसे वाक्य बनाने लगता है जिनमें एक-से-ज्यादा शब्दों का उपयोग होता है। वह व्याकरणिक नियमों को भी समझने लगता है। अब बच्चा इंद्रिय क्रियाओं से भी तेज क्रिया कर सकता है। वह तात्कालिक घटनाओं से परे जाकर उन पर बात कर सकता है। व्यवहार करने के लिए उसे वातावरण के तात्कालिक पक्ष तक सीमित नहीं रहना पड़ता।

भाषा की वजह से उसके दिक् तथा काल (Time and space) की सीमाओं का विस्तार होता है। अब उसके पास ऐसे 'स्कीमाज' होते हैं जो उसे इस समय तथा इस स्थान पर मौजूद घटनाओं के साथ-साथ अन्य समय में घटी घटनाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करने में भी सक्षम बनाते हैं। भाषा का उपयोग सामाजिक जीवन को विस्तार देने तथा उसके प्रतीकीकरण हेतु किया जाने लगता है। भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे का विश्वास है कि विकास की औपचारिक अवस्था (Formal Stage) से पहले तक भाषा का स्वतंत्र उपयोग नहीं होता। इससे पहले तक भाषा तमाम सांकेतिक कार्यों (Symbolic functions) के साथ मिलकर काम करती है। इस अवस्था से पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है। जब बच्चा वस्तुओं तथा घटनाओं का रूपांतरण करके उन्हें आत्मसात (Assimilate) किए जा सकने वाले रूप में ढालता है तो इस प्रक्रिया में उसकी भाषा विकसित होती है। (मेकनैली: 141)। इस ढालने की प्रक्रिया को पियाजे "Operative Knowing" कहते हैं। (वही.66)। इस प्रक्रिया में "स्कीमाज" बनते बिगड़ते हैं। जिनकी वजह से भाषा का विकास होता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक-संरचनाओं के बनने के लिए आत्मसातीकरण तथा समायोजन की संकल्पनाओं के सक्रिय होने के कारण भाषा का विकास होता है।'

(एस.सी.ई.आर.टी., महेन्द्र, पटना, बिहार द्वारा विकसित ओ.डी.एल.डी.एल.एड. सामग्री से साभार, 2013)

भाषा सीखना : वाइगोत्स्की

भाषा सीखने की प्रक्रिया में समाज की महती भूमिका पर बल देते हुए वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने-अपने समुदाय के संपर्क में आकर भाषा सीखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियों की सार्थकता तभी है जब वह किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए, 'जाल' शब्द का अर्थ बच्चा अपने समाज से ग्रहण करता है। किसी भाषा समुदाय में यह 'मकड़ी का जाल' है तो किसी अन्य समुदाय में यह 'मछली पकड़ने वाले जाल' है। इनके अतिरिक्त 'जाल' का एक अन्य अर्थ वह जाल है जो अक्सर पुराने घरों में पहले या दूसरे तल पर बनाया जाता था और जो लोहे का होता था। एक ध्वनि समूह 'जाल' को अलग-अलग अर्थ देने वाले अलग-अलग भाषा-समाज/समुदाय हैं।

यही कारण है कि एक ही चीज अलग-अलग भाषा-समुदायों में अलग-अलग ध्वनि-समूहों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। इतना ही नहीं अनेक बार शब्दों और वाक्यों का प्रयोग भी समाज द्वारा नियंत्रित होती है यानि समाज भाषा-प्रयोग को नियंत्रित करता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी भिन्न संस्कृति होती है और भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा को समाज से काटकर न तो देखा जा सकता है और न ही उसे समझा जा सकता है। एक संस्कृति में "Dear father" स्वीकार्य है तो वहीं दूसरी ओर 'आदरणीय पिताजी/बाबूजी' ही स्वीकार्य है। बच्चा अपने-अपने समाज में इन विविध भाषा-प्रयोगों को सुनता-समझता है और यह तय करता है कि उसे किस स्थिति में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना होगा।

अपने आस-पास ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनसे यह स्पष्ट होगा कि भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है और अर्थ भी समाज और सामाजिक अंतःक्रिया से ही मिलते हैं। भाषा के संदर्भ में वाइगोत्स्की (2007:40) का विचार है कि 'बच्चों और युवाओं दोनों के लिए भाषा का प्रमुख प्रकार्य संप्रेषण, सामाजिक संपर्क स्थापित करना है। बच्चे की प्रारंभिक भाषा अनिवार्यतः सामाजिक होती है। प्रथमतः यह सार्वभौमिक और बहुप्रकार्यी होती है। परवर्ती स्थिति में इसके प्रकार्य विभेदीकृत हो जाते हैं। एक निश्चित आयु में बालक की सामाजिक भाषा अहमकेंद्रित और संप्रेषणपरक भाषा के दो फाँकों में स्पष्टतः विभाजित हो जाती है। (पियाजे ने जिसे सामाजिक भाषा कहा है उसे हम संप्रेषणपरक कहना अधिक पसंद करते हैं। सामाजिक कहने पर यह आभास होता है कि यह पहले कुछ और थी। हमारे दृष्टिकोण से संप्रेषणपरक और अहमकेंद्रित दोनों ही रूप प्रकार्य की दृष्टि से अलग होते हुए भी सामाजिक होते हैं)।'

समाज से सीखी गई भाषा का उपयोग बच्चा स्वयं से बात करने हेतु कर सकता है। बच्चा अपने लिए भाषा का उपयोग करते समय अधूरे वाक्य बोल सकता है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया था कि जब कोई बच्चा छह या सात वर्ष की आयु में अपने लिए भाषा का प्रयोग करना बंद कर देता है, तो इसका कारण यह होता है कि भाषा का आंतरिकीकरण है और अब उसका आंतरिक भाषा के रूप में प्रयोग जारी है।" (ब्रिटन. 1999)। बच्चे की गतिविधियों में 'अपने लिए भाषा' महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वह कोई चित्र बना

रहा हो, चीजों को उनकी सही संख्या से मिला रहा हो, ब्लॉक्स को रंगों के अनुसार व्यवस्थित कर रहा हो, खेल में बैलगाड़ी को हॉक रहा हो या किसी अपरिचित वस्तु का सामना कर रहा हो। बच्चा इस 'अहमकेन्द्रित भाषा' के सहारे संप्रेषण को सुधारता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा खेल में डॉक्टर बनता है और डॉक्टर जिस सामग्री का प्रयोग करता है, वह भी उसका प्रयोग करने का 'अभिनय' करता है और अपनी माँ को झूठ-मूठ एक चम्मच में दवाई पिलाता है। यदि इस कार्य में यह कहते हुए व्यवधान डाला जाए कि तुम सही दवाई नहीं दे रहे हो तो वह अपने क्रियाकलाप पर पुनः सोचना शुरू करेगा। सोचने के इस क्रम में वह बच्चा कह सकता है, 'नहीं, मैंने तो दवाई वाली शीशी में से ही दवाई दी है। तो मैं दुबारा से दवाई देता हूँ। ये लो, मैंने खोली शीशी, अब इसमें से निकाली दवाई, अब मैं चम्मच उठाता हूँ और दवाई देता हूँ।' इस प्रकार बच्चे अपने क्रियाकलापों को संयोजित करते हुए भी अपनी भाषा में सुधार करते हैं।

वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है: पहली आत्मकेन्द्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है।

(भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी., 2009:8)

भारतीय भाषाओं का शिक्षण (आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी. 2009: 8-9) में भाषा सीखने संबंधी क्षमताओं के संदर्भ में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समेकित करते हुए कहा गया है कि यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है? कई बच्चे तीन या चार वर्ष के होते-होते न केवल एक, बल्कि दो या तीन भाषाओं का धीरे-धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन साथ ही वे इन्हें मिलाना भी जानते हैं, जब वे मिलाने की इच्छा करते हैं।

इसमें एक तरफ तो वे व्यवहारवादी हैं जैसे पैवलोव और स्किनर। उनके अनुसार अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। यह तो चॉम्स्की (1959) की 'रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर' है, जिसने व्यवहारवाद की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया। चॉम्स्की ने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो सकती। मगर पियाजे (1962, 1983 कई अन्यो में से) इनहेल्डर और पियाजे (1958) और वाइगोत्स्की (1978, 1986) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना। जहां व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक 'कोरी स्लेट' जैसा था, वहां संज्ञानात्मक रूख रखने वालों (चॉम्स्की आदि) के लिए भाषा मानव-मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भाँति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। दूसरी ओर वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है।

इन सारी चर्चाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता की सहायता से समाज से अंतःक्रिया करते हुए भाषा सीखते हैं। जैसे-जैसे समाज के सदस्यों और परिस्थितियों के साथ बच्चे का संपर्क बढ़ता है, वैसे-वैसे बच्चे की भाषा समृद्ध होती जाती है।

• भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना

क्या आप बता सकते हैं कि आप जो भाषा बोलते हैं, वह आपने 'सीखी' थी या 'आ गई' थी। इस सवाल का जवाब देना संभवतः इतना कठिन नहीं है। जो भाषाएँ आपके परिवेश में रही होंगी, उन्हें तो आपने ग्रहण या अर्जित किया होगा और जो भाषाएँ आपके परिवेश का हिस्सा नहीं रही होंगी, उन्हें आपने सीखा होगा।

वास्तव में भाषा अर्जित करना और भाषा सीखना हमारे भाषा-परिवेश पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सारण (छपरा) क्षेत्र में रहते हैं और वहीं जन्मे, पले-बढ़े और आपको भोजपुरी भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है, तो आपने भोजपुरी भाषा अर्जित की होगी। जब आपने विद्यालय में दाखिला लिया होगा और आपने भोजपुरी भाषा के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ी, तो वह भाषा सीखने अथवा भाषा अधिगम का उदाहरण है।

हाँ, हिंदी और अंग्रेजी के सीखने में थोड़ा बहुत अंतर तो रहा होगा। इसका प्रमुख कारण है – भाषा परिवेश। हिंदी तो बाजार, सिनेमा, आस-पड़ोस में सुनाई भी दे जाती होगी लेकिन अंग्रेजी का परिवेश मिलना थोड़ा कठिन रहा होगा। अंग्रेजी के थोड़े बहुत शब्द और वाक्य सुनने को मिल जाते होंगे, लेकिन उतने नहीं जितने आप हिंदी के सुनते होंगे। दरअसल हम अपनी परिवेशीय भाषा में इतने रच-बस जाते हैं कि कब भाषा हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाती है, पता ही नहीं चलता। बिहार भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली-समझी जाती हैं – भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही, उर्दू, हिंदी, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप से बांग्ला इत्यादि। बिहार का प्रत्येक बच्चा कम से कम दो-तीन भाषाओं पर तो अधिकार रखता ही होगा, क्योंकि उसके आस-पास अनेक भाषाओं का व्यवहार रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है।

भाषा अर्जन की स्थिति तब होती है जब हमें किसी भाषा का समृद्ध परिवेश मिले यानि वह भाषा हमारे आस-पास लगातार इस्तेमाल होती है। हम उस भाषा के विविध प्रयोगों को सुनकर नियम बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर भाषा का विविधतापूर्ण प्रयोग करते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में वे शब्दों के उन अर्थों से भी परिचित होते चलते हैं जो उन्हें समाज विशेष के साथ संपर्क करने से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में 'अंकल, आंटी' शब्द मिलते हैं जबकि बिहार आदि अनेक राज्यों में 'अंकल, आंटी' जैसे शब्दों के स्थान पर 'चाचा, मामा, मौसा, फूफा, चाची, मामी, मौसी, बुआ, फूफी' इत्यादि शब्द मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते-नाते की यह शब्दावली भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। विदेश में तो सभी के लिए अंकल, आंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिहार अथवा अन्य राज्यों के बच्चों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि चाचा कौन होता है और मौसी कौन तथा अंकल कौन? इस प्रकार भाषा सामाजिक वस्तु भी है और समाज के संपर्क में आने से उसमें निरंतर पैनापन आता है, क्योंकि अंततः भाषा का प्रयोग भी समाज में रहकर समाज के सदस्यों के साथ किया जाता है। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि –

- भाषा समाज में रहकर अर्जित की जाती है यानि भाषा का विकास समाज में होता है।
- भाषा अर्जित करना सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है यानि इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता।
- किसी भाषा विशेष को अर्जित करने के लिए उस भाषा के विभिन्न संदर्भगत प्रयोगों को सुनना बेहद जरूरी है।
- संदर्भगत भाषा-प्रयोगों के कारण उस भाषा का व्याकरण भी अनायास अर्जित करते जाते हैं।

यह अचरज भरी बात है कि समाज में रहते-रहते हम न केवल भाषा की सपाट अभिव्यक्ति सीखते हैं बल्कि उसके लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोगों को भी बखूबी सीखते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005:41) के अनुसार 'जब हम घर की भाषा(ओं) और मातृभाषा(ओं) की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस-पड़ोस की भाषा इत्यादि आ जाती हैं, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात् कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं, तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। वे न केवल उन भाषाओं को सही-सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे, जो बोल नहीं पाते, वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा सीखना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। भाषा का प्रयोग जितना सरल नज़र आता है, दरअसल उतना है नहीं। भाषा में कुदरती रूप से निर्देशित सीखना शामिल होता है। अब तक आप भाषा अर्जन की स्थिति को बखूबी समझ गए होंगे। जब बच्चे विद्यालय आने के बाद किसी भाषा को सीखते हैं तो वह भाषा-अधिगम की स्थिति है। उदाहरण के लिए, बिहार में रहने वाला एक बच्चा अपने घर में मगही सुनता और बोलता है। यानि उसकी घरेलू भाषा मगही का संप्रेषणपरक वातावरण मिलने के कारण वह मगही को अवचेतन रूप से अर्जित करता है। इस स्थिति में उसे मगही भाषा का व्याकरण नहीं सीखना पड़ा बल्कि उसने भाषा-प्रयोगों का अवलोकन किया, नियम बनाए और उसके आधार पर भाषा का व्यवहार किया। लेकिन अब चूँकि वह विद्यालय में आया है तो उसे हिंदी और अँग्रेजी भाषा 'पढ़नी' है जो उसके भाषा-परिवेश का या तो हिस्सा नहीं है या बहुत कम उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, हिंदी अथवा अँग्रेजी उसके द्वारा 'पढ़े' जाने वाले अन्य विषयों का माध्यम बनेगी। अब उसे औपचारिक तौर से हिंदी अथवा/और अँग्रेजी भाषा के नियम और प्रयोग सचेतन रूप से सीखने होंगे। हिंदी और अँग्रेजी भाषा सीखना द्वितीय भाषा अधिगम के उदाहरण हैं। द्वितीय भाषा सीखने में चुनौतियाँ तब आती हैं जब उस भाषा का परिवेश नहीं मिल पाता जिस प्रकार प्रथम भाषा का अथवा मातृभाषा का।

अब सवाल यह उठता है कि क्या भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की प्रक्रिया समान है? इस संबंध में क्रेसन (1982:10) का मानना है कि “भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यदि समरूप नहीं हैं, तो मिलती-जुलती प्रक्रियाएँ हैं। भाषा-अर्जन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रथम भाषा में योग्यता विकसित करते हैं। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाले सामान्यतः इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे भाषा सीख रहे हैं। वे केवल इसी तथ्य से अवगत होते हैं कि वे सम्प्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं (इस प्रक्रिया में) हम सामान्यतः भाषा सीखते समय इसके नियमों को सीखने के प्रति सचेत नहीं होते हैं। बावजूद इसके हमारे मन में शुद्धता के प्रति आग्रह होता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें सही प्रतीत होते हैं तथा त्रुटियाँ गलत। भाषा-अर्जन का मतलब ही है कि भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना।

द्वितीय भाषा में क्षमता बढ़ाने का दूसरा तरीका भाषा-अधिगम है। आगे से हम ‘अधिगम’ शब्द का प्रयोग द्वितीय भाषा के सचेत ज्ञान यानि उसके नियमों को जानना, उनके प्रति सचेत होना, और उनके विषय में बोल पाने के लिए करेंगे। गैर-तकनीकी शब्दावली में ‘अधिगम’ से तात्पर्य भाषा के उस रूप के बारे में जानना है जो ज्यादातर लोगों को व्याकरण या नियमों के रूप में पता होता है। इसके पर्यायवाची रूपों में भाषा का औपचारिक ज्ञान या प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल है।” (प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से साभार)

इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा अधिगम अथवा भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास शामिल है और उद्देश्य भी। इसमें समाज विशेष की संस्कृति को भी सीखना होता है, क्योंकि शब्दों के अर्थ समाज-संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। लेकिन भाषा अधिगम की प्रक्रिया भाषा अर्जित करने के समान प्राकृतिक रूप से चलती है। यदि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रथम भाषा की तरह ही भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो भाषा सीखने में सुविधा होती है। एक भाषा शिक्षक की भूमिका यह है कि वह बच्चों को बोलने, अपनी बात कहने अथवा अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराएँ। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान दें और लक्ष्य भाषा यानि जो भाषा सीखी जा रही है उसका वातावरण उपलब्ध कराएँ।

अन्य विषयों के अध्ययन की भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिससे प्रयोग के स्तर पर हम अधिक परिचित होते हैं तो विषय को समझने में अपेक्षाकृत आसानी होती है। विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में दिए गए सवालों के जवाब बच्चे तभी दे सकते हैं जब वे पूछे गए सवालों की भाषा को समझ पाएँ। यह ठीक वैसा ही है जैसे बातचीत करते समय हम दूसरे की बात का जवाब तभी दे पाते हैं या प्रतिक्रिया तभी दे पाते हैं जब हमें सुनी गई भाषा समझ आती हो।

भाषा माध्यम के रूप में तथा भाषा विषय के रूप में

भाषा माध्यम के रूप में

‘भाषा एक विषय और एक माध्यम के रूप में है’ इस पर बात करने से पूर्व इन दो उद्घरणों का अवलोकन आवश्यक है—

‘स्कूली शिक्षा के संदर्भ में भाषा पाठ्यचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। संवाद और संप्रेषण के अनिवार्य प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण के संपूर्ण क्रियाकलापों में भाषा ही माध्यम बनती है तथा अवधारणाओं के निर्माण एवं ज्ञान के सृजन में बुनियादी भूमिका निभाती है। हम अपने विचारों और भावों को भाषा में न केवल अभिव्यक्त करते हैं बल्कि सोचने, महसूस करने और स्मृतियों में सहेजने का काम भी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। विचारपूर्वक देखें तो एक हद तक निजी और संपूर्ण रूप में सभी सामाजिक गतिविधियों का संचालन भाषा की ही सहायता से संभव हो पाता है। ... यदि किसी भाषा का प्रयोग पूरी पाठ्यचर्या में होता है और इस कारण उसकी पढ़ाई सारे विषयों के साथ होती है तब भी अनुदेश की भाषा के मुद्दे को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। संविधान में उल्लिखित सिद्धांत के लिहाज़ से मातृभाषा अथवा गृहभाषा को प्राथमिक स्तर तक अनुदेश की भाषा होना चाहिए’

(बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा)

‘भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएँ भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उनके बारे में लिख सकना। कुछ विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अलग-अलग पुस्तकों का अध्ययन करें या उन भाषाओं में लोगों से बातचीत करें, इंटरनेट से अंग्रेज़ी में सामग्री एकत्रित करें। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से स्कूल में बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भाषा की शिक्षा कुछ अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है और बाद में सभी शिक्षण एक अर्थ में भाषा-शिक्षण ही होता है। यह दृष्टिकोण ‘विषय के रूप में अंग्रेज़ी’ और ‘माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी’ की दूरी को पाट सकेगा। इस तरह से हम समान स्कूली पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं जिसमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में भेद न हो। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005:43-45)

इन दोनों उद्धरणों में मुख्य बात यह उभरकर आती है कि विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय भी हम एक प्रकार से भाषा भी सीख रहे होते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न विषयों की प्रकृति और अवधारणाएँ भिन्न होती हैं, अतः उन अवधारणाओं को संप्रेषित करने वाले शब्द या वे शब्द जो अवधारणाओं के साथ संयोजित होते हैं और जिन्हें ‘प्रयुक्ति’ कहते हैं, भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान विषय में ‘वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जलवाष्प, मृदा, प्रकाश संश्लेषण, पादप, बल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण, दहन, श्वसन, विकिरण, जीवाश्म ईंधन, अवशोषित, विलयन’ इत्यादि शब्द एक विशिष्ट अवधारणा से संबद्ध हैं। इसी प्रकार गणित विषय में ‘त्रिभुज, आयतन, लंब, समीकरण, दंड आरेख’ इत्यादि अवधारणाएँ एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होती हैं।

जब बच्चे इन विषयों को पढ़ते हैं तो ये सभी शब्द बच्चों के शब्द भंडार का हिस्सा भी बनते हैं और बच्चे यह समझ विकसित करते हैं कि शब्द भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ संप्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए गणित में प्रयुक्त होने वाला ‘भिन्न’ शब्द किसी एक वस्तु के

कितने हिस्से हैं? की अवधारणा से जुड़ा है। (1/2 एक भिन्न संख्या है जिसका अर्थ है— एक वस्तु के दो हिस्से) जबकि हिंदी भाषा में प्रयुक्त ‘भिन्न’ शब्द अलग, अंतर होने के भाव को दर्शाता है। (कक्षा के सभी बच्चे भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। श्यामा के रिबन का रंग सलमा के रिबन से भिन्न था।) इसी प्रकार ‘मिट्टी, मृदा’/भूमि, ज़मीन, धरती’ का अर्थ एक ही है लेकिन वे शब्द अलग-अलग संदर्भों में अलग रूप में इस्तेमाल होते हैं।

इतना ही नहीं विषयों की अध्ययन सामग्री पढ़ते समय बच्चे अनायास रूप से विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से भी परिचित होते चलते हैं। अगर आप इतिहास विषय की पाठ्य-पुस्तकों की भाषा पर गौर करें तो कह सकते हैं कि उनमें प्रयुक्त वाक्य संरचनाएँ प्रायः भूतकाल से संबद्ध होती हैं, जैसे — 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद कराने में अनेक व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। पुराने समय में लोग चित्रों के माध्यम से अपनी बातें अभिव्यक्त करते थे आदि।

जबकि गणित, विज्ञान आदि की पाठ्य-पुस्तकों में वाक्य-संरचना प्रायः वर्तमानकाल से संबद्ध होती है, उदाहरण के लिए, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। शब्द चर (*variable*) का अर्थ है, ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर, अर्थात् बदल सकती हो। (गणित, कक्षा 7:86, एन.सी.ई.आर.टी.)/वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है।’ (विज्ञान, कक्षा 9:214–215 एन. सी.ई.आर.टी.) इसके अतिरिक्त बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों की संरचना को भी आत्मसात करते हैं।

जब विषय के अध्ययन का माध्यम बच्चों की मातृभाषा या ऐसी भाषा जिसमें बच्चे चिंतन करते हैं, होती है, तो अवधारणाओं का बनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, जैसे — बिहार की स्थानीय भाषाओं में गणित की ‘त्रिभुज’ और ‘चतुर्भुज’ की अवधारणाओं के लिए क्रमशः ‘तिनकोनिया’ और ‘चौखूँटा’ अधिक सहज एवं प्रचलित है। इसी तरह विज्ञान में ‘पृथक्करण’ (हवा के द्वारा) के लिए ‘ओसाई’ एवं ‘स्ट्रीकेसर’, ‘पुंकेसर’ के लिए क्रमशः ‘जायांग’, ‘पुमंग’ अधिक सहज है। बिहार की विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में विज्ञान संबंधी अनेक अवधारणाओं तथा तकनीकी शब्दों को स्थानीय शब्दों में ही लिखा गया है। ‘दौरी, पोताई, पुमंग, जायांग, वैजंती, चालना, ओसाई, दौनी’ इत्यादि ऐसे ही शब्द हैं।

- नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बताइए कि ये ज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। चौका, रुधिर, मान, गुणनफल, रस, शंकुधारी वन, पर्ण, रेखा, विषुवत् रेखा, क्षेत्र-रक्षण, घन, भाजक, चौथाई, अभिलेख, अक्षांश, परिभ्रमण, क्षेत्रफल, गैस, मतदान, वोट।
- किसी भी वर्ग की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की पाठ्य-पुस्तक में से भाषा-प्रयोग संबंधी कोई दो-दो उदाहरण देते हुए समझाइए कि इनके माध्यम से बच्चे किन भाषिक संरचनाओं को आत्मसात कर सकेंगे।
- अपने वर्ग के अनुभवों के आधार पर बताइए कि विषयगत अवधारणाओं को समझने के लिए बच्चे की मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा अधिक सहायक होती है अथवा नहीं?

इस चर्चा से इतना तो स्पष्ट होता है कि बच्चों के सोचने-समझने का माध्यम भी भाषा ही होती है और अनुभवों के आधार पर वे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो अवधारणाएँ बनाते हैं, उसमें भाषा की महत्ती भूमिका होती है। हम यह जानते हैं कि ज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है और उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उसकी विशिष्ट भाषा से भी परिचित होना ही होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी समझना होगा कि भाषा पर पकड़ या भाषिक क्षमता अन्य विषयों को समझने में मदद करती है। बच्चे विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री को तभी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जब भाषा की विभिन्न कुशलताओं में दक्ष होंगे। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन में 'वन-संरक्षण' या 'प्रदूषण' विषय पर शिक्षक और बच्चों के बीच होने वाले संवाद का माध्यम भी एक भाषा ही है। जब बच्चे अपनी राय व्यक्त करते हैं या दूसरों द्वारा समझाई/कही जा रही बात को ध्यान से सुनते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो एक प्रकार से उस समय भाषा का ही कार्य हो रहा होता है। जब बच्चे विषय की पाठ्य-पुस्तक पढ़ते हैं और अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो पढ़ने-लिखने की कुशलता विकसित हो रही होती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पठन और लेखन की कुशलता ही विषय की सामग्री को पढ़कर समझने और लिखित अभिव्यक्ति व्यक्त करने में मदद करती है।

• भाषा विषय के रूप में

एक विषय के रूप में प्रायः तीन भाषाओं के अध्ययन का प्रावधान हमारे विद्यालयों में है। ये भाषाएँ हो सकती हैं — मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि। विद्यालयों में एक विषय के रूप में एक-से-अधिक भाषाएँ प्रायः प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं, जिसका सीधा-सा अर्थ यह है कि बच्चों में इन भाषाओं के प्रयोग की कुशलता विकसित करना। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने की कुशलता या क्षमता उन्हें जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। वे अपने जीवन में भाषा का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे — अपनी इच्छा को प्रकट करना, किसी की राय लेना, अपना तर्क प्रस्तुत करना, किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करना, संदेह करना, कल्पना करना, अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करना, किसी को समझाना इत्यादि। भाषा की पाठ्य-पुस्तक में दिए गए पाठ बच्चों को यह अवसर देते हैं कि वे भाषा-प्रयोग की कुशलता विकसित कर सकें। हिंदी की पाठ्य-पुस्तक में से कुछ अभ्यास प्रश्नों को पढ़कर इस बात को समझा जा सकता है—

आपकी बात

1. इन चीज़ों को अपने घर में कहाँ-कहाँ ढूँढ़ेंगे?

- मिठाई का डिब्बा
- साबुन
- मकड़ी का जाला
- कपड़े

2. आपके परिवार वाले कब-कब यह कहते हैं कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो?

समझ की बात

नीचे कुछ जवाब दिए गए हैं। इनके सवाल बनाइए –

मेरी पेंसिल खो गई।

मेरे तो चालीस करोड़ भाई-बहन हैं।

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, 'ऐसे थे बापू')

गप्प सुनो भई गप्प!

1. गप्प क्या होती है? गप्प मारने और बात करने में क्या अंतर है?
2. आपको कौन-सी गप्प सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों?
3. अगर आपको गप्प मारने के लिए कहा जाए तो आप क्या गप्प सुनाएँगे?

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, 'सेर को सवा सेर')

भूख लगी

निशा को जब भूख लगी तो उसने लिट्टी खाई। बताइए जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं –

घर में

स्कूल में

बाज़ार में

आपकी यात्रा

1. आप भी कहीं घूमने गए होंगे। निशा की तरह अपनी यात्रा के बारे में बताइए।
2. जब कोई व्यक्ति यात्रा पर जाता है तो लोग एक-दूसरे से क्या कहते हैं? लिखिए।
3. आप कहाँ-कहाँ घूमना चाहते हैं और क्यों?
4. अपनी यात्रा की कोई मजेदार घटना बताइए।

(अंकुर, भाग 2 कक्षा 2, 'निशा की चिट्ठी')

चूहे-बिल्ली पर लिखी कविता को पूरा करें –

आगे चूहा, पीछे बिल्ली,
उड़ा रही थी उसकी खिल्ली

.....
.....
.....
.....

(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, 'बिल्ली का पंजा')

आपके लिए

चींटी भी मेले में गई थी। उसे मिठाई की खुशबू आने लगी। आगे क्या हुआ? पढ़िए —

चींटी को जो मिली मिठाई,	देख मिठाई छिड़ी लड़ाई,
ठेलठाल घर ले आई।	लड़ती बहनें लड़ते भाई।
गंध मिली तो टपकी लार,	धुक्कम-धुक्की हाथापाई,
निकले चींटे कई हजार।	मिट्टी में मिल गई मिठाई।

(अंकुर भाग 2, कक्षा 2, 'मेला')

इन अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को अपनी बात कहने के भरपूर अवसर दिए गए हैं। ये अवसर दो तरीके से दिए गए हैं। एक, पाठ विशेष के संदर्भ में और दो, उसी पाठ की विषय-वस्तु से संबंधित निजी अनुभवों को जोड़ते हुए बातचीत करने के विभिन्न संदर्भ में। दरअसल एक प्रकार से जीवन के विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करते हैं जिनमें बच्चों को भाषा के माध्यम से निर्वाह करना है। यह कोशिश की गई है कि बच्चे पढ़े गए पाठ को अपने निजी अनुभवों के साथ जोड़कर देख सकें और अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त कर सकें। भाषा की कक्षा में संवाद के अवसर से बच्चों को भाषा-विशेष की विभिन्न छटाओं और उसकी बारीकियों से परिचित होने का अवसर भी मिलता है। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उनकी भाषाई क्षमता में इज़ाफा होगा। एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण का अर्थ है — भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की कुशलता में दक्ष बनाना।

इस रूप में देखा जाए तो विषय के रूप में और माध्यम के रूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। भाषा की पाठ्यपुस्तक में जिन पाठों का चयन किया जाता है वे प्रायः विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे — खेलकूद, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न त्योहार इत्यादि। भाषा शिक्षण के माध्यम से वे भाषा के विभिन्न पक्षों के साथ-साथ विषयगत अवधारणाओं को भी समझते हैं और माध्यम के रूप में बच्चे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की अवधारणाओं के साथ-साथ शब्दावली, संरचनाएँ समझते हैं। यही समझ विभिन्न क्षेत्रों में सही शब्दावली और भाषाई संरचनाओं के उचित और प्रभावी संप्रेषण में काम आती है।

• भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्य

आपके विचार से बच्चों को भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बच्चे विद्यालय आने से पहले ही भाषा की अनेक संरचनाओं पर अधिकार रखते हैं। वे अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो फिर विद्यालय में भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? आप में से कुछ का जवाब यह हो सकता है कि उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता। कुछ बच्चे सही तरह से बोल भी नहीं सकते, बात करते समय अटकते हैं या उनके बोलने में प्रवाह नहीं होता। लेकिन यह स्थिति हम बड़ों के साथ भी हो सकती है। हम भी मंच से बोलते समय घबरा जाते हैं, शब्द अटकने लगते हैं और वाक्य संरचनाएँ गड़बड़ा जाती हैं। इसका कारण है विभिन्न स्थितियों में भाषा-प्रयोग के पर्याप्त अवसर न मिलना। जब बच्चों को भी अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, तो उनमें भी अपनी बात को एक बड़े समूह में कहने का अभ्यास हो जाएगा। तो एक बात यह हुई कि बच्चों को विभिन्न स्थितियों और समूहों में

बात करने के अवसर देना विद्यालय में भाषा-शिक्षण का एक उद्देश्य हो सकता है। आप में से कुछ यह भी कह सकते हैं कि यह ठीक है कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व भाषा का प्रयोग करना जानते हैं और बखूबी करते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक बड़े जनसमुदाय से जुड़ने और उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए उस समुदाय की भाषा को सीखना भी उद्देश्य हो सकता है।

इसका अर्थ यह है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अर्जित कुशलताओं के सहारे एक ऐसी भाषा के प्रयोग में भी पारंगत हो जाएँ जिसमें अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार या 'व्यापार' होता है। हाँ, पढ़ने-लिखने की कुशलता बच्चे में हो, यह जरूरी नहीं है। बिहार जैसे राज्य के दूरवर्ती गाँवों में बच्चों को अखबार भी देखने को मिलता होगा, इस संदेह को नकारा नहीं जा सकता। ज्ञान का अथाह भंडार जो लिखित भाषा में संचित हैं, उसे आत्मसात करने के लिए भाषा की लिखित व्यवस्था पर तो अधिकार होना एक अनिवार्य शर्त है। अपनी बात को अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए और संरक्षित रखने के लिए भी भाषा की लिखित व्यवस्था पर अधिकार करना जरूरी है। जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी, वैसे-वैसे उनका संज्ञानात्मक स्तर भी बढ़ेगा और वे भाषा की बारीकियों, उनमें छिपे अर्थ को पहचान सकेंगे। इसके लिए पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्य, विभिन्न बाल पत्रिकाएँ मदद कर सकती हैं जिनका निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि बच्चों में भाषा की मौखिक कुशलता के साथ-साथ लिखित कुशलता भी विकसित हो सकें। यह विविध सामग्री भाषा की विविधता से परिचित होने का एक सुनियोजित तरीका है।

बिहार की भाषा की पाठ्यपुस्तकों के कुछ अभ्यासों को ध्यान से देखना आवश्यक है कि ये अभ्यास भाषा सिखाने के किन उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं —

1. क्या होता अगर कौवे को हिरण दिखाई न देता?
2. मान लीजिए, बहेलिया दूसरी बार भी हिरण को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? अपने मन से कहानी लिखिए।
3. गोपी ने ऊँट वाली घटना के बारे में अपनी माँ को क्या बताया होगा? संवाद लिखिए।
4. शंकर ने बरगद की कहानी अपने दोस्तों को कैसे सुनाई होगी? सुनाइए।
5. 9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक अंश पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए।
(कोंपल, भाग 2, कक्षा 4, से उद्धृत)
6. पता कीजिए कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है?
7. कसारा से चप्पल माँगने पर खेमा को फटकार लगी। उसके बावजूद वह काम करने लगी। आप रहते तो क्या करते?
8. अपने आस-पड़ोस के किसी बाल मजदूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मजदूर बना?
9. हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। क्यों?

(किसलय, भाग 3, कक्षा 8 से उद्धृत)

10. Look at the pictures and make sentences with the words given in the table.

11. Ask the children to choose the name of animals from the cross-word puzzle and write their names in the space given below.
12. Ask the children to look at the pictures and read the sentences given below.

(Blossom, Part 2, class2)

कुछ सवालों पर एक बार और गौर करते हैं—

सवाल 2 : 'मान लीजिए, बहेलिया दूसरी बार भी हिरण को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? अपने मन से कहानी लिखिए।' इस सवाल के मुख्य रूप से जो उद्देश्य नज़र आते हैं, वे हैं — कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन का विकास। बच्चे को इस सवाल का जवाब देने के लिए कहानी की आगे की घटनाओं के बारे में कल्पना करनी होगी। यह कल्पना अलग-अलग बच्चों की अलग ही होगी।

कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार भी वही हुआ होगा जो पहले घटित हुआ था। (कहानी में चूहे ने जाल को काटकर उसमें कैद हिरण को) कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार हिरण को किसी और ने बचा लिया होगा। कुछ बच्चे यह कल्पना कर सकते हैं कि दूसरी बार हिरण को कोई भी नहीं बचा पाया होगा। अपनी इस कल्पना को वे किन शब्दों या भाषा में व्यक्त करेंगे, उसमें भी अंतर होगा।

हो सकता है कि कुछ बच्चे सात वाक्यों में ही आगे की कहानी बता दें तो कुछ दो वाक्यों में ही समाप्त कर दें, जैसे — कौवे ने बहेलिए की आँख में चोंच मार दी, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। हिरण ने हाथ-पैर मारे और वह आज़ाद हो गया।/ कौवे ने सोचा कि अगर मैं बहेलिए की आँख फोड़ दूँ, तो इसे कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर हम हिरण को आज़ाद कर लेंगे। कौवे ने ऐसा ही किया। उसने बहेलिए की दोनों आँखों में चोंच मारी तो वह रोने लगा, 'मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा।' कौवा बहेलिए को परेशान करता रहा। उधर हिरण ने हाथ-पैर मारे तो उसका जाल खुल गया। वह आज़ाद हो गया। दूसरी कल्पना में विस्तार है और यह विस्तार भाषा में भी नज़र आता है। उसे भाषा गढ़नी होगी। जब बच्चा अपनी कल्पना को लिखेगा तो उसके लेखन कौशल का विकास होगा यानि अपने कल्पना को भाषा के सृजन के माध्यम से कागज़ पर उकेरना।

सवाल 10. Look at the pictures and make sentences with the words given in the table. भी इसी प्रकार का सवाल है जिसमें बच्चों को चित्रों को पहचानते हुए अपने वाक्य बनाने हैं। जाहिर है कि बच्चों के लिए चिड़ियाँ, बैल, टेलीफोन इत्यादि अलग अर्थ रखते होंगे और यह भी कि इन्हें सभी बच्चों ने अलग-अलग संदर्भों में देखा होगा। किसी को चिड़िया का दाना चुगना पसंद होगा या गौर किया होगा तो किसी को चिड़िया का पानी में सिर डुबोकर फिर झटकना या फिर किसी को चिड़िया का पंख पसारकर उड़ना। इसी प्रकार गाय का दूध देना, गायों का सींग मारना या गायों का पूँछ उठाकर दौड़ना इत्यादि बच्चों के आकर्षण के विषय हो सकते हैं। वाक्य बनाने में भाषा की सृजनात्मकता शामिल है।

सवाल 7 'कसारा से चप्पल माँगने पर खेमा को फटकार लगी। उसके बावजूद वह काम करने लगी। आप रहते तो क्या करते?,' सवाल 8 'अपने आस-पड़ोस के किसी बाल मजदूर से बात कर यह पता कीजिए कि किन कारणों से वह बाल मजदूर बना और सवाल 9 'हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। क्यों?' दरअसल यह सवाल संवेदनशीलता से जुड़ा है। सवाल 7 और 8 में बाल मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता है तो सवाल 9 में बुजुर्गों के प्रति स्नेह। भाषा आंतरिक संवेदनाओं का विकास करने में महत्ती भूमिका निभाती है। भाषा एक तरह से उस संसार को हमारे समक्ष ला खड़ा करती है जिसकी कल्पना भी शायद हमने नहीं की थी या जिसके बारे में महज़ हमने सुना ही था। खेमा जिस तरह की यंत्रणा से गुज़रते हुए काम करने को विवश है, उसे उसी स्तर पर और उसी गहराई से महसूस कर पाने के लिए जिस तरह की संवेदनशीलता चाहिए, वह इस कहानी में भाषा के माध्यम से संभव है। इस कहानी को पढ़ते हुए बच्चे कहीं-न-कहीं खेमा के चरित्र को जी रहे होंगे और यह संवेदनशीलता उन्हें समझा पाएगी कि उन्हें काम करने को विवश बाल मजदूरों के लिए क्या करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसी कौन-सी बातें हैं जो किसी के मन को ठेस पहुँचाती हैं।

सवाल 9 दादी अमीना के प्रति हामिद की संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। हमारे बुजुर्ग किन मुश्किलों से हमें पालते-पोसते हैं और अपनी इच्छाओं को ताक पर रख देते हैं। उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यह संवेदनशीलता हामिद के माध्यम से हमें छू जाती है। अपने परिवार, समाज, जेंडर, आस-पड़ोस, पशु-पक्षी इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना भाषा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अनेक भाषाओं में लिखे गये विभिन्न प्रकार के साहित्य पढ़ने-पढ़ाने का एक उद्देश्य यह संवेदनशीलता भी है।

सवाल 10. '9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक अंश पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए।' इसमें बच्चे के पढ़ने की कुशलता का विकास करने की कोशिश की गई है। किन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए उसे दिए गए अंश को ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने का अर्थ है, समझना यानि उसे अंश में कही गई बातों को समझना होगा, न कि केवल लिखे गए शब्दों को उच्चरित करना।

भाषा सीखने का उद्देश्य बच्चों में वह कुशलता या योग्यता विकसित करना है जिससे वे स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकें और दूसरों की बातों को सुनकर विश्लेषण करते हुए उसकी गहराई को समझ सकें। विभिन्न संदर्भों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए विभिन्न प्रयुक्तियों या 'रजिस्ट्रों' पर भी अधिकार प्राप्त करना होगा। अतः भाषा की कक्षा में और अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएँ ताकि वे भाषा का सार्थक प्रयोग कर सकें।

अपनी शैली में या अपने तरीके से किसी बात को कहना, लिखना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह भाषा की सृजनशीलता है और बच्चे तो प्रारंभ से ही भाषा का सृजनशील प्रयोग करते ही हैं, चाहे वह कोई कहानी गढ़ना हो या बहाना बनाना हो। किसी से क्या बात कहनी है और कैसे कहनी है, संवेदनशीलता की बात है। अक्सर हम किसी से या किसी के बारे में ऐसी बात कह जाते हैं जिसका न तो कोई तार्किक आधार होता है और न ही शिष्टता। कई बार ऐसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं जो किन्हीं की भावनाओं को आहत कर जाती है। कहने का अर्थ यह है कि बात कहते-लिखते समय हमारे शब्दों, वाक्यों का चयन उचित नहीं होता और बात अपने बेहद खराब अंदाज़ में दूसरों को पीड़ा दे बैठती है।

ऐसी भाषा जो दूसरों का 'अपमान-सा' या उनकी 'अस्मिता को नकारती हुई-सी' लगती है।

भाषा की विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों में दिए गए अभ्यास विभिन्न भाषा कौशलों का विकास करने के अवसर देते हैं। ये कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने का अर्थ महज शब्दों को सुनना नहीं है बल्कि सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी राय बनाना या प्रतिक्रिया देना है। सुनी गई बातों, कहानियों, कविताओं इत्यादि को अपने निजी जीवन से जोड़ पाना भी ज़रूरी है। यह जुड़ाव सुनने को सार्थकता देता है।

बोलना कौशल का अर्थ है। विभिन्न संदर्भों में विभिन्न विषयों, मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अपनी बात अभिव्यक्त करना है। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना भी बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, जैसे – विचारों को संजोना, तर्क ढूँढ़ना, विचारों की क्रमबद्धता, शब्दों और वाक्यों का चयन इत्यादि। शुरुआती कक्षाओं में बोलने या उच्चारण की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की इच्छा, अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास। यदि हम बच्चों को उनके अशुद्ध उच्चारण के लिए ही टोकते रहेंगे, तो वे संभवतः बोलना ही छोड़ देंगे या 'चुप' हो जाएँगे।

पढ़ने का संबंध समझने से है। लिखी या छपी भाषिक सामग्री को पढ़कर अपने लिए उसका अर्थ सुनिश्चित करना पढ़ने की अनिवार्य शर्त है।

लिखना कौशल में भी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। शुरुआती कक्षाओं में यदि बच्चों के लेखन में हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों की तरफ ही संकेत करते रहे तो संभव है कि बच्चों में लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए।

लिखना और बोलना में एक पक्ष समान है और वह है – अभिव्यक्ति, लेकिन बोलना में हम अभिव्यक्ति के लिए भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में उन ध्वनियों के प्रतीक चिह्नों या लिपि का। इस प्रकार लेखन में भी वे सभी मानसिक संक्रियाएँ शामिल हैं जो बोलने में शामिल होती हैं। बोलने में हम अनुतान यानि उतार-चढ़ाव, बल, विराम इत्यादि के माध्यम से कहने को पुष्ट करते हैं, वहीं लेखन में यह काम विभिन्न विराम-चिह्नों के माध्यम से किया जाता है।

वर्तनी का ध्यान रखना केवल इसी रूप में ज़रूरी है कि उसकी वजह से कहीं अर्थ बदल न जाए या अर्थ की संगति न बैठ पाए, जैसे— मेला देखने चलोगे?/मैला देखने चलोगे? एक और ज़रूरी बात यह है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से नहीं बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं और संवाद में बोलना और सुनना साथ-साथ चलता है। इसी प्रकार पढ़ना-लिखना भी साथ-साथ घटित होता है। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी जाते हैं। चारों कौशल अंतःसंबंधित हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को प्रभावित करता है। कक्षा में बच्चों को इस प्रकार के अवसर दिए जाएँ कि वे भाषा का अधिक-से-अधिक प्रयोग कर सकें और अपने आस-पास फैली भाषिक दुनिया को समझ सकें।

शुरुआती पढ़ना-लिखना अवधारणा एवं महत्व

तीन साल की झुनिया अपने दादा के साथ बाज़ार गई। बाज़ार जाना और वहाँ तरह-तरह की चीज़ें देखना उसे अच्छा लगता है। शायद यह तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर झुनिया चहकते हुए कहती है, 'बिस्कुट', 'पारले'। वह दुकान पर टंगे 'पारले जी' बिस्कुटों को देखकर उन्हें पहचान जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि बच्चे जब अपने आस-पास अलग-अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, तरह-तरह की छपी हुई सामग्री देखते हैं तो उनकी तस्वीर उनके दिमाग में एक तरह से छप जाती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम किसी व्यक्ति को पहली बार देखकर उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बसा लेते हैं। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति का नाम भी अपने दिमाग में बसा लेते हैं। इस प्रक्रिया को दुबारा देखते हैं तो झट से उसे पहचान जाते हैं और उसका नाम पुकारते हैं।

स्कूल जाने से पहले ही बच्चे अपने आस-पास के प्रिंट से एक रिश्ता बना लेते हैं, भले ही वे उस भाषा के लिपि-चिह्नों से परिचित न हों। झुनिया के मामले में भी यही बात है। वह प्रिंट से एक रिश्ता कायम कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि यह रिश्ता बनता कैसे है? इस रिश्ते के बनने में प्रिंट के संपर्क में लगातार आना ज़रूरी है। बच्चे लिपि-चिह्नों को जाने बिना भी उन्हें 'पढ़' सकते हैं। दरअसल पढ़ने की प्रक्रिया तभी से शुरू मानी जाती है जब से बच्चे प्रिंट से अपने लिए एक अर्थ का निर्माण करते हैं। 'पारले जी' बिस्कुट का पैकेट देखकर कुछ बच्चे उसे 'बिस्कुट' कहेंगे, तो कुछ बच्चे उसे 'पारले' कहेंगे तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो उसे 'पारले जी' कहेंगे। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो उसे देखकर वो चाहिए' कहेंगे। इन सभी में एक बात समान है कि बच्चों के लिए उस प्रिंट का एक खास अर्थ है, भले ही वह सबके लिए अलग-अलग हो। यह अर्थ ही 'पढ़ना' का मूल है। यह अर्थ ही पढ़ना कौशल को 'पढ़ना' बनाता है।

क्या है पढ़ना?

क्या हमने कभी सोचा है कि पढ़ना क्या है। क्या अर्थ के अभाव में 'पढ़ना' को 'पढ़ना' माना जाएगा? इस सवाल के जवाब में अनेक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं —

- छपी हुई सामग्री को उच्चरित करना।
- अक्षरों की ध्वनियों को जोड़कर शब्द और फिर वाक्य बनाना।
- लिखी हुई बात को समझ पाना।
- किसी भाषा की लिपि को पहचानना।
- छपी सामग्री की विषय-वस्तु से किसी अनुभव, जानकारी, भावना, घटना, बिंब, इत्यादि का अनायास याद आना।
- छपी सामग्री की विषय-वस्तु को किसी पूर्व-परिचित संदर्भ में रखना।
- तेज़ रफ़्तार से अक्षर पहचानकर उन्हें जोड़ पाना।
- तेज़ रफ़्तार से शब्द-पहचान करते हुए और अनुमान लगाते हुए छपी सामग्री को समझना।

- छपी सामग्री पर भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया दे पाना। जैसे – डर, जोश, विस्मय इत्यादि जैसे भावों को स्वयं महसूस करना।
- पढ़े हुए वाक्य के अंश के आधार पर बाकी वाक्य में आने वाले शब्द को भाँप लेना।

सरसरी निगाह दौड़ाने पर इनमें से बहुत से जवाब एक-से ही लगेंगे, पर उनमें बारीक फर्क है। इन जवाबों में से कोई भी एक जवाब पढ़ने के कौशल का ठीक-ठीक या पूरा-पूरा विवरण नहीं देता है। इन सभी जवाबों में पढ़ने के कुछ अंश शामिल हैं और जब इन सभी जवाबों को एकसाथ रखा जाए तब 'पढ़ने' के हर पहलू को समझा जा सकता है। यानि पढ़ना केवल लिपि या लिपिबद्ध (भाषा को भेदना) ही नहीं बल्कि छपी सामग्री से कई स्तरों और उसके कई पहलुओं से अंतःक्रिया करना भी है। पढ़ने की इस समग्र परिभाषा में बहुत से ऐसे कौशल और क्रियाएँ सम्मिलित हैं। हर एक कौशल की सफलता और सार्थकता दूसरे कौशलों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यह कहना गलत न होगा कि सिर्फ एक या कुछ कौशलों का होना पढ़ने को अधूरा बनाता है।

पढ़ने में शामिल कौशल

पढ़ने का कौशल बेहद सहज और स्वाभाविक है। यह वाक्य उनके लिए सत्य है जिन्हें पढ़ना सिखाया नहीं बल्कि बेरोकटोक पढ़ने के मौके दिए गए हैं। इन व्यक्तियों को पढ़ने की सार्थकता और उसके इस्तेमाल से रुबरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

पढ़ने के कौशल जटिल और रहस्यमय भी है। यह उन पर लागू होता है जो पढ़ने के कभी करीब नहीं पहुँच पाए क्योंकि वह पढ़ने की तैयारी में ही उलझे रहे। पढ़ने के आनंद और उसके स्वाद से अनभिज्ञ रहे। इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ना एकल कौशल नहीं है। उसमें बहुत से कौशल निहित हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और पढ़ने का मूल इन कौशलों के अंतरसंबंध में ही छिपा है। कोई भी उपकौशल अपने आप में पूर्ण नहीं है और एक या दो कौशलों को सीख लेने से पढ़ना आने का दावा नहीं किया जा सकता। ये कौशल कौन-से हैं और उनके अंतरसंबंध की प्रकृति क्या है? कुछ उदाहरणों के जरिए पढ़ने के इस बारीक पक्ष को समझने की कोशिश की जा सकती है।

जक सलली मर्य कोरच थै इप्फना।

ऊपर दिया वाक्य आपने 'पढ़' लिया होगा। 'पढ़' इस अर्थ में होगा कि शब्दों को उच्चारित कर लिया होगा। आप इस वाक्य से क्या समझ पाए? अब एक दूसरा उदाहरण देखें:-

वे लोग रातों-रात बनन से कानपुर पहुँचे।

देवनागरी लिपि में लिखा होने के कारण हमने इसे पढ़ तो लिया परंतु क्या समझ पाए? क्या पढ़ना समझ के बगैर संभव है? शब्दों को उच्चारित कर लेना, शब्दशः पढ़ लेना दरअसल पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो तब होता है जब हम पढ़े हुए को समझ पाएँ, अपने अर्थ आरोपित कर पाएँ। लिपि (अक्षर-ध्वनि) से परिचय, भाषा से परिचय, भाषा की वाक्य-संरचना और शैली से परिचय, विषय से परिचय इत्यादि की मदद के बगैर हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ी जा रही भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा को जानना और समझना

होगा। इसके अभाव में 'पढ़ना' संभव ही नहीं है। बोली जानेवाली भाषा ही लिपिबद्ध होती है और यदि हम बोली गई भाषा ही नहीं जानते तो लिखी गई बात पढ़ ही नहीं सकते। हर भाषा एक विशेष संरचना में बँधी होती है, चाहे वह शब्दों के स्तर पर हो, ध्वनियों के या वाक्यों के, पढ़ने के लिए इस भाषागत संरचना की समझ आवश्यक है। भाषा और विषय दोनों से संबंधित ज्ञान ही पूर्वज्ञान कहलाता है जिसकी सहायता से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखने, पढ़ने, सुनने के समय अर्थ निर्मित करते रहना पूर्वानुभव या पूर्वज्ञान की सहायता से ही होता है।

व्यक्ति के पहले के सभी अनुभव से बनी अवधारणाएँ 'स्कीमा' के रूप में हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाती हैं। इसे समझने के लिए हम एक डाकखाने को दृष्टांत ले सकते हैं। जिस प्रकार अलग-अलग जगह की चिट्ठियों के लिए खाने बने रहते हैं और विशेष जगह की चिट्ठी उन खानों या उस दराज में चली जाती है, उसी प्रकार हमारे अनुभव भी स्कीमा के रूप में खास खाकों में चले जाते हैं। ये खाके आपस में जुड़े होते हैं। जैसे-जैसे हमें नए अनुभव होते हैं और नयी अवधारणाएँ बनती हैं, वैसे-वैसे ही इनमें और 'स्कीमा' जुड़ते रहते हैं। कई बार प्राप्त नए अनुभवों के अनुसार उस स्कीमा के स्वरूप में कुछ फेरबदल भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार स्कीमा का विकास एवं विस्तार निरंतर होता रहता है। पढ़ते समय हम पाठ और 'स्कीमा' में संबंध बिठाते चलते हैं। स्कीमा और पाठ का अंतर्संबंध जितना स्पष्ट होगा हमारे लिए पाठ उतना ही स्पष्ट और अर्थपूर्ण होगा। पाठक पढ़ी जा रही सामग्री तभी समझ पाता है जब वह उसके पूर्व अनुभव से जुड़ती है।' (एन.सी.ई.आर. टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'पढ़ने की समझ', 2008:20-24 से साभार।)

इस चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है और अर्थ ग्रहण करने में बच्चों के पूर्व अनुभव उसकी मदद करते हैं। अतः यह ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ने के भरपूर अवसर दिए जाएँ। विविध प्रकार की सामग्रियों से बच्चों को संवाद करने के भी अवसर दिए जाएँ। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। हाँ, यह बाल साहित्य बच्चों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण होना भी ज़रूरी है। बच्चों को ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो उनके लिए अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। हम क्यों पढ़ते हैं? आप और हम भी किन्हीं खास उद्देश्यों के लिए पढ़ते हैं। ये उद्देश्य हो सकते हैं – किसी खास जानकारी के लिए पढ़ना, आनंद या मनोरंजन के लिए पढ़ना, जिज्ञासा के लिए पढ़ना इत्यादि। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जाए और प्रिंट भी ऐसा जिसमें बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग हो।

अब सवाल उठता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार बच्चों को पढ़ने के भरपूर मौके दिए जाएँ। यदि कक्षा में 'रीडिंग कॉर्नर' बनाए जाएँ, तो दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। रीडिंग कॉर्नर कक्षा का वह महत्वपूर्ण भाग है जहाँ बच्चों के स्तर और मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पढ़ने को प्रोत्साहित करने वाली सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें बाल साहित्य के विविध रंग देखे जा सकते हैं। इस बाल साहित्य का उपयोग बच्चों को कहानी सुनाने के लिए भी किया जा सकता है और बच्चों को किताब उलटने-पलटने, देखने, निहारने, चित्रों के आधार पर लिखी हुई सामग्री के बारे में अनुमान लगाने अथवा स्वयं पढ़ने के अवसर देने के लिए भी। पढ़ी गई कहानी को सुनना, पढ़ना सीखने में बेहद मददगार साबित होता

है। बच्चों की परिचित कहानी को जब बार-बार उनके लिए पढ़ा जाता है तब बच्चे कहानी की घटना, घटनाक्रम, वाक्य-संरचना से भी परिचित हो जाते हैं और सही समझ उन्हें अनुमान लगाकर पढ़ने में मदद करती है।

इसके अतिरिक्त कक्षा में लगे बुलेटिन बोर्ड की सामग्री भी पढ़ने की सामग्री बन सकती है। विभिन्न कहानी-कविताओं के पोस्टर, बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियाँ, चित्र आदि भी रोचक पठन-सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। 'पढ़ना एक ऐसा कौशल है जिसका निरंतर विकास होता रहता है। संगीत की तरह पढ़ना भी कोई ऐसी कला नहीं जिस पर एक बार में ही महारत हासिल कर ली जाएँ, अपितु यह ऐसा कौशल है जो अभ्यास के साथ निरंतर निखरता है। यह प्रक्रिया उसी वक्त शुरू हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी पढ़ने-लिखने वाली संस्कृति व पहली पाठ्य-सामग्री के समकक्ष होता है। पहला नियम जिसका सदैव पालन करना चाहिए, वह यह है कि पढ़ने को समग्र प्रक्रिया से शुरू किया जाए।' (शैक्षणिक संदर्भ अंक-29:52 में प्रकाशित प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री के अनूदित लेख 'पढ़ना किसे कहते हैं?' से साभार।)

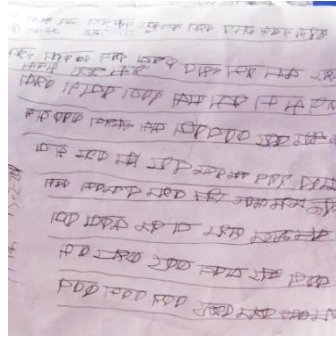
इस प्रकार कहा जा सकता है कि पढ़ना एक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य लिखित सामग्री का अर्थ जानना है। पढ़ने की प्रक्रिया के कुछ पड़ाव होते हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। सभी बच्चे इस प्रक्रिया से गुज़रते हैं और हर बच्चा अपनी ही गति से आगे बढ़ता है। इसलिए बच्चों को रोक-टोक कर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए विद्यालय में दाखिले के पहले दिन से ही उन्हें किताबों के सम्पर्क में आने के अधिक-से-अधिक अवसर दें। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाएँ और उसका इस्तेमाल पढ़ने के विभिन्न अवसर देने के लिए करें। यह भी ध्यान रखें कि बच्चों से आपकी बातचीत, कहानी, कविता सुनाना इत्यादि भी ऐसे अवसर हैं जो भाषाई कौशलों की समझ बनाने में सहायक होते हैं।

शुरुआती लेखन

तीन-चार साल का जतिन अक्सर कागज़ पर कुछ-कुछ आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचता रहता है। जब उससे उन रेखाओं के बारे में पूछा जाता है कि यह क्या बनाया है तो वह कहता है कि यह चूहा है। कभी कुछ रेखाओं को चिड़िया/पतंग/मछली इत्यादि बताता है। इन आड़ी-तिरछी रेखाओं में बड़ों को भले ही कोई स्पष्ट आकृति नज़र न आए, लेकिन इन सभी का जतिन के लिए एक खास अर्थ है। वह इन आड़ी-तिरछी रेखाओं में मन की बातें लिखता है, अभिव्यक्त करता है। 'लिखना' भी एक तरह की बातचीत है जिसमें हम अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करते हैं। सवाल अगर अभिव्यक्ति का है तो उसमें भी अर्थ महत्वपूर्ण है। जब बच्चे स्वयं के द्वारा बनाई गई आड़ी-तिरछी रेखाओं में अर्थ खोज पाते हैं, अर्थ बता पाते हैं, तो यह लिखना ही है। यह लिखने का एक पड़ाव है, एक चरण है।



चित्र 1



चित्र 2



चित्र 3

(तीनों चित्र एन.सी.ई.आर.टी. के प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम से साभार)

विभिन्न बच्चों द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों से उनकी प्रिंट संबंधी अनेक योग्यताओं की झलक मिलती है। एक, हम जो बात कहते हैं यानि मन की बात को लिखा भी जा सकता है। दो, हिंदी में लिखने की प्रक्रिया बाएँ से दाएँ चलती है। तीन, जो लिखा जाता है उसका एक अर्थ होता है। चार, लिखी गई बात को पढ़ा जाता है।

पहले उदाहरण में बच्चे ने केवल रेखाएँ खींची हैं, लेकिन उसका एक अर्थ है। दूसरे उदाहरण में बच्चे ने कुछ 'अक्षर' बनाए हैं और उन पर शिरोरेखा लगाई है। तीसरे उदाहरण में बच्चे ने कुछ चित्र बनाए हैं और उन्हें नाम भी दिया है।

'लिखना' क्या है?

जब भी लिखने की बात होती है और वह भी कक्षा एक और दो में तो कई ऐसी बातें उठती हैं जो कहीं-न-कहीं शिक्षकों की 'लिखना' संबंधी अवधारणाओं से गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सामान्यतः निम्नलिखित कथन सुने जा सकते हैं —

- ये बच्चे पढ़ना तो जानते नहीं, लिखने का काम कैसे करेंगे?
- लिखने के काम में तो ये सिर्फ बोर्ड से देखकर अपनी-अपनी कॉपी में उतार सकते हैं।

- लिखने का क्या है, बस अ, आ, इ, ई, उ लिखना सीख जाएँ, यही बहुत है।
- जब तक अक्षर या वर्ण की सही बनावट नहीं सीखेंगे तो लिखना कैसे सीख पाएँगे?
- हम तो एक-एक पन्ना क, ख, ग लिखने को दे देते हैं। बस यही है लिखना।

इन सभी जवाबों में 'लिखना' की एक संकीर्ण समझ नज़र आती है। अधिकतर शिक्षकों के लिए लिखना केवल अक्षर अथवा वर्ण लेखन तक ही सीमित है। वे आड़ी-तिरछी रेखाओं को 'लेखन' स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करते हैं। उनके लिए लिखने में अक्षरों, शब्दों की सही-सही बनावट और सही-सही वर्तनी ही महत्वपूर्ण है। वे लिखने के प्रयास की न तो सराहना कर सकते हैं और न ही उसे वर्तनी से मुक्त होकर देख सकते हैं जबकि लिखना एक प्रकार का संवाद है। बच्चे विभिन्न प्रकार से उस अर्थपूर्ण संवाद या बातचीत को अभिव्यक्त करते हैं। वास्तव में लिखने का अर्थ है, बच्चे निःसंकोच होकर अपने मन की बात लिख सकें, बच्चे आड़ी-तिरछी लकीरों से शुरुआत कर चित्रों/वाक्यों/शब्दों से अपने मन की बात व्यक्त कर सकें, बच्चे अपने अनुभवों/इच्छाओं/विचारों इत्यादि को लिखकर व्यक्त करने के लिए उत्सुक हों इत्यादि।

अनेक बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को लेखन के यांत्रिक अभ्यास की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, तो वे लेखन के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं। कॉपी में केवल अ, आ, इ, ई, उ, नल, पल, फल इत्यादि लिखना एक प्रकार से यांत्रिक लेखन का अभ्यास है, जिसमें अर्थ 'नदारद' है। इतना ही नहीं, अगर लिखते समय वर्तनी संबंधी कोई त्रुटि हो जाए तो बच्चों को डांट-फटकार और अपमान सहना पड़ता है। गलती होने पर अपमानित होने के डर से अधिकतर बच्चे लिखने से कतराने लगते हैं, या लिखने में बोरियत महसूस करने लगते हैं।

'शुरुआती पढ़ना-लिखना' विद्यालयी जीवन के शुरुआती वर्षों यानि कक्षा एक और दो में पढ़ने-लिखने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करती है कि बच्चे किस प्रकार पढ़ना-लिखना सीखते हैं। ऐसे कौन-से कारक हैं जो बच्चों के पढ़ने-लिखने को प्रभावित करते हैं? बच्चों के पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक, विद्यालय और अभिभावकों की क्या भूमिका है इत्यादि। सामान्यतः कक्षा एक और दो में बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के जो तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बल इस बात पर रहता है कि बच्चे किस तरह 'वर्णमाला' सीख जाएँ। शिक्षकों की यह मान्यता है कि वर्णमाला सीखे बिना पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने-लिखने की प्रचलित पद्धतियों पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि वहाँ वर्णमाला पर ज़रूरत से ज्यादा बल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब भी पढ़ाए जाते हैं या उनके पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है तो वह भी संदर्भहीन होता है। इस तरह पढ़ने की पूरी प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है।

इस संदर्भ में डॉ. शोभा सिन्हा अपने लेख, 'शुरुआती पढ़ाई का एक वैकल्पिक रास्ता' में यह स्पष्ट करती हैं कि यदि बच्चों को ऐसे माहौल में रहने का मौका मिले जहाँ उनके इर्द-गिर्द किताबें हो तो वे लिखित भाषा के बारे में अधिक सक्रियता से अनुमान लगाकर सीखते हैं। उन्हें औपचारिक रूप से भाषा के सभी यांत्रिक पहलू सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों के पढ़ने-लिखने के प्रारंभिक प्रयत्नों पर गौर करने से पता चलता है कि यह

कैसे होता है? बच्चों की औपचारिक गतिविधियों, जैसे लिखने के नाम पर लकीरें खींचने और किताब लेकर बड़ों की तरह पढ़ सकने की कोशिश करने को देखने से, उनके पढ़ना सीखने के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

समस्या यह है कि बच्चे जब भी इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो उनकी तुलना वयस्कों से की जाती है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे क्या जानते हैं तो हमें उनकी कल्पनाओं, उनके द्वारा लगाए जाने वाले अनुमानों के बारे में काफी पता चलेगा। तीसरे, पढ़ाई के कार्यात्मक पहलू भी उसके औपचारिक पहलुओं जितने अहम होते हैं। बच्चे भाषा सीखने और उसका उपयोग एक साथ करते हैं। पढ़ना सीखने के उद्देश्यों में आनंद और संप्रेषण दोनों शामिल हैं। (पढ़ने की दहलीज पर, एन.सी.ई.आर.टी., 2008: 7–13)

इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि 'शुरुआती पढ़ना-लिखना' का संबंध कक्षा एक और दो में पढ़ने-लिखने की प्रक्रियाओं से है। शुरुआती वर्षों में पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए यह ज़रूरी है कि –

- बच्चों को भरपूर रोचक बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाए।
- बच्चों को उन पुस्तकों के साथ संपर्क बनाने, उन्हें, छूने, उन्हें उलटने-पलटने के अवसर दिए जाएं।
- जब शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएँ, तो पाठ्यसामग्री पर अंगुली भी रखते जाएँ इससे बच्चों को बोले हुए और लिखे हुए शब्दों के बीच संबंध बनाने का अवसर मिलेगा।
- चित्रात्मक कहानियों का उपयोग बच्चों में पढ़ने और छपे हुए के बारे में अनुमान लगाने का अवसर प्रदान करेगा।
- चित्रों पर बच्चों के साथ बातचीत की जा सकती है। यह बातचीत चित्रित संसार को समझने में उनकी मदद करेगा।
- कक्षा में बच्चों के साथ निरंतर बातचीत की जाए और यह बातचीत भी ऐसी हो जिसमें उनके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सामावेश हो।
- बातचीत के दौरान बच्चों को अपनी भाषा का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। बच्चों के पास विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की सार्थक पूंजी होती है।
- बच्चों के अनुभव संसार में से कुछ बातों को शिक्षक बोर्ड पर लिख दें। उस लिखे हुए को पढ़कर सुनाएँ। यहाँ लिखित भाषा अपरिचित हो सकती है लेकिन अनुभव या लिखित बात या लिखित विषय-वस्तु परिचित होती है। जो वे जानते हैं उसके सहारे जो वे नहीं जानते उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे बोलने और लिखने के बीच संबंध बनाएँगे। वे लिखित भाषा को सार्थक या अर्थपूर्ण रूप में देखेंगे।
- एक सार्थक संदर्भ में ध्वनि-संकेतों को समझने में सक्षम हों और बच्चे अपरिचित शब्दों को भी पढ़ने की कोशिश करें।

लिपि और भाषा

भाषा दुनिया को समझने और उसकी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने का प्रमुख साधन है। वह हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। यह अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर की जा सकती है। जब बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है और वही विचार जब लिखकर व्यक्त किया जाए तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थायी रूप देता है। हालांकि, आजकल बातचीत या भाषण आदि को रिकॉर्ड करने की सुविधा उपलब्ध है, परंतु मौखिक भाषा का पूर्णतः स्थायी रूप नहीं हो सकता, क्योंकि मौखिक भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा का लिखित रूप लिपि के कारण संभव है और अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील है। भाषा की मूल प्रकृति लिप्यात्मक नहीं, उच्चारणात्मक है। लिपि के कारण हम दूर बैठे किसी व्यक्ति या अपने किसी प्रिय को पत्रों, और अब तो ईमेल का ज़माना आ गया है, के द्वारा अपनी बात, कोई संदेश या सूचना दे सकते हैं। इतना ही नहीं आज हम जो लिपि के बारे में बात कर रहे हैं वह भी इसलिए, क्योंकि स्वयं लिपि के बारे में आज बहुत कुछ लिपिबद्ध है। लिपि स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ छोड़ गई है।

भाषा और लिपि

आप अपनी एक ही बात को कितनी भाषाओं या लिपियों में लिख सकते हैं? एक, दो, तीन या चार? आइए, इसे करके भी देखते हैं। नीचे दिए गए एक वाक्य को आप जितनी लिपियों में लिख सकते हैं, लिखिए –

भाषा संवादक माध्यम अछि।	(मैथिली भाषा, देवनागरी लिपि)
Bhasha samvadak madhyam achhi.	(मैथिली भाषा, रोमन लिपि)
The knife is very sharp.	(अंग्रेज़ी भाषा, रोमन लिपि)
द नाइफ़ इज़ वैरी शार्प।	(अंग्रेज़ी भाषा, देवनागरी लिपि)
چل گھر مدن	(उर्दू भाषा, फारसी लिपि)

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। 'वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। हम कभी भी इस तक पहुँच सकते हैं। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। इसलिए लिखित एवं वाणी भाषा के बीच के फ़र्क को देखकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि के बीच अथवा हिंदी या संस्कृत तथा देवनागरी के बीच कोई अलंघनीय संबंध नहीं होता है। दरअसल, विश्व की सभी भाषाएँ थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं और इसी तरह कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। भाषा और लिपि के बीच इस तरह के रिश्ते के बोध का शिक्षाशास्त्रीय महत्व है। जो शिक्षक इस संबंध की जानकारी रखते हैं, वे प्रायः बच्चों की गलतियों के प्रति अपना रुख बदलकर पढ़ाने की नयी विधियाँ विकसित करते रहते हैं।' (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, 2009:2-3)

कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस 'फेरबदल' को समझा जा सकता है—

रोमन लिपि में एक ही वर्ण का उच्चारण कहीं कुछ तो कहीं कुछ देखने को मिलता है। नीचे के शब्दों को देखिए —

शब्द ध्वनि

Chair = चेयर = 'च'

Cent = सेंट = 'स'

Car = कार = 'क'

तीनों उदाहरणों में 'C' का उच्चारण क्रमशः 'च', 'स' और 'क' हुआ है। किसी दूसरी भाषा में लिप्यान्तर के क्रम में यह परेशानी हो सकती है कि किस ध्वनि को सटीक माना जाए। इतना ही नहीं यदि देवनागरी के वर्णों का विकल्प रोमन में तलाशा जाए तो त, द, ग, घ इत्यादि सरीखे वर्णों के लिए कोई सटीक वर्ण ही नहीं है। अरबी लिपि में तो ध्वनि विविधता इतनी है कि एक ध्वनि के लिए कई-कई वर्ण हैं। सिर्फ स/ष की ध्वनि के लिए से, सीन, शीन और स्वाद वर्ण हैं। इसी तरह से 'ज' ध्वनि के लिए जे, ज़े, जीम और ज़वाद हैं। देवनागरी के घ, ठ, झ, ट, ढ, म इत्यादि ध्वनियों के लिए कोई वर्ण ही नहीं है फिर लिप्यान्तर कैसे संभव है? संभव है। नीचे के कुछ उदाहरणों को देखें —

DAL — दाल/डाल/दल (संदर्भ से ध्वनि का मेल कर शब्द चुनेंगे)

Tara — तारा

Haran — हरण

Dhan — धन/धान (संदर्भ के मुताबिक)

उर्दू भाषा में हिंदी के उन वर्णों के लिए अंग्रेजी पैटर्न को अपनाया जाता है जो घ, ठ, द, झ इत्यादि के लिप्यान्तरण में अपनाया जाता है। अंग्रेजी 'h' की भूमिका उर्दू में दोचश्मी हे पूरा करता है। नीचे के उदाहरणों में देखते हैं —

B+h → Bh → $\boxed{\text{भ} = \text{بہ}}$ ← ب + ہ (बे)

J+h → Jh → $\boxed{\text{झ} = \text{جھ}}$ ← ج + ہ (जीम)

D+h → Dh → $\boxed{\text{ध} = \text{دھ}}$ ← د + ہ (दाल)

K+h → Kh → $\boxed{\text{ख} = \text{کھ}}$ ← ک + ہ (काफ़)

इस प्रकार स्पष्ट है कि थोड़े फेरबदल और संदर्भ के अनुसार लिप्यांतर संभव है यानि किसी लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है।

लिपि सीखना

आपने लिखना कैसे सीखा? आप बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं? हम यह कह चुके हैं कि प्रत्येक भाषिक ध्वनि के लिए संकेत या चिह्न होते हैं, जिन्हें लिपि कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम जिन शब्दों को बोलते हैं उन्हें किन्हीं ध्वनि-संकेत-समूहों के द्वारा लिखित रूप दिया जा सकता है। 'हमारे' शब्द में जो 'ह' की ध्वनि है उसके लिए 'ह' वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्या हम वैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं?

हम बहन आह

तीनों शब्दों में 'ह' का प्रयोग है लेकिन तीनों में 'ह' का उच्चारण अलग है। 'हम' के 'ह' और 'आह' के 'ह' में तो अंतर है ही, लेकिन यह अंतर 'बहन' के 'ह' में अधिक नज़र आता है। हम इस शब्द को 'बहन' के रूप में उच्चरित करते हैं। एक ही 'ह' अलग-अलग शब्दों में अलग तरीके से बोला जा रहा है लेकिन उनका लेखन समान है। इसे भाषिक परिवेश (linguistic environment) की दृष्टि से समझ सकते हैं, जहाँ आस-पास की ध्वनियाँ किसी ध्वनि विशेष के उच्चारण को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ शब्दों को बोल-बोलकर पढ़िए –

elephant eleven men set receipt seed seat kite

क्या इन शब्दों में e का उच्चारण एक जैसा है? नहीं ना! 'seed' में जो आवाज़ 'ee' की है वही आवाज़ 'seat' के 'ea' की भी है। यह कैसे? और 'kite' में तो 'e' की आवाज़ ही नहीं है। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं, तो वे बोलने और उसे लिखने की जटिल प्रक्रियाओं को सीख जाते हैं। हम उन्हें इतनी बारीकी से नहीं समझाते कि 'सेट और मेन' को बोलने का तरीका या आवाज़ अलग है लेकिन दोनों शब्दों में बीच में 'इ' ही आएगा।

यदि आप देवनागरी और रोमन लिपि को देखें तो पाएँगे कि इनमें कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में वर्णों को हम उनके मूल रूप में ही लिखते हैं और एक पंक्ति में यानि बाएँ से दाएँ, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, जैसे –

Conclusion training assessment suggested supported
honest

लेकिन हिंदी में लिखते समय स्वर अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं और मात्रा के रूप में भी। इतना ही नहीं कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें एक-से-अधिक रूपों में लिखा जाता है, जैसे – इमली उस्ताद आम ओर औलाद ऐसा एड़ी (स्वर अपने मूल रूप में)

तितली, सुखाना, काम, मोर, पौधा, कैसा, बेर, (स्वर मात्रा के रूप में)

रतलाम, कर्म, वर्षा, ग्रह, ट्रक, क्रमांक, व्रत, (व्यंजन एक से अधिक रूप में)

‘मिट्टी, चिट्ठी, अड्डा, ब्राह्मी, पत्ता’ इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें वर्ण एक-दूसरे के नीचे भी लिखे जाते हैं। इस संदर्भ में रमाकांत अग्निहोत्री अपने एक लेख ‘बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता’ में स्पष्ट करते हैं कि ‘शायद देवनागरी में ही ऐसा होता है कि एक ही वर्ण के कई रूप होते हैं और उसे चारों तरफ से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए ‘क’ को देखिए: ‘क’, ‘क्’, ‘क़’, ‘कि’, ‘की’, ‘कु’, ‘कू’, ‘के’, ‘को’, ‘कं’ इत्यादि और फिर ‘क्ष’ में भी ‘क्’। दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे हर तरफ कुछ न कुछ जोड़ने की संभावना। रोमन लिपि में ऐसा कुछ नहीं। दाईं तरफ को बराबर लिखते जाइए, बस। ‘कि’ में ‘इ’ की मात्रा लिखी पहले जाती है, पर बोली बाद में जाती है। अध्यापक अक्सर कहते हैं – देवनागरी सरल है जैसा बोलो, वैसा लिखो। हिन्दी लिखने में यह बात सदा सार्थक नहीं होती। बच्चे बहुत-सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। सच बात यह है कि आज की हिन्दी में ‘इ’ और ‘ई’ व ‘उ’ और ‘ऊ’ में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। इसलिए बच्चे वही लिखते हैं जो सुनते हैं।’

(शैक्षिक संदर्भ, सितंबर-अक्टूबर 1999: 40-41)

आजकल कुछ ध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से लुप्त प्राय हो रही हैं लेकिन उनका लिखित रूप बरकरार है। उदाहरण के लिए ‘ऋ’ का उच्चारण ‘रि’ की तरह हो रहा है, जैसे, ‘ऋषि, ऋषभ, ऋतु, कृषि’ इत्यादि। इसी तरह से ‘ष’ का उच्चारण आजकल ‘श’ की तरह हो रहा है और लेखन में यह ‘श’ के रूप में आज भी उपस्थित है। उदाहरण के लिए, ‘कृषक, विशेष, कोष, सुषमा’ इत्यादि। गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उच्चारण ‘रु’ की तरह होता है। ऐसे बहुत कम ही शब्द हैं जहां ‘ष, ऋ’ का प्रयोग होता है। यदि इन्हें दो-चार बार बच्चों को समझा दिया जाए, लगातार उनकी नज़र से गुज़रने दिया जाए तो वे इन्हें भी सीख जाएंगे।

एक शिक्षक के लिए लिपि या लिखित भाषा की बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता में विश्वास रखना और उस क्षमता का उपयोग करना भाषा सीखने-सिखाने में मदद करेगा। दरअसल बच्चे अपनी इसी क्षमता के आधार पर लिखित भाषा के भी नियम पकड़ने की सफल कोशिश करते हैं। इस सबके साथ बच्चों को प्रिंट समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना भी एक शिक्षक का ही दायित्व है जिससे बच्चे लिपि एवं लिखित भाषा को भी सहजता के साथ आत्मसात कर सकें। लिपि सिखाते समय धैर्य बनाए रखें और यह विश्वास भी कि बच्चे धीरे-धीरे लिखना सीख जाएंगे।



सारांश

- हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं।
- प्रत्येक बच्चे में भाषा जन्मजात क्षमता होती है जिसके माध्यम से वे परिवेश में उपलब्ध अधिकाधिक भाषाएँ अर्जित कर लेते हैं।
- बच्चे बड़ों के द्वारा किए जा रहे भाषा-प्रयोगों को सुनते हैं, उसके आधार पर अपने नियम बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर भाषा का प्रयोग करते हैं।
- यदि बच्चों की सहज, अनौपचारिक बातचीत का विश्लेषण किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि बच्चे सहजता के साथ विद्यालय जाने से पूर्व ही भाषा की अनेक जटिल संरचनाओं पर पकड़ रखते हैं।
- भाषा-अर्जन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रथम भाषा में योग्यता विकसित करते हैं। यह एक अवचेतन प्रक्रिया है।
- बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसके संबंध में विभिन्न मत हैं। स्किनर जैसे व्यवहारवादी इसे उद्दीपन-अनुक्रिया-पुनर्बलन की प्रक्रिया में देखते हैं। जिसके अनुसार भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
- चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता होती है। यह क्षमता जन्मजात होती है। इसी क्षमता के सहारे बच्चे भाषा सीखते हैं।
- पियाजे के अनुसार जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है।
- वाइगोत्सकी ने भाषा सीखने में समाज की मुख्य भूमिका बताई है। बच्चे समाज के संपर्क में आने से भाषा सीखते हैं।
- बच्चों की भाषा के विकास के लिए उन्हें भाषा का समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें भाषा-प्रयोग के अधिकाधिक अवसर भी मुहैया कराए जाएँ।
- विद्यालयों में भाषा की स्थिति एक विषय के रूप में भी होती है और माध्यम के रूप में भी।
- विभिन्न विषयों का अध्ययन करते समय भी बच्चे एक प्रकार से भाषा भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि उस समय वे अनायास रूप से विभिन्न प्रकार के शब्दों, वाक्य संरचनाओं से भी परिचित होते चलते हैं।
- जब विषय के अध्ययन का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो तो अवधारणाओं का बनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।
- भाषा पर पकड़ या भाषिक क्षमता अन्य विषयों को समझने में मदद करती है।
- एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण का अर्थ है— भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की कुशलता में दक्ष बनाना ताकि वे विभिन्न स्थितियों में भाषा का समुचित और प्रभावी प्रयोग कर सकें।

- भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और भाषा के कौशलों का विकास महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल हैं।
- सुनने का अर्थ है, सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी राय बनाना या प्रतिक्रिया देना।
- जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, जैसे – विचारों को संजोना, तर्क ढूँढ़ना, विचारों की क्रमबद्धता, शब्दों और वाक्यों का चयन इत्यादि।
- पढ़ना केवल लिपि या लिपिबद्ध (भाषा को भेदना ही नहीं बल्कि छपी सामग्री से कई स्तरों और उसके कई पहलुओं से अंतर्क्रिया करना भी है।
- पढ़ने का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है और अर्थ ग्रहण करने में बच्चे के पूर्व अनुभव उसकी मदद करते हैं।
- 'लिखना' भी एक तरह का संवाद है जिसमें हम अपने मन की बातों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं।
- 'शुरुआती पढ़ना-लिखना' विद्यालयी जीवन के शुरुआती वर्षों यानि कक्षा एक और दो में पढ़ने-लिखने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करता है।
- यदि बच्चों को शुरु से ही पुस्तकों के संपर्क में रखा जाए, तो वे अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से पढ़ना-लिखना सीख सकेंगे।
- प्रत्येक भाषिक ध्वनि के लिए निश्चित चिह्न ही लिपि कहलाती है।
- भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता।
- थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है।
- बोली गई भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है।
- कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश बच्चों को पढ़ना-लिखना सीखने में मदद करेगा।
- लिपि या लिखना सिखाने के लिए शिक्षकों को बच्चों के सीखने की क्षमता में विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य भी।



मूल्यांकन

1. विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास भाषाई पूँजी होती है। इस कथन के संदर्भ में अपनी भाषा की पाठ्यपुस्तक में से कोई ऐसे पांच उदाहरण दीजिए जो इस बात को पुष्ट करते हैं।
2. अपने आस-पास अथवा अपने वर्ग के किन्हीं दो-तीन बच्चों द्वारा की जाने वाली बातचीत को रिकॉर्ड अथवा दर्ज कीजिए। उनकी बातचीत में प्रयुक्त भाषा का विश्लेषण करते हुए बताइए कि बच्चे भाषा की कितनी जटिल संरचनाओं पर अधिकार रखते हैं।

3. आपके वर्ग के बच्चे सामान्यतः कितनी भाषाओं में बात करने की क्षमता रखते हैं? उनकी प्रथम और द्वितीय भाषा कौन-कौन-सी हैं? क्या उनके प्रयोग में आपको किसी प्रकार का कोई अंतर नजर आता है?
4. बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी भाषा की पाठ्य-पुस्तक में क्या-क्या बदलाव करना चाहेंगे और क्यों?
5. इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अपने शिक्षण में क्या कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे? क्यों?
6. अपने आस-पास अथवा अपने विद्यालय के विभिन्न आयु-वर्ग से (जैसे, वर्ग एक और दो, वर्ग तीन से पाँच) पाँच-पाँच बच्चों के भाषा प्रयोग के नमूने दर्ज कीजिए और बताइए कि क्या आपको इनकी भाषा में कोई अंतर नजर आता है? उदाहरण सहित समझाइए।
7. आपके विचार से बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए।
8. क्या आप मानते हैं कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है? अपने विचारों के लिए तर्क भी प्रस्तुत कीजिए।
9. किसी भी वर्ग और भाषा की पाठ्य-पुस्तक का गौर से अध्ययन कीजिए और बताइए उस पाठ्य-पुस्तक के पाठ और अभ्यास किन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं?
10. किसी भी वर्ग और विषय की पाठ्य-पुस्तक का गहराई से अवलोकन कीजिए और बताइए कि वह पाठ्य-पुस्तक किस प्रकार से भाषा सीखने में मदद करेगी और भाषा में क्या सीखने में मदद करेगी?
11. अपनी भाषा और लिपि से कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि भाषा और लिपि में अनिवार्य संबंध होता / नहीं होता है।
12. अंग्रेजी और हिंदी की लिपियों के बीच के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
13. इस अध्ययन सामग्री को पढ़ने के बाद आप अपनी कक्षा में लिखना सिखाने की प्रक्रिया और उद्देश्यों में कोई बदलाव लाना चाहेंगे? हाँ/नहीं, तो क्यों?
14. इस इकाई में आपने जो कुछ जाना, समझा, सीखा उसमें से किन्हीं दस बिंदुओं की सूची बनाइए।
15. बच्चों में भाषा कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का विकास करने के लिए कोई पाँच-पाँच अभ्यास बनाइए।
16. किसी एक वर्ग की अलग-अलग भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों का अवलोकन कीजिए और भाषा सीखने-सिखाने के उद्देश्यों के संदर्भ में उनकी तुलनात्मक समीक्षा कीजिए।
17. शुरुआती पढ़ना-लिखना क्या है? आप वर्ग एक और दो के बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग करेंगे?
18. भारत के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ अधिकांश व्यक्ति कम-से-कम दो भाषाएँ जानते हैं। यह जानते हुए भी कि भारत एक बहुभाषिक देश है, स्कूलों में भाषा शिक्षण में जोर किन्हीं एक या दो विशेष भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) पर ही होता है। बच्चों की भाषाओं, जो इतनी विविधता लिए हुए होती है,

उनको भाषा और बोली, शुद्ध भाषा, मानकीकृत भाषा जैसे मुद्दों पर दबा दिया जाता है। अपने जीवन-अनुभव के आधार पर यह बताएँ कि भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में आपने अपने विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को किस प्रकार विकसित किया?

संदर्भ सूची:

1. रीडिंग डेवलपमेंट सेल, पढ़ने की समझ, एन.सी.ई.आर.टी— 2008 दिल्ली
2. पढ़ना सीखाने की शुरुआत—2011 एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
3. पढ़ने की समझ—2009, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
5. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2008, एस.सी.ई.आर.टी, दिल्ली
6. असफल स्कूल, जॉन होल्ट, एकलव्य प्रकाशन, भोपाल
- 7- TESS-India मुक्त शैक्षणिक संसाधन

<https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1934#>



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार . 800006